संसदीय पत्रिका

खंड 70 अंक 2 जून 2024

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 70 **अंक 2** **जून 2024**

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

संसदीय पत्रिका

खंड 70 **अंक 2** **जून 2024**

इस अंक में **पृष्ठ**

अभिभाषण

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा 27 से 28 जनवरी 2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों (एआईपीओसी) के 84वें सम्मेलन के दौरान दिया गया भाषण 1

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 31 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में समवेत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के दौरान दिया गया अभिभाषण 8

10 फरवरी 2024 को सत्रहवीं लोकसभा के पंद्रहवें सत्र (अंतिम सत्र) के समापन पर गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषण 20

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सम्बोधन 20

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का सम्बोधन 26

संसदीय घटनाक्रम तथा कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां 32

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती 34

संसदीय शिष्टमंडलों के परस्पर दौरे 36

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) 37

संसद सदस्य संदर्भ सेवा 38

विशेषाधिकार संबंधी मामले 39

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम 40

संवैधानिक और संसदीय रुचि के दस्तावेज 45

सत्र समीक्षा 62

लोक सभा 62

राज्य सभा 91

राज्य विधानमंडल 95

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य 98

परिशिष्ट **पृष्ठ**

एक.	सत्रहवीं लोक सभा के पन्द्रहवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण	100
दो.	राज्य सभा के दो सौ तिरसठवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण	106
तीन.	1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के क्रियाकलापों को दर्शाने वाला विवरण	113
चार.	1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूची	121
पांच.	1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची	122
छह.	1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश	131
सात.	लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों में दलों की स्थिति	133

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

27 से 28 जनवरी 2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों (एआईपीओसी) के 84वें सम्मेलन में लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा दिए गए भाषण

भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 84वां सम्मेलन 27 से 28 जनवरी 2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष और सम्मेलन के सभापति, श्री ओम बिरला ने क्रमशः 27 और 28 जनवरी 2024 को उद्घाटन और समापन भाषण दिए।

प्रस्तुत है लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा दिए गए भाषणों के मूल पाठ:

<u>उद्घाटन भाषण</u>

लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 27 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधान सभा, मुंबई में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 84वें सम्मेलन (एआईपीओसी) में उद्घाटन भाषण देते हुए।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, जिनकी मेजबानी में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है; इस विधान सभा के अध्यक्ष, श्री राहुल नार्वेकर जी, राज्य सभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश जी जिन्होंने लंबे समय तक मुंबई में रहकर पत्रकारिता की, विधान परिषद की उप सभापति नीलम जी, महाराष्ट्र विधान सभा के उपसभापति नरहरि जी, महाराष्ट्र विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता अंबादास दानवे जी, सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारीगण, उपाध्यक्षगण, राज्य सभा और लोक सभा के महासचिव!

पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन एक ऐसी धरती पर हो रहा है, जो धरती शौर्य की है, वीरता की है, अध्यात्म की है, सामाजिक बदलाव की है, आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारियों की रही है। यह छत्रपति शिवाजी की

धरती है, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का हृदय गर्व से भर जाता है। इस धरती ने बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन चलाये हैं। इस धरती ने आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से समाज और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इस धरती ने आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा दी।

यह धरती अपने आप में आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक सुधारों की धरती रही है। इसलिए पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन भी निर्णायक होगा, कुछ फैसले होंगे और उन फैसलों और निर्णयों से हम हमारे देश की विधायी संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएंगे, विधान मंडलों में पारदर्शिता लाएंगे।

बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर, विधान मंडलों के अंदर नवाचार, नये नियम बनाना और जो वर्तमान समय की चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के समाधान का रास्ता मुंबई की धरती से निकलेगा। मुंबई की धरती से बहुत बड़े फैसले और निर्णय निकले हैं। इसलिए मुंबई के अधिवेशन के फैसलों से बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। इसलिए इस धरती से विशेष रूप से हम सब लोग गौरवान्वित हैं।

इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को सौ वर्ष हो गए हैं। शिमला में 1921 में यह सम्मेलन शुरू हुआ और शिमला में ही हमने सौ वर्ष पूर्ण होने पर वहां सम्मेलन किया। सौ वर्षों में इस विधायी मंच में बहुत चर्चाएं हुईं, संवाद हुए, निर्णय हुए, फैसले हुए। उन निर्णयों और फैसलों से हमने जरूरतों के हिसाब से अपनी विधान मंडलों के अंदर आवश्यक परिवर्तन भी किए हैं। हमारे कार्यक्रम में, हमारी कार्य क्षमताओं में हमने बदलाव किए। इसी चर्चा और संवाद से जो बदलाव हुए हैं, निश्चित रूप से उसके बेहतर परिणाम हुए हैं।

हम सब पीठासीन अधिकारी हैं, इसलिए हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने-अपने विधान मंडलों के अंदर वर्तमान चुनौतियों से निपटते हुए बेहतर कार्यक्रम से विधायी निकायों की क्षमता को बढ़ाएं, जन प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता को बढ़ाएं और वैधानिक संस्थाओं की उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ प्रभाव को भी कायम करें।

इसीलिए आज इस अमृतकाल के युग में हमने देश व राज्यों में बहुत सारे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन विधान मंडलों में हुई चर्चाओं और संवाद से किए हैं।

चर्चा-संवाद, सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र इसलिए विशेष है कि इतने बड़े मतदान की प्रक्रिया होना और आसानी से सत्ता का हस्तांतरण होना दुनिया को अचंभित करने वाला व मार्गदर्शन करने वाला है।

हमने इन विधान मंडलों के माध्यम से चर्चा-संवाद करके कानून बनाए, नीतियां बनाईं, कार्य योजना बनाई और लोगों के जीवन में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन किए।

इसीलिए इन संस्थाओं की महती आवश्यकता है, लोगों की आस्था इन संस्थाओं पर और बढ़े तथा लोग जिस विश्वास व भरोसे के साथ, जिस अपेक्षा व आकांक्षा के साथ जन प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उस समय हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता की अपेक्षाएं-आकांक्षाएं सदनों से ही पूरी हों।

कानून बनाने का काम सदनों से ही होगा। सदनों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए समय-समय पर हम चर्चा करते रहते हैं। मुझे आशा है व हमारी कुछ चिंताएं भी हैं।

हम लगातार पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चिंतन करते रहते हैं। वर्तमान में कुछ चुनौतियां हैं, जिनका समाधान हमें निकालना है।

राजनीतिक दलों से हमें चर्चा-संवाद करना है। विधान सभाओं और विधान परिषदों के अंदर कार्य में तालमेल के साथ बेहतर उत्पादकता और अच्छे परिणाम आएं, जिसका प्रभाव प्रदेश व राज्य की जनता पर पड़े। इसीलिए सदन के अंदर जो चिंताएं हैं, उन पर हमने कई पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में चर्चा की है।

विशेष रूप से आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, वे विषय विधान मंडल पर जनता का विश्वास व भरोसा तथा विधान मंडल के माध्यम से जनता की आशा-अपेक्षाओं को पूरा करने संबंधित हैं।

माननीय सदस्यगण, पिछले 100 सालों में जो 84 पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हुए, तो एक चिंता हमारी हमेशा यह रहती है कि लगातार विधान मंडलों में बैठकों की संख्या घट रही है।

हम सबकी दूसरी चिंता सदन की गरिमा में हो रहा ह्रास है। इस पर बहुत लम्बी डिबेट हुई। हमने भी इस पर 5 साल की लंबी चर्चा की है। कुछ सकारात्मक परिणाम आए भी हैं। आज हम इस सम्मेलन में बैठे हैं, तो कुछ अन्य परिणाम लाने भी पड़ेंगे।

हमने विधान मंडल के माध्यम से कार्य कुशलता में बहुत परिवर्तन किए हैं। आज देश की ज्यादातर विधान सभाएं डिजिटल हो गई हैं। ज्यादातर विधान सभाएं पेपरलेस हो चुकी हैं। ज्यादातर विधान सभाओं में जनप्रतिनिधियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, वे सभी विधान सभाओं ने किए हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो एक विचार लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म का दिया था, उसे हमने आगे भी बढ़ाया है। मेरा सभी विधान सभा अध्यक्षों तथा विधान मंडलों के सभापतियों से आग्रह है कि समयबद्ध तरीके से हम अपनी-अपनी विधान सभा में पुरानी डिबेट, चर्चा, उठाए गए मुद्दों का डिजिटलीकरण करें और उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला दें, ताकि आने वाले समय में एक लेजिस्लेटिव, एक प्लेटफॉर्म हो, जिससे एक प्लेटफॉर्म पर देश की सभी विधान सभाओं की कार्यवाही देश की जनता देख सके। इससे इन विधान मंडलों में पारदर्शिता व जवाबदेही आएगी।

जो नवाचार जिन विधान सभाओं ने बेहतर किए हैं, उनसे प्रेरणा भी मिलेगी। उसके साथ-साथ जिन विधान सभाओं ने अपनी-अपनी विधान सभाओं में नए नवाचार किए हैं, जिन नवाचारों से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आए हैं, उनसे भी हमें सीखने का अनुभव प्राप्त होगा। अत: कुछ विधान सभाओं ने कुछ नई पद्धतियाँ शुरू की हैं। मेरा आग्रह है कि अन्य विधान सभाएं भी इन नई पद्धतियों को अपनाएं। हम लोक सभा, राज्य सभा में भी ऐसा करना चाहते हैं। विधान मंडलों में एक दिन, सभी जन-प्रतिनिधि, जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जिन्होंने समाज में अपने कार्य-आचरण से अपनी कार्य पद्धति से जो-जो परिवर्तन लाए हैं, उसके अनुभव वे विधान सभाओं में साझा करें। उससे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

देश और प्रदेश की जनता को लगेगा कि सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से अपने अनुभवों व नवाचारों से समाज के लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। एक दिन उस चर्चा से विधायक, सांसद अनुभवों व विचारों को समझेंगे और उनको प्रेरणा मिलेगी। धीरे-धीरे ऐसा समय आएगा, जब लोगों का विश्वास हमारे जन-प्रतिनिधियों पर और बढ़ जाएगा।

उनको लगेगा कि ये केवल चुनाव जीतकर विधान सभा नहीं पहुंचे, बल्कि इन्होंने अपने नवाचार से, सामाजिक नैतिक मूल्यों से अपनी-अपनी विधान सभाओं व संसद के माध्यम से लोगों के जीवन में बेहतर परिवर्तन किया है। इसके साथ ही आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन भी किया है तथा सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू करके उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को दिलाने का भी काम किया है।

आज विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारी जो भी विचार रखेंगे, उन विचारों से यह अनुभव मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी विधान सभाओं में नए-नए परिवर्तन किए हैं। कई विधान सभाओं ने महिलाओं को पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दिया है। उन्हें सभापति पैनल पर बैठाया। आने वाले समय के अंदर उन नवाचारों को देश की जनता के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए।

इसी के साथ-साथ शालीनता और गरिमा की हम सभी की चिंताएं हैं। अब नई परंपरा चल गई है सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना। अब परिवर्तन करने का समय आ गया है। ये विधान सभाएं या लोक सभा या राज्य सभा चर्चा और संवाद के लिए है, तर्क के लिए है, बातचीत के लिए है। यहाँ जीतकर आने वाला जनप्रतिनिधि प्रदेश और देश का नेता तभी बनेगा, जब वह सार्थक चर्चा में भाग लेकर अपने विचार, सहमति या असहमति व्यक्त करेगा।

तब ही माननीय जनप्रतिनिधि की एक सकारात्मक छवि बनेगी, उसके कार्य की प्रशंसा होगी और विधान मंडलों में कार्य उत्पादकता भी बढ़ेगी।

सभा में गतिरोध न हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक प्रयास करना चाहिए कि कुछ विधान सभाएं मॉडल विधान सभा बनें, जहां कभी गतिरोध न हो, संवाद हो, केवल चर्चा हो। एक मॉडल विधान सभा से अन्य विधान सभा को प्रेरणा मिलती है। केन्द्रीय विधान मंडल होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि प्रेरणा तो ऊपर से ही मिलेगी।

हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोक सभा के अंदर गतिरोध न हो, प्लेकार्ड न दिखाया जाए, नारेबाजी न हो, बोलने के लिए सबको पर्याप्त अवसर मिले। अपनी बात कहने का अवसर मिले। लेकिन अब समय आ गया है और यह हमें करना पड़ेगा क्योंकि जनता का विश्वास हमारी संस्थाओं के प्रति बढ़ना चाहिए।

जनता को लगना चाहिए कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुनकर भेजा है, वह मेरी अपेक्षाएं, मेरी समस्याओं को लोक सभा और विधान सभाओं में रखेगा और लोक सभा एवं विधान सभा ही उसकी समस्या का निदान कर पाएगी, समाधान कर पाएगी।

इसलिए जो मुद्दे विधान सभा में या लोक सभा में उठते हैं, उन मुद्दों को सरकार भी सकारात्मक रूप से ले। चाहे पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का हो, किसी भी माननीय सदस्य ने कोई विषय उठाया है तो सकारात्मक तरीके से उस समस्या का समाधान करेंगे और धीरे-धीरे जनता में इन विधान मंडलों की विशिष्टता और प्रामाणिकता और बढ़ जाएगी। दूसरा विषय हमारी संसदीय समितियों का है, जिसके लिए हम समय-समय पर चर्चा करते रहते हैं, कि संसदीय समितियों को किस प्रकार उपयोगी और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है।

संसदीय समितियां अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर चर्चा और संवाद करती हैं। मैंने उनकी कई रिपोर्ट देखी हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसदीय समितियों ने जो रिपोर्ट दी है, उससे देश और प्रदेशों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आया है। कार्यपालिका में जवाबदेही आयी है, पारदर्शिता आई है, करप्शन कम हुआ है और कई नीतियां और फैसले उन संसदीय समितियों के फैसले और सुझावों पर बने हैं। कई कानून संसदीय समितियों के सुझावों पर बने हैं। इसलिए हमारी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। जो रिपोर्ट आए, उस रिपोर्ट पर क्या एक्शन हुआ, उसकी लगातार मॉनिटरिंग भी हमें करनी चाहिए ताकि एक बेहतर कार्यकरण होगा और उसके बेहतर परिणाम आएंगे। और जब कानून बनाने का सवाल आएगा, तो जो इनपुट उस संसदीय समिति ने दिया है, उसके आधार पर कानून बनेंगे तो इससे जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इन सारे विषयों पर हम दो दिन तक चर्चा करेंगे।

मुझे आशा है कि मुंबई के इस अधिवेशन के माध्यम से कुछ निर्णायक फैसले, कुछ ठोस विचार, हम यहां से लेकर जाएंगे जैसे हमारी विधान मंडलों को जनता के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेह बनाना, जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना और जनप्रतिनिधियों में नैतिक आचरण, मर्यादा और कुशलता आए।

अभी सोशल मीडिया का जमाना भी है। हमारी यह अपेक्षा भी रहेगी कि सदन और सदन के बाहर जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सकारात्मक तरीके से उपयोग करें। विधान मंडलों की गरिमा के अनुरूप आचरण और व्यवहार करें। केवल उस सदन में ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी हमारे जनप्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार को जनता देखती है। उसी नैतिकता को जनता देखती है।

इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधियों की नैतिकता, उनका आचार व्यवहार ऐसा सहज और सरल हो कि देश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रति जनता का विश्वास और भरोसा और बढ़े। आज यही सवाल है कि जितनी बेहतर विधान मंडलों के अंदर हम कार्यवाही करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों का विश्वास और भरोसा उतना ही बढ़ेगा।

बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान कितना भी बेहतर हो ले, कितना भी अच्छा क्यों न हो, संविधान को मानने वाले और उनका अनुसरण करने वाले लोग कैसे हैं, उस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। हम सभी का दायित्व है कि हम विधान मंडलों को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएंगे और हमारे जनप्रतिनिधियों के आचरण, व्यवहार और मर्यादाओं की नैतिकता को और पारदर्शी और जवाबदेह बनाएंगे।

उनके आचरण व्यवहार में जो कुछ भी शुद्धता लानी है, उसके लिए सामूहिक प्रयास करेंगे। और अच्छे अनुभवों और अच्छे कार्यों की प्रेरणा अन्य जनप्रतिनिधियों को मिले, इसके लिए विधान मंडलों का उपयोग हो। यहां दो दिनों की चर्चा से जो परिणाम निकलेंगे, निश्चित रूप से उस परिणाम के आधार पर हम देश की विधान मंडलों और लोकतांत्रिक मूल्यों को और सशक्त एवं मजबूत करेंगे। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष का एआईपीओसी में समापन भाषण

लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 28 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधान सभा, मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (एआईपीओसी) के समापन सत्र को संबोधित करते हुए।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी,

महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री रमेश बैस जी,

राज्य सभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी,

महाराष्ट्र विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी,

महाराष्ट्र विधान परिषद की माननीय उपसभापति डॉ. नीलम गोरे जी,

महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी,

विधान सभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय वडेत्तिवार जी,

राज्य सभा एवं लोक सभा के महासचिव,

माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण,

उपस्थित गण्यमान्य अतिथियो, देवियो और सज्जनो,

दो दिनों में इस सम्मेलन में यहाँ के एजेंडे पर समृद्ध, सारगर्भित और ज्ञानवर्धक चर्चा हुई है। हमने इस सम्मेलन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी चर्चाओं को केंद्रित किया और लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षक के रूप में अपनी मौलिक जिम्मेदारियों पर संवाद किया।

इन संस्थानों में लोगों के विश्वास को मजबूत करना हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु रहा है। आपने इस दायित्व के प्रति जो समर्पण दिखाया है, उसे देखकर मुझे खुशी हो रही है।

जब इस मंच की शुरुआत की गई थी, तो हमारा मूल उद्देश्य यही था कि किस प्रकार हम लोकतांत्रिक संस्थानों में हमारे नागरिकों के विश्वास को मजबूत करें।

अपने विचार-विमर्श में हमने अपने लोकतांत्रिक संस्थानों को जनता से जोड़ने और उन्हें अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की।

लोकतंत्र जनता के भरोसे और विश्वास से चलता है और इसलिए लोकतांत्रिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी विधायिकाओं में आवश्यक परिवर्तन लाएं, आवश्यकता हो, तो नियमों में भी संशोधन करें ताकि हम अपनी संस्थाओं को जनता के भरोसे के योग्य बना सकें।

मुझे खुशी है कि सम्मेलन के दौरान आपने अपनी-अपनी विधान मंडलों में किये जा रहे सर्वोत्तम प्रथाओं को आपस में साझा किया।

महाराष्ट्र विधान सभा विधायिका में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1964 से ही युवाओं को विधान सभा में आमंत्रित करती रही है ताकि वे विधान मंडल की कार्यवाही को प्रत्यक्ष देख सकें। मेरे विचार में यह एक महत्वपूर्ण नवाचार है और सभी विधान मंडलों को इसका अनुसरण करना चाहिए। तमिलनाडु विधान सभा द्वारा विधान मंडलों और जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थानों के बीच संवाद का एक तंत्र स्थापित करने का सुझाव दिया गया।

मेरे विचार में यह अत्यंत उत्तम सुझाव है। लोक सभा द्वारा इस संदर्भ में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं। मेरे विचार में सभी विधायिकाओं को इस सुझाव पर विचार करना चाहिए। अपनी विधायिकाओं को पेपरलेस बनाना एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है। महाराष्ट्र विधान मंडल पेपरलेस विधायिका बनने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। हरियाणा ने भी इस दिशा में सफलता प्राप्त की है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संदेश में 'वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म' के विषय में उल्लेख किया था। लोक सभा ने डिजिटल संसद के माध्यम से इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। कई विधान सभाएं भी इस प्लेटफॉर्म से सफलतापूर्वक जुड़ चुकी हैं।

टेक्नोलॉजी आज की अनिवार्य आवश्यकता है। चर्चा में कुछ विधान मंडलों ने इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हम उस पर आगे और चर्चा करेंगे और शीघ्र ही एक कार्य योजना बनाएंगे। इस कार्य योजना को सभी विधायिकाओं से साझा किया जाएगा।

कई विधान सभाओं ने अपने रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ कर लिया है और कई विधायिकाओं में इसमें अच्छी प्रगति हुई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने से हम वित्तीय बचत तो कर ही पाएंगे, साथ ही हम जनता से, विशेषकर युवाओं से प्रभावी तरीके से जुड़ भी पाएंगे। कुछ विधान सभाओं द्वारा माननीय सदस्यों को टेक्नोलॉजी के कारण होने वाली कठिनाई का भी उल्लेख किया गया। परंतु मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी का मार्ग ही भविष्य का मार्ग है और हमें जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए विधान मंडलों में नियमित रूप से क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएं।

इस संदर्भ में कुछ राज्यों ने सुझाव दिए हैं कि लोक सभा द्वारा विधायिकाओं के लिए एक मॉडल आईटी पॉलिसी बनाई जाए और उसे सभी विधान मंडलों के साथ साझा किया जाए। हम इस विषय पर आगे चर्चा कर निर्णय लेंगे। एक सुझाव यह भी आया है कि संविधान की दसवीं अनुसूची को लेकर एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाए। हमने इस विषय पर इस मंच पर तथा अन्य मंचों पर भी पहले भी चर्चा की है और इस पर आगे भी चर्चा की जा सकती है। कुछ सदस्यों ने हमारी विधायिकाओं के सीधे प्रसारण के विषय पर प्रश्न उठाए हैं। पीठासीन अधिकारियों द्वारा कार्यवाही से निकाले हुए अंशों का प्रसारण भी हमारे लिए टेक्नोलॉजी से सम्बद्ध चुनौती है। इस पर हम सामूहिकता से चर्चा कर एक निश्चित निर्णय पर पहुचेंगे।

कल हमने अपनी विधायिकाओं में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया था। आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि व्यवधान के कारण हमारे सदनों का अधिक समय नष्ट हो जाता है। इसलिए हम कार्य योजना बनाएं, रणनीति बनाएं ताकि हमारे सदनों का समय व्यर्थ ना हो, बल्कि जनता के कल्याण के लिए चर्चा संवाद करने में सदन के समय का उपयोग हो। बलपूर्वक एवं नियोजित स्थगन की घटनाएं और व्यवधानों के कारण बहुमूल्य संसदीय समय की हानि वास्तव में हम सभी के लिए चिंता का विषय है। कल हमने इस विषय पर चिंता जताई थी कि हमारे विधान मंडलों के कार्य दिवस लगातार कम हो रहे हैं और ऐसे में यदि व्यवधान के कारण विधायी कार्य नहीं हो पाता है, तो आम जनता में विधायिका के प्रति नकारात्मक अवधारणा उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

यह देश के नागरिकों के लिए चिन्ता का विषय है कि विधान मंडलों में विचार-विमर्श एवं चर्चा कम हो रही है, अनुशासन और शिष्टाचार में गिरावट आ रही है और अशांति और व्यवधान बढ़ रहा है। इससे विधान मंडलों की छवि पर असर पड़ रहा है।

हमने इस सम्मेलन में समिति-प्रणाली को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाने की अनिवार्यता पर विचार-विमर्श किया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कल अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। न्यायपालिका से सजा प्राप्त अपराधियों का सामाजिक महिमामंडन, समितियों का सशक्तिकरण, पुराने और सार्थकता खो चुके कानूनों का समापन, विधायिकाओं में महिलाओं की अधिक भूमिका, आदि ऐसे विषय हैं जिस पर हमें गहन विचार करने की आवश्यकता है।

विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर संवाद एवं सहयोग के लिए हमें और अधिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए हमारी विधायिकाओं को अग्रिम रूप से सक्रिय होना होगा तथा देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक सुझाव देने होंगे।

समितियाँ हमारी संसदीय प्रक्रियाओं की जीवनधारा हैं। उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाकर, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे प्रभावी शासन और कार्यपालिका की निगरानी के लिए शक्तिशाली साधन बनें। समितियों में युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी किस प्रकार बढ़ाई जाए, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। समितियों को हमें और सशक्त करना होगा और इसके लिए यदि नियमों में संशोधन करना पड़े, तो हमें ऐसे संशोधन भी करने होंगे।

अपने सदनों में नए सदस्यों का उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करें कि जो सदस्य उनके सदनों में पहली बार चुनकर आए हैं, उनको पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त हो। संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दी जाए, उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हों। इस विषय पर भी विधान मंडलों में एक निश्चित कार्य योजना बनाई जाए।

हमें अपने सदनों में श्रेष्ठ परंपराओं और परिपाटियों को स्थापित करने पर निरंतर चर्चा करनी चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सदन जनता से बनता है, इसलिए जनता का हित सर्वोपरि है।

मुझे विश्वास है कि यहां मुंबई में इस मंच से लिए गए निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में हमारी भूमिकाओं को और मजबूत करेंगे।

हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करें जहां लोकतांत्रिक संस्थाएं विश्वास, अखंडता और उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में खड़ी हों।

मुंबई विधान सभा ने अपनी जीवंत भावना से हमारी चर्चाओं के लिए एक प्रेरणादायक पृष्ठभूमि प्रदान की है।

साथियों, मैं सभी प्रतिनिधियों को उनकी सक्रिय भागीदारी, विचारशील अंतर्दृष्टि और उनके महत्वपूर्ण इनपुट के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

इस सम्मेलन की सफलता लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के आदर्शों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता में निहित है।

मैं महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी का तथा विधान परिषद की उपसभापति श्रीमती नीलम गोरे जी का इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए तथा उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आयोजकों, सहयोगी स्टॉफ और इसमें शामिल सभी लोगों की हार्दिक सराहना करता हूं।

इस सम्मेलन में भाग लेने आए पीठासीन अधिकारियों को भी मेरा धन्यवाद कि उन्होंने इस सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी की और इसे सफल बनाने में अपना सम्पूर्ण योगदान दिया।

जय हिन्द!

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का दिनांक 31 जनवरी 2024 को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को अभिभाषण

भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। चुनावी वर्ष में, राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव (नई लोक सभा के गठन के पश्चात) के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में संसद को संबोधित करते हैं।

संसद में राष्ट्राध्यक्ष के अभिभाषण का प्रावधान वर्ष 1921 में तब किया गया जब भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत पहली बार केन्द्रीय विधान मंडल का गठन किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अन्तर्गत, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों को समवेत संबोधित कर सकते हैं और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षित होती है। अनुच्छेद 87(1) में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगें और संसद को सत्र आहूत करने के कारण भी बताएंगे।

राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों का विवरण होता है। इसमें विगत वर्ष के दौरान सरकार के कार्यकलापों और उपलब्धियों की समीक्षा के साथ-साथ उन नीतियों का निर्धारण भी शामिल होता है जिन्हें सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में आगे बढ़ाना चाहती है। इसमें विधायी कार्यों की उन मुख्य मदों को भी दर्शाया जाता है जिन्हें उस वर्ष होने वाले सत्रों के दौरान संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का प्रस्ताव हो।

भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी 2024 को संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया।

हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का पाठ नीचे पुनः उद्धृत कर रहे हैं।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का दिनांक 31 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करने के लिए संसद भवन के लोक सभा कक्ष में आगमन।

माननीय सदस्यगण,

इस नए संसद भवन में यह मेरा पहला संबोधन है। "*आज़ादी के अमृतकाल*" की शुरुआत में यह भव्य भवन बना है। यहां *'एक भारत श्रेष्ठ भारत'* की महक भी है और भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें, हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही, 21वीं सदी के नए भारत के लिए, नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आज़ादी के *अमृतकाल* में *'विकसित भारत'* का निर्माण करेंगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूं।

माननीय सदस्यगण,

यह हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्ष है। इसी कालखंड में आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव, *अमृत महोत्सव* भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देशभर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 वर्ष बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतन्त्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया।

इस उत्सव के दौरान *'मेरी माटी, मेरा देश'* अभियान के अन्तर्गत, देशभर के हर गाँव की मिट्टी के साथ *अमृत कलश* दिल्ली लाए गए। 2 लाख से अधिक शिला-फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने *'पंच प्राण'* की शपथ ली। 70 हजार से अधिक *अमृत सरोवर* का निर्माण किया गया। 2 लाख से ज्यादा "*अमृत वाटिकाओं*" का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़-पौधे लगाए गए। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की।

अमृत महोत्सव के दौरान ही "*कर्तव्य पथ*" पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयसला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए। "*साहिबज़ादे*" की याद में *वीर बाल दिवस* घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को "*जनजातीय गौरव दिवस*" घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए, 14 अगस्त को *"विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस"* घोषित किया गया।

माननीय सदस्यगण,

बीता वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। इस दौरान देशवासियों का गौरव बढ़ाने वाले अनेक पल आए। दुनिया में गंभीर संकटों के बीच भारत सबसे तेज़ी से विकसित होती बड़ी अर्थव्यवस्था बना। लगातार दो क्वार्टर में भारत की विकास दर 7.5 प्रतिशत से ऊपर रही है। भारत, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर झंडा फहराने वाला पहला देश बना। भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया, धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक जी-20 सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियाई खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। पैरा एशियाई खेलों में भी 100 से अधिक मेडल जीते। भारत को अपना सबसे बड़ा समुद्री-पुल, *अटल सेतु* मिला। भारत को अपनी पहली *नमो भारत* ट्रेन तथा पहली *अमृत भारत* ट्रेन मिली। भारत, दुनिया में सबसे तेज़ी से 5जी रोलआउट करने वाला देश बना। भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील की। पिछले साल भी, मेरी सरकार ने, मिशन मोड में, लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दी है।

माननीय सदस्यगण,

बीते 12 महीनों में मेरी सरकार अनेक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर भी आई। ये विधेयक, आप सभी संसद सदस्यों के सहयोग से आज कानून बन चुके हैं। ये ऐसे कानून हैं जो *'विकसित भारत'* के संकल्प की सिद्धि का मजबूत आधार हैं। 3 दशक बाद, *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* पारित करने के लिए मैं आपकी सराहना करती हूं। इससे लोक सभा और विधान सभा में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित हुई है। यह वीमेन लेड डेवलपमेंट के मेरी सरकार के संकल्प को मजबूत करता है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने कमिटमेंट को मेरी सरकार ने लगातार जारी रखा है। गुलामी के कालखंड से प्रेरित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब इतिहास हो गया है। अब दंड को नहीं, अपितु न्याय को प्राथमिकता है। 'न्याय सर्वोपरि' के सिद्धांत पर नई *न्याय संहिता* देश को मिली है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम से डिजिटल स्पेस और सुरक्षित होने वाला है। "अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम" से देश में रिसर्च और इनोवेशन को बल मिलेगा। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से, वहां भी जनजातीय समुदायों को प्रतिनिधित्व का

अधिकार मिलेगा। इस दौरान सेंट्रल यूनिवर्सिटी कानून में भी संशोधन किया गया। इससे तेलंगाना में समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता सुगम हुआ। पिछले वर्ष 76 अन्य पुराने कानूनों को भी हटाया गया है। मेरी सरकार परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर युवाओं की चिंता से अवगत है। इसलिए ऐसे गलत तरीकों पर सख्ती के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

माननीय सदस्यगण,

कोई भी राष्ट्र, तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह पुरानी चुनौतियों को परास्त करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य-निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में, भारत ने राष्ट्र-हित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी। आज यह सच हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने को लेकर शंकाएं थीं। आज वे इतिहास हो चुकी हैं। इसी संसद ने *'तीन तलाक'* के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया। इसी संसद ने हमारे पड़ोसी देशों से आए पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने वाला कानून बनाया। मेरी सरकार ने 'वन रैंक वन पेंशन' को भी लागू किया, जिसका इंतजार चार दशकों से था। वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद अब तक पूर्व सैनिकों को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। भारतीय सेना में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी हुई है।

माननीय सदस्यगण,

उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की अमर पंक्तियां असीम राष्ट्र प्रेम की भावना का सदा संचार करती हैं। उन्होंने कहा था:

मिशु मोर देह ए देश माटिरे,
देशबासी चालि जाआन्तु पिठिरे।
देशर स्वराज्य-पथे जेते गाड़,
पूरु तहिं पड़ि मोर मांस हाड़।

अर्थात्

मेरा शरीर इस देश की माटी के साथ मिल जाए,
देशवासी मेरी पीठ पर से चलते चले जाएं,
देश के स्वराज्य-पथ में जितनी भी खाइयां हैं,
वे मेरे हाड़-मांस से पट जाएं।

इन पंक्तियों में हमें कर्तव्य की पराकाष्ठा दिखती है, 'राष्ट्र सर्वोपरि' का आदर्श दिखाई देता है।

ये उपलब्धियां जो आज दिख रही हैं, वे बीते 10 वर्षों की साधना का विस्तार हैं। हम सभी बचपन से *'गरीबी हटाओ'* के नारे सुनते आ रहे थे। अब हम जीवन में पहली बार बड़े पैमाने पर गरीबी को दूर होते देख रहे हैं। नीति आयोग के अनुसार, मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में, करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। यह प्रत्येक गरीब में नया विश्वास जगाने वाली बात है। जब 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर हो सकती है तो उसकी भी गरीबी दूर हो सकती है।

आज अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों को देखें तो यह विश्वास बढ़ता है कि भारत सही दिशा में है तथा सही निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है। बीते 10 वर्षों में हमने भारत को "फ्रैजाइल फाइव" से निकलकर, "टॉप फाइव" इकॉनॉमीज़ में शामिल होते देखा है। भारत का निर्यात, करीब 450 बिलियन डॉलर से बढ़कर 775 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। पहले की तुलना में एफडीआई दोगुना हुआ है। खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या, करीब सवा 3 करोड़ से बढ़कर लगभग सवा 8 करोड़ हो चुकी है; यह बढ़ोतरी, दो गुना से भी कहीं अधिक है।

एक दशक पहले देश में केवल कुछ सौ स्टार्ट-अप थे जो आज बढ़कर 1 लाख से अधिक हो गए हैं। साल में 94 हज़ार कंपनियां रजिस्टर हुईं थीं। पिछले वर्ष, यह संख्या 1 लाख 60 हज़ार तक पहुंच चुकी है। दिसंबर 2017 में, 98 लाख लोग जीएसटी देते थे, आज इनकी संख्या 1 करोड़ 40 लाख है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में, लगभग 13 करोड़ वाहन बिके थे। पिछले 10 वर्षों में, देशवासियों ने 21 करोड़ से अधिक वाहन खरीदे हैं। 2014-15 में, लगभग 2 हज़ार इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। जबकि 2023-24 में दिसंबर माह तक ही लगभग 12 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं।

माननीय सदस्यगण,

बीते दशक में, मेरी सरकार ने सुशासन और पारदर्शिता को हर व्यवस्था का मुख्य आधार बनाया है। इसी का परिणाम है कि हम बड़े आर्थिक सुधारों के साक्षी बने हैं। इस दौरान देश को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड मिला है। देश को जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स कानून मिला है। मेरी सरकार ने मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी सुनिश्चित की है। 10 वर्षों में, कैपेक्स 5 गुना बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया है। साथ ही, फिस्कल डेफिसिट भी नियंत्रण में है। आज हमारे फोरेक्स रिज़र्व 600 अरब डॉलर से ज्यादा हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम जो पहले बुरी तरह से चरमराया था, वह आज दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना है। बैंकों का एनपीए जो कभी डबल डिजिट में होता था, वह आज लगभग 4 प्रतिशत ही है। मेक इन इंडिया और *आत्मनिर्भर भारत* अभियान हमारी ताकत बन चुके हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश है। पिछले एक दशक के दौरान मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। कुछ साल पहले भारत खिलौने आयात करता था, आज मेड इन इंडिया खिलौने निर्यात कर रहा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन एक लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। आज हर भारतीय, देश में बने एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत को देखकर, गर्व से भरा हुआ है। लड़ाकू विमान तेजस अब हमारी वायुसेना की ताकत बन रहे हैं। सी-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में होने जा रहा है। आधुनिक एयरक्राफ्ट इंजन भी भारत में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेन्स कॉरिडोर का विकास हो रहा है। मेरी सरकार ने डिफेंस सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की है। स्पेस सेक्टर को भी हमारी सरकार ने युवा स्टार्ट-अप्स के लिए खोल दिया है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार, वेल्थ क्रिएटर्स का सम्मान करती है तथा भारत के प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर विश्वास करती है। भारत में बिजनेस करना आसान हो, इसके लिए उपयुक्त माहौल रहे, इस पर भी मेरी सरकार लगातार काम कर रही है। *ईज ऑफ डूइंग बिजनेस* में लगातार सुधार हो रहा है। बीते कुछ वर्षों में 40 हजार से ज्यादा कंप्लायंस हटाए या सरल किये गए। कंप्लायंस एक्ट तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में 63 प्रावधानों को अपराध की सूची से बाहर किया गया। जन विश्वास अधिनियम द्वारा 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। अदालत के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु, मध्यस्थता पर कानून बनाया गया है। वन और पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस मिलने में जहां 600 दिन लगते थे, वहीं आज 75 दिन से भी कम समय लगता है। फेसलेस असेसमेंट योजना से टैक्स व्यवस्था में और पारदर्शिता आई है।

माननीय सदस्यगण,

हमारे एमएसएमई सेक्टर को भी, रिफॉर्म्स का बहुत अधिक लाभ हो रहा है। आप अवगत हैं कि हमारे एमएसएमई में आज करोड़ों देशवासी काम कर रहे हैं। एमएसएमई और लघु उद्यमियों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार किया गया है। नई परिभाषाओं में, निवेश और टर्न-ऑवर को समाहित किया गया है। आज उद्यम और उद्यम असिस्ट पोर्टल पर लगभग साढ़े 3 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं। बीते वर्षों में, एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत करीब 5 लाख करोड़ की गारंटी स्वीकृत की गई है। यह 2014 से पहले के दशक से, 6 गुना अधिक है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार का एक और बड़ा रिफॉर्म, डिजिटल इंडिया का निर्माण है। डिजिटल इंडिया ने भारत में जीवन और बिजनेस, दोनों को बहुत आसान बना दिया है। आज पूरी दुनिया मानती है कि यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विकसित देशों में भी भारत जैसा डिजिटल सिस्टम नहीं है। गांवों में भी सामान्य खरीद-बिक्री डिजिटल तरीके से होगी, यह

कुछ लोगों की कल्पना से भी परे था। आज दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल लेनदेन का 46 प्रतिशत भारत में होता है। पिछले महीने यूपीए से रिकॉर्ड 1200 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके तहत 18 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेनदेन हुआ है। दुनिया के दूसरे देश भी आज यूपीए से ट्रांजेक्शन की सुविधा दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया के कारण बैंकिंग आसान हुई है और लोन देना भी सरल हुआ है। जनधन आधार मोबाइल (जेएएम) की त्रिशक्ति से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिली है। मेरी सरकार अब तक 34 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से ट्रांसफर कर चुकी है। जनधन आधार मोबाइल (जेएएम) के कारण करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर किए गए हैं। इससे पौने 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं डिजिलॉकर की सुविधा भी जीवन को आसान बना रही है। इसमें अभी तक यूजर्स के 6 बिलियन से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जारी हुए हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के तहत लगभग 53 करोड़ लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बन चुकी है।

माननीय सदस्यगण,

डिजिटल के साथ-साथ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश हुआ है। आज भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसका सपना हर भारतीय देखता था। पिछले 10 वर्षों के दौरान गांवों में पौने 4 लाख किलोमीटर नई सड़कें बनीं हैं। नेशनल हाईवे की लंबाई, 90 हजार किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख 46 हजार किलोमीटर हुई है। फोर-लेन नेशनल हाइवे की लंबाई ढाई गुना बढ़ी है। हाई-स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 500 किलोमीटर थी, जो आज 4 हजार किलोमीटर है। एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से दो गुना बढ़कर 149 हो चुकी है। देश के बड़े बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी दोगुनी हो गई है। ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 14 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश की लगभग 2 लाख गांव पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा चुका है। 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स भी खुले हैं जो रोजगार का बड़ा माध्यम बने हैं। देश में 10 हजार किलोमीटर गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई है। वन नेशन, वन पावर ग्रिड से, बिजली की व्यवस्था में सुधार हुआ है। वन नेशन, वन गैस ग्रिड से, गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। सिर्फ 5 शहरों तक सीमित मेट्रो की सुविधा आज 20 शहरों में है। 25 हजार किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बिछाए गए। यह कई विकसित देशों के कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई से ज्यादा है। भारत, रेलवे के शत-प्रतिशत बिजलीकरण के बहुत निकट है। इस दौरान भारत में पहली बार सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरु हुई हैं। आज 39 से ज्यादा रूट्स पर *वंदे भारत* ट्रेनें चल रही हैं। *अमृत भारत* स्टेशन योजना के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार मानती है कि *'विकसित भारत'* की भव्य इमारत 4 मज़बूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ हैं - युवाशक्ति, नारीशक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। इसलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। इस पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपये खर्च किये गए। लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा है। इस पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हाल में ही 10 करोड़ *उज्ज्वला के गैस* कनेक्शन पूरे हुए हैं। आज इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस भी दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा ढाई लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है। मेरी सरकार का प्रयास है कि हर योजना का तेज़ी से सैचुरेशन हो। कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर से *विकसित भारत संकल्प यात्रा* चल रही है। अभी तक इस यात्रा से करीब 19 करोड़ देशवासी जुड़ चुके हैं।

माननीय सदस्यगण,

बीते वर्षों में विश्व ने दो बड़े युद्ध देखे और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया। ऐसे वैश्विक संकटों के बावजूद मेरी सरकार ने देश में महंगाई को काबू में रखा, सामान्य भारतीय का बोझ नहीं बढ़ने दिया। 2014 से पहले के 10 वर्षों में औसत महंगाई दर 8 प्रतिशत से अधिक थी। पिछले दशक में औसत महंगाई दर 5 प्रतिशत रही। मेरी सरकार का प्रयास रहा है कि सामान्य देशवासी की जेब में अधिक से अधिक बचत कैसे हो। पहले भारत में 2 लाख रुपए की आय पर टैक्स लग जाता था। आज भारत में 7 लाख रुपए तक की आय पर भी टैक्स नहीं लगता। टैक्स छूट और रिफॉर्म्स के

कारण भारत के टैक्सपेयर्स को 10 साल में करीब ढाई लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। आयुष्मान योजना के अलावा भी केंद्र सरकार, विभिन्न अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। इससे देश के नागरिकों के साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। *जन-औषधि केंद्रों* की वजह से मरीजों के करीब 28 हजार करोड़ रुपए खर्च होने से बचे हैं। कोरोनोरी स्टेंट, घुटने के इंप्लांट तथा कैंसर की दवाओं की कीमत भी कम की गई है। इससे मरीज़ों को हर वर्ष लगभग 27 हजार करोड़ रुपए की बचत हो रही है। मेरी सरकार, किडनी के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस का अभियान भी चला रही है। इसका लाभ प्रतिवर्ष 21 लाख से ज्यादा मरीज उठा रहे हैं। इनके प्रतिवर्ष एक लाख रुपए खर्च होने से बचे हैं। गरीबों को सस्ता राशन मिलता रहे, इसके लिए मेरी सरकार ने पिछले दशक में करीब 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। भारतीय रेल में यात्रा के लिए रेलवे, प्रत्येक टिकट पर, करीब 50 प्रतिशत डिस्काउंट देती है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को हर वर्ष 60 हजार करोड़ रुपए की बचत होती है। गरीब और मध्यम वर्ग को कम कीमत पर हवाई टिकट मिल रहे हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग को हवाई टिकटों पर 3 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत हुई है। एलईडीबल्ब की योजना के कारण, बिजली के बिलों में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। *जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना* के तहत, गरीबों को 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की क्लेम राशि मिली है।

माननीय सदस्यगण,

नारी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड भी नारी शक्ति के लिए समर्पित थी। इस परेड में दुनिया ने हमारी बेटियों के सामर्थ्य की झलक देखी। मेरी सरकार ने जल, थल, नभ और अंतरिक्ष, हर तरफ बेटियों की भूमिका का विस्तार किया है। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। आज लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ चुकी हैं। इन समूहों को 8 लाख करोड़ रुपए बैंक लोन और 40 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। मेरी सरकार 2 करोड़ महिलाओं को *लखपति दीदी* बनाने का अभियान चला रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, समूहों को 15 हजार ड्रोन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से देश की लाखों महिलाओं को बहुत मदद मिली है। मेरी सरकार ने महिलाओं को पहली बार सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन दिया है। पहली बार सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला कैडेट्स को प्रवेश दिया गया है। आज महिलाएं फाइटर पायलट भी हैं और नौसेना के जहाज को भी पहली बार कमांड कर रही हैं। *मुद्रा योजना* के तहत जो 46 करोड़ से ज्यादा लोन दिए गए हैं उनमें करीब 31 करोड़ से ज्यादा लोन महिलाओं को मिले हैं। इस योजना से लाभ लेकर करोड़ों महिलाओं ने स्वरोजगार शुरु किया है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार आज खेती को अधिक लाभकारी बनाने पर बल दे रही है। हमारा यह प्रयास है कि खेती में लागत कम हो और लाभ अधिक हो। मेरी सरकार ने पहली बार 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को भी देश की कृषि नीति और योजनाओं में प्रमुखता दी है। पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 2 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपए, किसानों को मिल चुके हैं। 10 सालों में किसानों के लिए बैंक से आसान लोन में 3 गुना वृद्धि की गई है। *प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना* के तहत किसानों ने 30 हज़ार करोड़ रुपए प्रीमियम भरा। इसके बदले उन्हें डेढ़ लाख करोड़ रुपए का क्लेम मिला है। पिछले 10 वर्षों में, लगभग 18 लाख करोड़ रुपए एमएसपी (न्यूनतम समर्थित मूल्य) के रूप में धान और गेहूं की खेती करने वाले किसानों को मिले हैं। यह 2014 से पहले के 10 सालों की तुलना में ढाई गुना अधिक है। पहले तिलहन और दलहन फसलों की सरकारी खरीद नहीं के बराबर थी। पिछले दशक में तिलहन और दलहन की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी के रूप में सवा लाख करोड़ रुपए मिले हैं। यह मेरी ही सरकार है जिसने पहली बार देश में कृषि निर्यात नीति बनाई है। इससे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। किसानों को सस्ती खाद मिले, इसके लिए 10 सालों में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। मेरी सरकार ने पौने दो लाख से ज्यादा *प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र* स्थापित किए हैं। अभी तक लगभग 8 हज़ार किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) बनाए जा चुके हैं। मेरी सरकार कृषि में सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। इसलिए, देश में पहली बार सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। सहकारी क्षेत्र में, दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई है। जिन गांवों में सहकारी समितियां नहीं हैं, वहां 2 लाख समितियां बनाई जा रही हैं। मत्स्यपालन क्षेत्र में 38 हजार करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसके

कारण मत्स्य उत्पादन पिछले दस साल में 95 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 175 लाख मीट्रिक टन यानी लगभग दोगुना हो गया है। इनलैंड फिशरीज का उत्पादन 61 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 131 लाख मीट्रिक टन हो गया। मत्स्यपालन क्षेत्र में निर्यात भी 30 हजार करोड़ रुपए से बढकर 64 हजार करोड़ रुपए तक, यानी दोगुने से ज्यादा बढ़ा है। देश में पहली बार पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। पिछले दशक में, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 40 प्रतिशत बढ़ी है। पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए पहली बार मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है। अब तक, चार चरणों में, 50 करोड़ से ज्यादा टीके पशुओं को दिए जा चुके हैं।

माननीय सदस्यगण,

जनकल्याण की ये जितनी भी योजनाएं हैं, ये सिर्फ सुविधाएं भर नहीं हैं। इनका देश के नागरिकों के पूरे जीवन-चक्र पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा, मेरी सरकार की योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इनके परिणाम बहुत ही प्रभावकारी हैं और गरीबी से लड़ रहे दुनिया के हर देश को प्रेरित करने वाले हैं। बीते वर्षों में विभिन्न संस्थाओं के अध्ययन में सामने आया है कि 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण और खुले में शौच बंद होने से, अनेक बीमारियों की रोकथाम हुई है। इससे शहरी क्षेत्र के हर गरीब परिवार को इलाज पर प्रति वर्ष 60 हजार रुपए तक की बचत हो रही है। पाइप से शुद्ध पेयजल मिलने से भी प्रतिवर्ष लाखों बच्चों की जान बच रही है। *पीएम आवास योजना* के अंतर्गत बनने वाले पक्के घरों से लाभार्थी परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा और गरिमा बढ़ी है। पक्के घरों में बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है और ड्रॉप आउट की दर में कमी आयी है। *प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान* की वजह से आज देश में शत- प्रतिशत संस्थागत प्रसव हो रहे हैं। इस वजह से माता मृत्यु दर में भी भारी गिरावट आई है। एक और अध्ययन के अनुसार, *उज्ज्वला* योजना के लाभार्थी परिवारों में, गंभीर बीमारी की घटनाओं में कमी आई है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार, मानव केंद्रित विकास पर बल दे रही है। हमारे लिए हर नागरिक की गरिमा सर्वोपरि है। यही सामाजिक न्याय की हमारी अवधारणा है। भारत के संविधान के हर अनुच्छेद का संदेश भी यही है। हमारे यहां लंबे समय तक सिर्फ अधिकारों पर चर्चा होती थी। हमने सरकार के कर्तव्यों पर भी बल दिया। इससे नागरिकों में भी कर्तव्य-भाव जागा। आज अपने-अपने कर्तव्य के पालन से हर अधिकार की गारंटी का भाव जागृत हुआ है।

मेरी सरकार ने उनकी भी सुध ली है, जो अब तक विकास की धारा से दूर रहे हैं। ऐसे हजारों आदिवासी गांव हैं जहां बीते 10 वर्षों में पहली बार बिजली और सड़क पहुंची है। लाखों आदिवासी परिवारों को अब जाकर पाइप से शुद्ध पानी मिलना शुरू हुआ है। विशेष अभियान के तहत मेरी सरकार, हजारों आदिवासी बहुल गांवों में 4जी इंटरनेट सुविधा भी पहुंचा रही है। *वन धन केंद्रों* की स्थापना और 90 से ज्यादा वन-उपज पर एमएसपी दिए जाने से, आदिवासियों को बहुत लाभ हुआ है। मेरी सरकार ने पहली बार, जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों की सुध ली है। उनके लिए लगभग 24 हज़ार करोड़ रुपए की *पीएम जनमन योजना* बनाई है। आदिवासी परिवारों की अनेक पीढ़ियां सिकल सेल अनीमिया से पीड़ित रही हैं। पहली बार इसके लिए राष्ट्रीय मिशन शुरु किया गया है। अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। *"दिव्यांगजनों"* के लिए भी मेरी सरकार ने *'सुगम्य भारत अभियान'* चलाया है। साथ ही, भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई हैं। ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु भी कानून बनाया गया है।

माननीय सदस्यगण,

हमारे यहां विश्वकर्मा परिवारों के बिना, दैनिक जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। ये परिवार, पीढ़ी दर पीढ़ी, अपने कौशल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन सरकारी मदद के अभाव में, हमारे विश्वकर्मा साथी बुरी स्थिति से गुजर रहे थे। मेरी सरकार ने ऐसे विश्वकर्मा परिवारों की भी सुध ली है। अभी तक पीएम विश्वकर्मा योजना से 84 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। रेहड़ी-ठेले-फुटपाथ पर काम करने वाले साथी भी दशकों से अपने हाल पर छोड़ दिए गए थे। मेरी सरकार ने, पीएम स्वनिधि योजना द्वारा उनको बैंकिंग से जोड़ा। इस योजना के तहत, अब तक 10 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की राशि के ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार ने इन पर भरोसा करते हुए, कोलेटरल शुल्क के बिना ऋण दिया। उस भरोसे को

मजबूत करते हुए, अधिकांश लोगों ने ऋण तो वापस किया ही, अगली किश्त का भी लाभ उठाया। इस योजना के अधिकतर लाभार्थी दलित, पिछड़े, आदिवासी और महिलाएं हैं।

माननीय सदस्यगण,

"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र पर चल रही मेरी सरकार समाज के हर वर्ग को उचित अवसर देने में जुटी है। पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की सुविधा दी गई। मेडिकल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ओबीसी के केन्द्रीय कोटे के तहत दाखिले में 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बाबा साहेब अंबेडकर से जुड़े 5 स्थानों को *पंचतीर्थ* के रूप में विकसित किया गया है। आज देशभर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित 10 संग्रहालय बनाए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को भी पहली बार विकास से जोड़ा है जो दशकों तक उपेक्षित रहे। हमारी सीमाओं से सटे गांवों को देश का अंतिम गांव माना जाता था। मेरी सरकार ने, इन्हें देश का पहला गांव बनाया। इन गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरु किया गया है।

अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप जैसे हमारे दूर-सुदूर के द्वीप-समूह भी विकास से वंचित थे। मेरी सरकार ने, इन द्वीपों में भी, आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया। वहां सड़क, हवाई यातायात और तेज इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाईं। कुछ सप्ताह पूर्व ही, लक्षद्वीप को भी अंडर वॉटर ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही, पर्यटकों को भी सुविधा होगी। मेरी सरकार द्वारा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत, देश के सौ से अधिक जिलों में विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए, मेरी सरकार ने, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी शुरू किया है। इससे देश के उन ब्लॉक्स में विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जो पीछे छूट गए थे।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार आज पूरी सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। यह काम बहुत पहले ही, प्राथमिकता के आधार पर हो जाना चाहिए था। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, हमारी सेनाएं आज 'जैसे को तैसा' की नीति के साथ जवाब दे रही हैं। आंतरिक शांति के लिए मेरी सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। जम्मू-कश्मीर में आज सुरक्षा का वातावरण है। आज वहां हड़ताल का सन्नाटा नहीं, भीड़ भरे बाजार की चहल-पहल है। नॉर्थ-ईस्ट में अलगाववाद की घटनाओं में भारी कमी आई है। अनेक संगठनों ने स्थाई शांति की तरफ कदम बढ़ाए हैं। नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र घटे हैं और नक्सली हिंसा में भी भारी गिरावट हुई है।

माननीय सदस्यगण,

भारत के लिए, यह समय आने वाली सदियों का भविष्य लिखने का है। हमारे पूर्वजों ने हज़ारों वर्षों की एक विरासत हमारे लिए छोड़ी है। अपने पूर्वजों की सौगातों को आज भी हम बड़े गौरव के साथ याद करते हैं। आज की पीढ़ी को भी ऐसी विरासत बनानी है जो सदियों तक याद रखी जाए इसलिए, मेरी सरकार आज एक बड़े विजन पर काम कर रही है। इस विजन में आने वाले 5 वर्ष का कार्यक्रम भी है। इसमें आने वाले 25 साल का रोडमैप भी है। हमारे लिए *विकसित भारत* सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं है। हम सामाजिक, सांस्कृतिक और सामरिक ताकत को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं। इनके बिना विकास और आर्थिक समृद्धि स्थाई नहीं रह सकती। बीते दशक के फैसले भी, इसी ध्येय से लिए गए हैं। आज भी अनेक कदम इसी लक्ष्य के साथ उठाए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण,

भारत के तेज विकास को लेकर आज दुनिया की हर एजेंसी आश्वस्त है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो भी आकलन कर रही हैं, उनका आधार भारत की नीतियां हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश और पॉलिसी रिफॉर्म, निवेशकों का विश्वास और बढ़ा रहे हैं। पूर्ण बहुमत वाली स्थिर और मजबूत सरकार के लिए भारतीयों का संकल्प भी दुनिया को नया भरोसा दे रहा है।

आज दुनिया को विश्वास है कि भारत ही ग्लोबल सप्लाई चेन को सशक्त कर सकता है। इसलिए भारत भी आज इसके लिए बड़े कदम उठा रहा है। देश में एमएसएमई का एक मजबूत नेटवर्क बनाया जा रहा है।

मेरी सरकार ने 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई योजनाएं शुरु की हैं। इसके तहत अभी तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हो चुका है। इससे देश में रोजगार और स्व-रोजगार के लाखों नए अवसर बने हैं।

पीएलआई से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल डिवाइस के सेक्टर में भी लाभ हो रहा है। मेडिकल डिवाइस से जुड़े दर्जनों प्रोजेक्ट्स में उत्पादन शुरू हो चुका है। मेरी सरकार ने देश में 3 बल्क ड्रग पार्क भी बनाए हैं।

माननीय सदस्यगण,

आज 'मेड इन इंडिया' एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, 'मेक इन इंडिया' को लेकर आज दुनिया आकर्षित हो रही है। *"आत्मनिर्भर भारत"* के लक्ष्य को दुनिया समझ रही है। आज दुनिया भर की कंपनियां भारत में नए सेक्टर्स को लेकर उत्साहित हैं। सेमी-कंडक्टर सेक्टर में हो रहा निवेश इसका उदाहरण है। सेमी-कंडक्टर सेक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबिल सेक्टर को भी बहुत लाभ होगा।

मेरी सरकार आज ग्रीन मोबिलिटी को बहुत प्रोत्साहन दे रही है। बीते कुछ सालों में ही देश में लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण हुआ है। अब तो हम भारत में ही बड़े हवाई जहाज़ की मैन्युफेक्चरिंग के लिए भी कदम बढ़ा चुके हैं। आने वाले समय में मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर में करोड़ों नए रोजगारों का सृजन होगा।

माननीय सदस्यगण,

विश्व में आज ऐसे उत्पादों की विशेष मांग है, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। इसलिए मेरी सरकार, ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट पर बल दे रही है। आज ग्रीन एनर्जी पर हमारा बहुत फोकस है। 10 वर्षों में नॉन-फॉसिल फ्यूल पर आधारित ऊर्जा क्षमता 81 गीगावॉट से बढ़कर 188 गीगावॉट हो चुकी है। इस दौरान सोलर पावर कैपेसिटी में 26 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह, विंड पॉवर कपैसिटी दोगुनी हो गई है। रिन्यूएबल एनर्जी इन्सटाल्ड कपैसिटी की दृष्टि से हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। विंड पॉवर कपैसिटी में भी हम चौथे नंबर पर हैं। सोलर पॉवर कपैसिटी में हम पांचवें नंबर पर हैं। भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत नॉन-फॉसिल फ्यूल से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बीते 10 वर्षों में 11 नए सोलर पार्क बन चुके हैं। 9 सोलर पार्कों पर आज काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही घर की छत पर सोलर एनर्जी उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को मदद दी जाएगी। इससे बिजली का बिल भी कम होगा और अतिरिक्त बिजली की खरीद विद्युत बाजार में की जाएगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। मेरी सरकार ने 10 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्वीकृति दी है। हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम अभी तक लद्दाख और दमन-दीव में दो प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। मेरी सरकार ने इथेनॉल के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। देश, 12 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर चुका है। बहुत ही जल्द, 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट भी पूरा होने वाला है। इससे हमारे किसानों की आय बढ़ेगी। अभी तक सरकारी कंपनियां एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इथेनॉल खरीद चुकी हैं। इन सारे प्रयासों से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम होगी। कुछ दिन पहले ही, बंगाल की खाड़ी में एक नए ब्लॉक में तेल उत्पादन शुरु हुआ है। यह देश के लिए एक बड़ी सफलता है।

माननीय सदस्यगण,

धरती में महत्वपूर्ण खनिजों की मात्रा सीमित है। इसलिए मेरी सरकार सर्कुलर इकॉनॉमी को प्रोत्साहित कर रही है। भारत की पहली 'वेहिकल स्क्रैपेज पॉलिसी' का भी लक्ष्य यही है।

गहरे समुद्र में खनिजों की संभावनाओं को तलाशना भी ज़रूरी है। इसी लक्ष्य के साथ डीप ओशन मिशन शुरू किया गया। इस मिशन से अपने समुद्री जन-जीवन के बारे में हमारी समझ भी बेहतर होगी। भारत का *'समुद्रयान'* इस क्षेत्र में शोध कर रहा है।

मेरी सरकार, भारत को दुनिया की एक बड़ी स्पेस पावर बनाने में जुटी है। यह मानव जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। साथ ही यह स्पेस इकॉनॉमी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रयास है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके कारण अनेक नए स्पेस स्टार्ट-अप्स बने हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत का *गगनयान* स्पेस में जाएगा।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ने भारत को दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकॉनॉमीज़ में से एक बनाया है। इससे करोड़ों युवाओं को रोज़गार मिला है। हमारा प्रयास है कि चौथी औद्योगिक क्रांति में भारत दुनिया में सबसे आगे रहे।

मेरी सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पर काम कर रही है। यह भारत के युवाओं को नए अवसर देगा। यह नए स्टार्ट-अप्स के लिए संभावनाएं खोलेगा। इससे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।

मेरी सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन भी स्वीकृत किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग, नए दौर की डिजिटल व्यवस्था बनाएगा। इस क्षेत्र में भारत आगे रहे इसके लिए काम शुरू हो चुका है।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार, भारत की युवाशक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है। इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और उसे तेजी से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा पर बल दिया गया है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, कानून जैसे विषयों की पढ़ाई भारतीय भाषाओं में प्रारंभ कर दी गई है।

स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए मेरी सरकार, 14 हज़ार से अधिक *'पीएम श्री विद्यालयों'* पर काम कर रही है। इनमें से 6 हज़ार से अधिक विद्यालय शुरू हो चुके हैं। मेरी सरकार के प्रयासों से देश में ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। उच्च शिक्षा में छात्राओं के दाखिले ज्यादा हो रहे हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के नामांकन में लगभग 44% वृद्धि हुई है। नामांकन में, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 65% और ओबीसी के विद्यार्थियों की 44% से अधिक वृद्धि हुई है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 10 हज़ार अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए गए है। इनमें 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। साल 2014 तक देश में 7 एम्स और 390 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। वहीं पिछले दशक में 16 एम्स और 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। पिछले दशक में, एमबीबीएस की सीटों में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

माननीय सदस्यगण,

पर्यटन क्षेत्र, युवाओं के लिए रोज़गार देने वाला एक बड़ा सेक्टर है। मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। भारत में घरेलू टूरिस्ट्स की संख्या के साथ ही, भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है।

पर्यटन के क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, इसका कारण भारत की बढ़ती साख है। आज दुनिया भारत को देखना और जानना चाहती है। इसके अलावा, शानदार कनेक्टिविटी विकसित होने के कारण भी पर्यटन का दायरा बढ़ा है। जगह-जगह एयरपोर्ट्स बनने से भी बहुत फायदा हो रहा है। नॉर्थ-ईस्ट में आज रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर उत्साह चरम पर है।

मेरी सरकार ने देश भर में तीर्थों और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर बल दिया है। इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान हुई है। वहीं दुनिया भी, भारत में हैरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित हो रही है। बीते एक वर्ष में साढ़े आठ करोड़ लोग काशी गए हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों ने *महाकाल* के दर्शन किए हैं। उन्नीस लाख से अधिक लोगों ने *केदार धाम* की यात्रा की है। अयोध्या धाम में ही *"प्राण प्रतिष्ठा"* के बाद 5 दिनों में ही 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, भारत के हर हिस्से में तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है।

मेरी सरकार भारत को मीटिंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है। इसके लिए *भारत मंडपम और यशोभूमि* जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में टूरिज्म, रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।

माननीय सदस्यगण,

देश की युवाशक्ति को कौशल और रोजगार से जोड़ने के लिए हम स्पोर्ट्स इकॉनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मेरी सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को अभूतपूर्व मदद दी है। आज भारत एक बहुत बड़ी खेल शक्ति बनने की ओर अग्रसर है।

खिलाड़ियों के साथ ही आज हम स्पोर्ट्स से जुड़े दूसरे क्षेत्रों पर भी बल दे रहे हैं। आज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देश में हमने दर्जनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। इससे स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन के रूप में चुनने का अवसर युवाओं को मिलेगा। खेल उपकरणों से जुड़ी इंडस्ट्री को भी हर प्रकार की मदद दी जा रही है।

बीते 10 वर्षों में भारत ने अनेक खेलों से जुड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स का शानदार आयोजन किया।

देश के युवाओं में कर्तव्य-बोध और सेवा-भाव का विस्तार करने और *'विकसित भारत'* के निर्माण के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए *'मेरा युवा भारत'* संगठन बनाया गया है। अभी तक इस संगठन से लगभग 1 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं|

माननीय सदस्यगण,

संक्रमण काल में एक मजबूत सरकार होने का क्या मतलब होता है, ये हमने देखा है। बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में दरारें पड़ गई हैं। इस कठिन दौर में, मेरी सरकार ने, भारत को *विश्व-मित्र* के रूप में स्थापित किया है। *विश्व- मित्र* की भूमिका के कारण ही आज हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन पाए हैं।

बीते 10 वर्षों में एक और पुरानी सोच को बदला गया है। पहले डिप्लोमेसी से जुड़े कार्यक्रमों को दिल्ली के गलियारों तक ही सीमित रखा जाता था। मेरी सरकार ने इसमें भी जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा जी-20 अध्यक्षता के दौरान देखा गया। भारत ने जी-20 को जिस प्रकार जनता से जोड़ा वैसा पहले कभी नहीं हुआ। देशभर में हुए कार्यक्रमों के जरिए भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय हुआ। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ- ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए।

पूरी दुनिया ने भारत में हुए ऐतिहासिक जी-20 सम्मेलन की प्रशंसा की। ऐसे बंटे हुए माहौल में भी एकमत से दिल्ली घोषणापत्र जारी होना ऐतिहासिक है। 'वीमेन लेड डेवलपमेंट' से लेकर पर्यावरण के मुद्दों तक भारत का विजन, दिल्ली घोषणापत्र की नींव बना है।

हमारे प्रयासों से जी-20 में अफ्रीकन यूनियन की स्थाई सदस्यता को भी सराहा गया है। इसी सम्मेलन के दौरान भारत-मिडिलईस्ट-यूरोप कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा हुई। यह कॉरिडोर, भारत के सामुद्रिक सामर्थ्य को और सशक्त करेगा। ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस का लॉन्च होना भी बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के कदम वैश्विक समस्याओं के समाधान में भारत की भूमिका का विस्तार कर रहे हैं।

माननीय सदस्यगण,

मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौर में भी, भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। भारत की विदेश नीति का दायरा आज अतीत की बंदिशों से कहीं आगे बढ़ चुका है। आज भारत अनेक वैश्विक संगठनों का सम्मानित सदस्य है। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत दुनिया की एक प्रमुख आवाज है।

भारत आज संकट में फंसी मानवता की मदद के लिए मजबूती से पहल करता है। दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत वहां तेज़ी से पहुंचने का प्रयास करता है। मेरी सरकार ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। *ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और वंदे भारत* जैसे अभियान चलाकर जहां-जहां संकट आया वहां से हर भारतीय को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए हैं।

मेरी सरकार ने योग, *प्राणायाम* और *आयुर्वेद* की भारतीय परंपराओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। पिछले वर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 135 देशों के प्रतिनिधियों ने एक साथ योग किया। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरी सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है।

माननीय सदस्यगण,

सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए हैं। इस वर्ष, 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। यह करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है।

माननीय सदस्यगण,

आप सभी, करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल-कॉलेज में है, उसके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का यह दायित्व है कि *अमृत पीढ़ी* के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी न रहे। *विकसित भारत*, हमारी *अमृत पीढ़ी* के सपनों को साकार करेगा। इसलिए, हम सभी को, एक साथ मिलकर, संकल्पों की सिद्धि के लिए जुटना होगा।

माननीय सदस्यगण,

श्रद्धेय अटल जी ने कहा था-

अपनी ध्येय-यात्रा में,
हम कभी रुके नहीं हैं।
किसी चुनौती के सम्मुख
कभी झुके नहीं हैं।

मेरी सरकार, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नया संसद भवन भारत की ध्येय-यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा, नई और स्वस्थ परंपराएं बनाएगा। वर्ष 2047 को देखने के लिए अनेक साथी तब इस सदन में नहीं होंगे।

लेकिन हमारी विरासत ऐसी होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद करे। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

धन्यवाद!

जय हिन्द!

जय भारत!

10 फरवरी 2024 को सत्रहवीं लोक सभा के पंद्रहवें सत्र (अंतिम सत्र) के समापन पर गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए संबोधन

सत्रहवीं लोक सभा का पंद्रहवां सत्र, जो 31 जनवरी 2024 को शुरू हुआ था, 10 फरवरी 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सत्रहवीं लोक सभा के पंद्रहवें सत्र की अंतिम बैठक के दौरान सभा को संबोधित किया।

प्रस्तुत है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला द्वारा दिए गए भाषणों के मूल पाठ:

---

[2]प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया अभिभाषण

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का यह दिवस लोकतंत्र की एक महान परंपरा का महत्वपूर्ण दिवस है। 17वीं लोक सभा ने 5 वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए, अनेक चुनौतियों को सबने अपने सामर्थ्य से देश को उचित दिशा देने का प्रयास किया। एक प्रकार से आज का दिवस हम सब की उन 5 वर्ष की वैचारिक यात्रा का, राष्ट्र को समर्पित उस समय का, देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट्र के चरणों में समर्पित करने का अवसर है। ये 5 वर्ष देश में रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के हैं। यह बहुत रेयर होता है कि रिफॉर्म भी हो, परफॉर्म भी हो और हम ट्रांसफॉर्म होता अपनी आंखों के सामने देख पाते हों, एक नया विश्वास भरता हो। 17वीं लोक सभा से देश अपने आप में यह अनुभव कर रहा है। मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17वीं लोक सभा को जरूर आशीर्वाद देता रहेगा। इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह समय है कि मैं सभी माननीय संसद सदस्यों का इस सदन के नेता के नाते भी और आप सब के एक साथी के नाते भी आप सब का अभिनंदन करता हूं।

विशेष रूप से, आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके प्रति भी हृदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सदन के अध्यक्ष के रूप में पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान सुमित्रा जी कभी-कभी मुक्त हास्य करती थीं, लेकिन आप हर पल, आपका चेहरा मुस्कान से भरा रहता था। यहां कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। अनेक परिस्थितियों में आपने बहुत ही संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निष्पक्ष भाव से इस सदन का मार्गदर्शन किया, सदन का नेतृत्व किया, मैं इसके लिए भी आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। आक्रोश के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धैर्य के साथ इन सभी स्थितियों को संभालते हुए और सूझ-बूझ के साथ आपने सदन को चलाया, हम सब का मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 5 वर्षों में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जाति ने झेला। कौन बचेगा, कौन बच पाएगा, कोई किसी को बचा सकता है या नहीं बचा सकता है, वह ऐसी अवस्था थी। ऐसे में, सदन में आना, अपना घर छोड़कर निकलना, यह भी संकट का कार्य था। इसके बाद भी, जो भी नयी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ी, आपने उनको किया। आपने देश के काम को रुकने नहीं दिया। सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गति देनी चाहिए, वह गति भी बनी रहे और उस काम में सदन की जो भूमिका है, वह रत्ती भर भी पीछे न रहे, आपने इसे बड़ी कुशलता के साथ सम्भाला और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में रखा।

---

[2] https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-addressing-last-sitting-of-17th-lok-sabha/?comment=disable&tag_term=pmspeech

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसद सदस्यों का भी, इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उस कालखंड में देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, संसद सदस्य निधि छोड़ने का प्रस्ताव माननीय संसद सदस्यों के सामने रखा। एक पल का विलम्ब किये बिना, सभी माननीय संसद सदस्यों ने संसद सदस्य निधि छोड़ दी। इतना ही नहीं, देशवासियों को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए अपने आचरण से समाज को एक विश्वास देने के लिए संसद सदस्यों ने स्वयं अपनी सैलरी में से 30 प्रतिशत की कटौती का निर्णय किया। इससे देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सभी संसद सदस्य बिना कारण वर्ष में दो बार हिन्दुस्तान की मीडिया के किसी न किसी कोने में गाली खाते रहते थे कि इन संसद सदस्यों को इतना मिलता है और ये लोग कैंटीन में इतने में खाते हैं। बाहर इतने में मिलता है और कैंटीन में इतने में मिलता है। यानी बाल नोंच लिये जाते थे। आपने निर्णय किया, सबके लिए कैंटीन में समान रेट होंगे। इसके लिए संसद सदस्यों ने कभी विरोध नहीं किया, शिकायत भी नहीं की। बिना कारण संसद सदस्यों की फजीहत करने वाले लोग मजे लेते थे, उससे भी आपने हम सबको बचा लिया। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि कई लोक सभा के सदस्य, चाहे वे 15वीं लोक सभा, 16वीं लोक सभा या 17वीं लोक सभा के सदस्य हों, संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की। लेकिन इसका निर्णय नहीं हो पाता था। यह आपका नेतृत्व है, जिसने निर्णय किया, चीजों को आगे बढ़ाया, सरकार के साथ अनेक मीटिंग्स की गईं और उसी का परिणाम है कि आज देश को यह नया संसद भवन प्राप्त हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद के नये भवन में, एक विरासत का अंश और आज़ादी का जो पहला पल था, उसको जीवंत रखने का हमेशा हमारे मार्गदर्शक के रूप में सैंगोल को यहाँ स्थापित करने का काम हुआ। अब प्रतिवर्ष इसे सेरिमोनियल इवेंट का हिस्सा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेतृत्व में हुआ है। जो भारत की आने वाली पीढ़ियों को हमेशा-हमेशा आजादी के उस प्रथम पल के साथ जोड़कर रखेगा। आजादी का वह पल क्यों था, हमें वह याद रहेगा तो देश को आगे ले जाने की वह प्रेरणा भी बनी रहेगी। उस पवित्र काम को आपने किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कालखंड में जी-20 की अध्यक्षता भारत को मिली। भारत को बहुत सम्मान मिला। देश के हर राज्य ने अपने-अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य और अपने राज्य की पहचान बखूबी प्रस्तुत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है। उसके साथ आपके नेतृत्व में जी-20 की तरह पी-20 का सम्मेलन हुआ और विश्व के अनेक देशों के स्पीकर्स यहाँ आए और मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत की इस महान परम्परा को लेकर, किस डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर सदियों से हम आगे बढ़े हैं, व्यवस्थाएं बदली होंगी, लेकिन भारत का डेमोक्रेटिक मन हमेशा बना रहा है। इस बात को आपने विश्व के स्पीकर्स के सामने बखूबी प्रस्तुत किया और भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम आपके नेतृत्व में हुआ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात के लिए आपका विशेष अभिनन्दन करना चाहता हूँ। शायद हमारे सभी माननीय संसद सदस्यों का और मीडिया का भी उस तरफ ध्यान नहीं गया है। हम जिसे संविधान सदन कहते हैं, जो पुरानी संसद है, जिसमें महापुरुषों की जन्म जयंती के दिन उनकी प्रतिमा को पुष्प चढ़ाने के लिए हम लोग एकत्र होते हैं। वह एक 10 मिनट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तव्य स्पर्धा, निबंध स्पर्धा का एक अभियान चलाया है। उसमें से जो बेस्ट ऑरेटर होते थे और बेस्ट एस्सेज़ होते थे, हर राज्य से दो-दो बालक उस दिन दिल्ली आते थे और उस महापुरुष की जन्म जयंती के समय, पुष्प वर्षा के समय वे वहाँ मौजूद रहते थे, देश के नेताओं के साथ और बाद में वे पूरा दिन वहाँ रहकर उस महापुरुष पर अपना व्याख्यान देते थे। वे दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी जाते थे। वे संसद की गतिविधियों को समझते थे। यानी आपने यह प्रक्रिया चलाकर के देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की संसदीय परम्परा से निरन्तर जोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया है। यह परम्परा आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गौरव के साथ इस परम्परा को आगे बढ़ायेगा। मैं इसके लिए भी आपका अभिनन्दन करता हूँ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, संसद की लाइब्रेरी, जिसको उपयोग करना चाहिए, वे कितना कर पाते थे, वह तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपने उसके दरवाजे सामान्य व्यक्ति के लिए खोल दिए थे। ज्ञान का यह खजाना, परम्पराओं की विरासत, उसको आपने जन सामान्य के लिए खोलकर बहुत बड़ी सेवा की है। मैं इसके लिए भी आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। पेपरलेस पार्लियामेंट, डिजिटलाइजेशन, आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारी व्यवस्था में कैसे बने, शुरू में कुछ साथियों को दिक्कत रही, लेकिन अब सब इसके आदी हो गए हैं। मैं देखता हूँ कि जब यहाँ बैठते हैं तो कुछ न कुछ करते रहते हैं। यह अपने आपमें एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। आपने स्थायी व्यवस्थाएं निर्माण की हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी कुशलता और माननीय संसद सदस्यों की जागरुकता, मैं सबका संयुक्त प्रयास कह सकता हूं जिसके कारण 17वीं लोक सभा की प्रोडक्टिविटी करीब-करीब 97 परसेंट रही है। 97 परसेंट प्रोडक्टिविटी अपने आप में प्रसन्नता का विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज जब हम 17वीं लोक सभा की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तब एक संकल्प लेकर 18वीं लोक सभा प्रारम्भ होगी कि हमेशा शत् प्रतिशत से ज्यादा प्रोडक्टिव वाली हमारी कार्यवाही हो और उसमें भी सात सत्र 100 प्रतिशत से भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले हैं। मैंने देखा कि आपने रात-रात भर बैठ कर भी हर संसद सदस्य के मन की बात को सरकार के सामने लाने का भरपूर प्रयास किया। मैं इस सफलता के लिए सभी माननीय संसद सदस्यों का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में दोनों सदनों ने 30 विधेयक पारित किए थे और यह अपने आप में रिकार्ड है। नए-नए बैंचमार्क 17वीं लोक सभा ने बनाए हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव, हम सबको कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि ऐसे अवसर पर हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों का नेतृत्व किया, हर स्थान पर हुआ और शायद ही कोई ऐसा संसद सदस्य होगा, जिसने आजादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने-अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। यानी सचमुच में आजादी के 75 वर्ष को देश ने जी भर कर उत्सव से मनाया और उसमें हमारे माननीय संसद सदस्यों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष, यह भी अवसर इसी समय, इसी सदन को मिला है, हम सभी संसद सदस्यों को मिला है और संविधान की जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनकी शुरुआत यहीं से होती है और उनके साथ जुड़ना अपने-आप में बहुत प्रेरक है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यकाल में बहुत ही रिफार्म्स हुए और गेमचेंजर, 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। एक बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से देश आगे बढ़ा है और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने बहुत उत्तम मार्गदर्शन किया है और हिस्सेदारी जताई है। हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीढ़ियां जिन बातों का इंतजार करती थीं, ऐसे बहुत से काम इस 17वीं लोक सभा के माध्यम से पूरे हुए। पीढ़ियों का इंतजार खत्म हुआ। अनेक पीढ़ियों ने एक संविधान, जिसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल उस संविधान में एक दरार दिखाई देती थी, एक खाई नजर आती थी। एक रुकावट चुभती थी, लेकिन इसी सदन ने आर्टिकल 370 हटाकर संविधान के पूर्ण रूप का, उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रगटीकरण हुआ। मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए, जिन-जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे, जो काम हमने पूरा किया है। जम्मू-कश्मीर के लोगों को सामाजिक न्याय से वंचित रखा गया था। आज हमें संतोष है कि सामाजिक न्याय का जो हमारा कमिटमेंट है, वह जम्मू-कश्मीर के हमारे भाई-बहनों को भी पहुंचाकर आज हम एक संतोष की अनुभूति कर रहे हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद नासूर बन गया था, देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था। माँ भारती की धरा आए दिन रक्तरंजित हो जाती थी। देश के अनेक विद्, होनहार लोग आतंकवाद की बलि चढ़ जाते थे। हमने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त कानून बनाए, इसी सदन ने बनाए। मुझे पक्का विश्वास है कि उसके कारण जो लोग ऐसी समस्याओं से जूझते हैं, उनको एक बल मिला है, मानसिक रूप से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और भारत को पूर्ण रूप से आतंकवाद से मुक्ति का एक अहसास हो रहा है और वह सपना भी सिद्ध होकर रहेगा। हम 75 सालों तक अंग्रेजों की दी हुई दंड संहिता में जीते रहे थे। हम देश को गर्व से कहेंगे, नयी पीढ़ी को कहेंगे, आप अपने पोते-पोती को गर्व से कह सकेंगे

कि देश ने भले ही 75 वर्ष दंड संहिता में जिया है, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी न्याय संहिता में जियेगी और यही सच्चा लोकतंत्र है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका एक और बात के लिए अभिनन्दन करना चाहूंगा कि नये सदन की भव्यता वगैरह तो है ही, लेकिन उसका प्रारम्भ एक ऐसे काम से हुआ है, जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है और वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र होकर रहेगा। भले ही वह एक छोटा सत्र था, लेकिन दूरगामी निर्णय करने वाला सत्र था। इस नए सदन की पवित्रता का अहसास उसी पल शुरू हो गया था, जो हम लोगों को एक नयी शक्ति देने वाला है और उसी का परिणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में हमारी माताएं-बहनें बैठी होंगी, देश गौरव की अनुभूति करेगा। हमारी मुस्लिम बहनें लंबे समय से तीन तलाक से राहत पाने का इंतजार कर रही थीं। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय दिए थे, लेकिन वह हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहे, कोई अप्रकट रूप से कहे, लेकिन तीन तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम सत्रहवीं लोक सभा ने किया है। सभी माननीय संसद सदस्य, उनके विचार कुछ भी रहे हों, उनका निर्णय कुछ भी रहा हो, लेकिन कभी न कभी तो वे कहेंगे कि हाँ, इन बेटियों को न्याय देने का काम करते समय हम वहां मौजूद थे। पीढ़ियों से होता यह अन्याय हमने समाप्त किया और वे बहनें आज हमें आशीर्वाद दे रही हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। राजनीति की गहमागहमी अपनी जगह पर है, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की आशाएं-आकांक्षाएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन देश की अपेक्षा, देश की आकांक्षा, देश का सपना, देश का संकल्प बन चुका है। ये 25 वर्ष वो हैं, जिसमें देश इच्छित परिणाम प्राप्त करके रहेगा। सन् 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी की यात्रा की थी, तब भी घोषणा होने के पहले लोगों को सामर्थ्य नज़र नहीं आया था। चाहे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे सत्याग्रह की परंपरा हो, चाहे नमक सत्याग्रह हो, उस समय तो वे घटनाएं छोटी लगती थीं, लेकिन सन् 1947 तक, 25 वर्ष के उस कालखण्ड ने देश के अंदर जज्बा पैदा कर दिया, हर व्यक्ति के दिल में वह जज्बा पैदा कर दिया था कि अब तो आज़ाद होकर रहना है। मैं आज देख रहा हूँ कि देश में वह जज्बा पैदा हुआ है कि हर गली-मोहल्ले में, हर बच्चे के मुंह से निकला है कि 25 सालों में हम विकसित भारत बना देंगे। इसलिए ये 25 वर्ष मेरे देश की युवाशक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड हैं। हममें से कोई ऐसा नहीं होगा, जो नहीं चाहता होगा कि 25 वर्ष में देश विकसित भारत न बने। हर किसी का सपना है, कुछ लोगों ने सपने को संकल्प बना लिया है। कुछ लोगों को शायद संकल्प बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जुड़ना हरेक को होगा। जो जुड़ भी नहीं पाएंगे और जीवित होंगे, तो फल तो जरूर खाएंगे, यह मेरा विश्वास है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, इन पांच वर्षों में युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं। व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर युवाओं को नए मौके दिए गए हैं। पेपर लीक जैसी समस्या हमारे युवाओं को चिंतित करती थी। हमने बहुत ही कठोर कानून बनाया है, ताकि उनके मन में जो सवालिया निशान है और व्यवस्था के प्रति उनका जो गुस्सा था, उसको एड्रेस करने का सभी माननीय संसद सदस्यों ने देश के युवाओं के मन के भाव को समझ कर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि कोई भी मानव जाति अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवार्य होते हैं और मानव जाति का हजारों सालों का इतिहास गवाह है कि हर काल में अनुसंधान होते गए हैं, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विस्तार होता गया है। इस सदन ने विधिवत रूप से कानूनी व्यवस्था खड़ी करके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का बहुत बड़ा काम किया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यह कानून आमतौर पर रोज़मर्रा की राजनीति की चर्चा का विषय बन नहीं पाता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत दूरगामी होने वाले हैं। इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम इस 17वीं लोक सभा ने किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि देश की युवा शक्ति के कारण हमारा देश दुनिया का रिसर्च हब बन सकता है। हमारे देश के युवा का टैलेंट ऐसा है कि आज भी दुनिया की बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, जिनके इनोवेशन के काम भारत में हो रहे हैं। इसलिए देश बहुत बड़ा हब बनेगा, यह मेरा विश्वास है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में हमारी बेसिक नीड्स पूरी तरह बदल रही हैं। कल तक जिसका कोई मूल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वह आने वाले समय में बहुत अमूल्य बन चुका है। जैसे डेटा है। पूरी दुनिया में चर्चा है कि डेटा का सामर्थ्य क्या होता है। हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल लाकर पूरी भावी पीढ़ी को सुरक्षित कर दिया है। एक नया शस्त्र हमने उनके हाथ में दिया है, जिसके आधार पर वह अपने भविष्य को बनाने के लिए इसका सही इस्तेमाल भी करेंगे। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारी 21वीं सदी की पीढ़ी को और दुनिया के लोगों को भी भारत के इस एक्ट के प्रति रुचि बनी हुई है। दुनिया के देश उसका अध्ययन कर रहे हैं और अपने-अपने यहां व्यवस्थानुकूल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। डाटा का उपयोग कैसे हो, उसकी गाइडलाइंस भी उसमें हैं। अनेक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रबंध करते हुए, इसका सामर्थ्य कैसे आए, जिस डेटा को लोग आज गोल्ड माइन कहते हैं, न्यू ऑयल कहते हैं, मैं समझता हूं कि वह सामर्थ्य भारत को प्राप्त हो गया है। भारत की शक्ति इसलिए विशेष है, क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ यह देश है। हमारे पास जिस प्रकार की जानकारी है, हमारे साथ जुड़े हुए जो डेटा जेनरेट होते हैं, सिर्फ हमारे रेलवे पैसेंजर्स के डेटा कोई देख ले, यह दुनिया के लिए बहुत बड़ा संसाधन का विषय बन सकता है। उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानूनी व्यवस्था को दिया है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जल, थल, नभ – सदियों से इन क्षेत्रों की चर्चा चली है, लेकिन अब समुद्री शक्ति, स्पेस की शक्ति और साइबर की शक्ति, ऐसी तीनों शक्तियों का मुकाबला करने की आवश्यकता उठ खड़ी हुई है और विश्व जिस प्रकार के संकटों से गुजर रहा है, विश्व में जिस प्रकार के विचार प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं तब इन क्षेत्रों में हमें सकारात्मक सामर्थ्य भी पैदा करना है और नकारात्मक शक्तियों से अपने-आप को और चुनौतियों को लेने का सामर्थ्य भी बनाना है। उसके लिए स्पेस से जुड़े आवश्यक रिफॉर्म्स बहुत अनिवार्य हैं। बहुत दूरगामी दृष्टि के साथ स्पेस रिफॉर्म का काम हमारे यहां हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किए हैं, उनमें 17वीं लोक सभा के सभी संसद सदस्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में हजारों कम्प्लाएन्सेस बेवजह और जनता-जर्नादन को ऐसी चीजों में उलझाए रखा, गवर्नेंस की एक ऐसी विकृत व्यवस्था विकसित हो गई, उससे मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमारे यहां हुआ है। इसके लिए भी इस सदन का मैं आभारी हूं। इस प्रकार के कम्प्लाएन्सेस के बोझ में सामान्य व्यक्ति तो दब जाता है। मैंने तो एक बार लाल किले से भी कहा था कि जब हम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस देते हैं, मैं दिल से मानता हूं कि लोगों की जिंदगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए, उतना ही लोकतंत्र का सामर्थ्य बढ़ेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हर डगर पर एक सरकार टांग क्यों अड़ाए ! हाँ, जो अभाव में हैं, उसके लिए सरकार हर पल मौजूद हो, लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिंदगी को ही रुकावट बना दे, ऐसा लोकतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए, हमारा मकसद है, सामान्य मानवों की जिंदगी से सरकार जितनी जल्दी हट जाए, कम से कम उसकी जिंदगी में सरकार का नाता रहे, वैसा समृद्ध लोकतंत्र दुनिया के सामने हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उस सपने को पूरा करेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, कंपनीज़ एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 60 से अधिक गैर-जरूरी कानूनों को हमने हटाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यह बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावटों से बाहर आना पड़ेगा। हमारे कई कानून तो ऐसे थे, छोटी-छोटी कानूनों से जेल में भर दो, बस। यहाँ तक कि एक फैक्ट्री है और उसके शौचालय को छह माह में एक बार अगर वाइटवाश नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी। वह कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों न हो, अब जो एक प्रकार से अपने आपको बड़े लिबरल कहते हैं, उन लोगों की आइडियोलॉजी और देश में एक तिमारशाही का जमाना, उन सारों से मुक्ति दिलाने का हमें भरोसा होना चाहिए। वह जरूर करेगा। आज लोगों के घरों में लिफ्ट होती है, सोसाइटी और फ्लैट वाले लोग अपने लिफ्ट का रिपेयर करते ही हैं। वे हर चीज कर लेते हैं। यह जो समाज और नागरिक पर भरोसा करने का काम है, बहुत तेजी से बढ़ाने का काम 17वीं लोक सभा ने किया है। जन विश्वास एक्ट, मैं समझता हूं कि 180 से ज्यादा प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया है। छोटी-छोटी बात में जेल में डाल देना, डीक्रिमिनलाइज करके हमने नागरिक को ताकत दी है। वह इसी सदन ने किया है, यही माननीय संसद सदस्यों ने किया है। कोर्ट के चक्कर से जिंदगी बचाने के लिए बहुत महत्वूपर्ण काम, कोर्ट के बाहर विवादों से मुक्ति, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण काम, मध्यस्थता कानून, उस दिशा में भी इन्हीं माननीय संसद सदस्यों ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जो हमेशा हाशिए पर थे, किनारे पर थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, सरकार होने का

उनको एहसास हुआ है। हां, सरकार है, हम हैं। जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था, उसको भरोसा होता था, चलिए, जान बच गई। सरकार होने का उसको एहसास होता है। यही तो सामान्य मानव की जिंदगी में बहुत आवश्यक होता है। वह असहायता न अनुभव हो कि अब क्या होगा, यह स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए।

ट्रांसजेंडर समुदाय अपमानित महसूस करता था। जब बार-बार वह अपमानित होता था, तो उसके अन्दर भी विकृतियों की सम्भावनाएं बढ़ती रहती थीं और ऐसे विषयों से सब लोग दूर भागते थे। 17वीं लोक सभा के सभी माननीय संसद सदस्यों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई और उनकी जिंदगी बेहतरीन बनाई। भारत ने ट्रांसजेंडर्स के लिए जो काम, निर्णय किए हैं, दुनिया में इनकी चर्चा है। हमारी माताओं-बहनों के लिए प्रेगनेंसी के समय 26 वीक की छुट्टी मिलती है तो दुनिया के समृद्ध देशों को भी आश्चर्य होता है। यानी ये प्रोग्रेसिव निर्णय यहीं पर हुए हैं, इसी 17वीं लोक सभा में हुए हैं। हमने ट्रांसजेंडर को एक पहचान दी है। अब तक करीब 16-17 हजार ट्रांसजेंडर्स को उनका आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, ताकि उनके जीवन को और सरल बना सकें। मैंने देखा है कि अब तो मुद्रा योजना से पैसे लेकर वह छोटा-मोटा बिजनेस करने लगी हैं, कमाने लगी हैं। हमने 'पद्म एवार्ड' ट्रांसजेंडर को दिया है। एक सम्मान की जिंदगी जीने के लिए दी है। सरकार से जुड़ी अनेक योजनाओं का लाभ जो अब तक उनको मिलता नहीं था, मिलना प्रारम्भ हुआ है, सम्माननीय जिंदगी मिली है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत विकट काल में हमारा समय गया, क्योंकि डेढ़-दो वर्ष कोविड ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव डाला, लेकिन उसके बावजूद भी 17वीं लोक सभा देश के लिए बहुत उपकारक रही है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन, इस समय हमने कई साथियों को भी खो दिया। हो सकता है, अगर आज वे हमारे बीच होते तो इस विदाई समारोह में मौजूद होते, लेकिन बीच में ही कोविड के कारण हमें अपने बहुत होनहार साथियों को खोना पड़ा। उसका दु:ख हमेशा-हमेशा हमें रहेगा।

आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोक सभा का यह अंतिम सत्र और अंतिम ऑवर ही समझ लीजिए, है। लोकतंत्र और भारत की यात्रा अनन्त है। यह देश किसी परपज के लिए है, उसका कोई लक्ष्य है, वह पूरी मानव जाति के लिए है। चाहे श्री अरविन्दो ने देखा हो, चाहे स्वामी विवेकानन्द जी ने देखा हो, लेकिन आज उन शब्दों में, उस विजन में सामर्थ्य था, वह हम आंखों के सामने देख पा रहे हैं। दुनिया जिस प्रकार से भारत के महात्म्य को स्वीकार कर रही है, भारत के सामर्थ्य को स्वीकारने लगी है और इस यात्रा को हमें और शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है।

माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन यह लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव देश की शान बढ़ाने वाले होंगे। लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है, वह पूरे विश्व को अचम्भित करने वाली अवश्य रहेगी, मेरा पक्का विश्वास है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी माननीय संसद सदस्यों को जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, कभी-कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल कर निकली है। मेरे ऊपर परमात्मा की कृपा रही है कि मेरे पास जो चुनौती आती है तो आनंद आता है। हर चुनौती का हम सामना कर पाए हैं, बड़े आत्मविश्वास और विश्वास के साथ हम चले हैं। आज राम मंदिर को लेकर इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वह देश की भावी पीढ़ी और देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। यह सही है कि हर किसी में यह सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में, कोई हिम्मत दिखाता है, कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं लेकिन फिर भी भविष्य के रिकार्ड देखेंगे तो आज व्याख्यान हुए, जो बातें रखी गयीं, उनमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को आगे बढ़ाने का तत्व भी है।

इस देश के बुरे दिन कितने ही क्यों न गए हों, हम भावी पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे। यह सदन हमें वह प्रेरणा देता रहेगा। हम सामूहिक संकल्प से, सामूहिक शक्ति से उत्तम से उत्तम परिणाम भारत की नौजवान पीढ़ी की आशा और आकांक्षा के अनुसार करते रहेंगे।

इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आपका आभार प्रकट करता हूं। सभी माननीय संसद सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का भाषण

माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय सदस्यगण, 17वीं लोक सभा के इस सत्र के साथ इस लोक सभा का भी आज समापन हो रहा है। 17वीं लोक सभा इसलिए विशेष है कि भारत के अमृत काल में हमने संसद के पुराने भवन से नए भवन, दोनों भवनों में संसदीय दायित्वों को निभाया। यह अवसर हमें मिला। यह अवसर भी हमेशा हमारी ज़िंदगी में स्मरणीय रहेगा। नए भवन में स्थापित पवित्र सेंगोल न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है। हमारे महान लोकतंत्र की इस उच्चतम संस्था के पीठासीन अधिकारी के रूप में आप सबके सकारात्मक सहयोग से मैंने दायित्व निभाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमें बहुत सारी बातें प्रेरणा स्वरूप बताईं।

हमारे लिए यह पल ऐतिहासिक पल रहेगा, अद्भुत भी रहेगा। हमारे जीवन में लोकतंत्र की इस यात्रा का यह पल हमेशा हमारी स्मृतियों में बना रहेगा। इन 5 वर्षों के अंदर जनता का लोकतंत्र के प्रति, लोकतान्त्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। उन्होंने यहाँ अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, देश के मुद्दे भी उठाए।

मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने पहली बार शून्य काल जैसे विषय का सकारात्मक उत्तर देकर एक नई परंपरा स्थापित की।

माननीय सदस्यगण, मुझे 19 जून, 2019 को सर्वसम्मति से सभा का अध्यक्ष चुना गया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मेरे लिए भी ये पाँच वर्ष जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं और अविस्मरणीय रहेंगे क्योंकि आप के साथ जो पल मैंने गुजारे हैं, वे मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे।

माननीय सदस्यगण, इस सदन की बड़ी उच्च परंपरा और परिपाटियाँ रही हैं। इस सदन की प्रतिष्ठा भी रही है। मुझसे पूर्व, इस आसन पर बैठने वाले मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस सदन की गरिमा, प्रतिष्ठा और मान – मर्यादा को बढ़ाया है। मैंने भी प्रयास किया है कि सभी दलों के माननीय नेताओं के सहयोग से इस पद की गरिमा और इस संस्था की सर्वोच्च प्रतिष्ठा बनी रहे और इसके लिए आपका सहयोग भी रहा, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

माननीय सदस्यगण, 17वीं लोक सभा का कार्यकाल कई अर्थों में बड़ा ऐतिहासिक रहा है। सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में जब मुझे दायित्व मिला तो मैंने कोशिश की। मैं सदन में दूसरी बार माननीय सदस्य था, मेरा कोई लंबा अनुभव नहीं था, लेकिन आप सबका सहयोग मिला और पहले सत्र में ही बिना व्यवधान के सदन की प्रोडक्टिविटी भी रही।

17वीं लोक सभा के उद्घाटन सत्र में सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से नए और पुराने 540 सदस्यों ने पहले सत्र में ही अपनी भागीदारी निभाई और अपने विचार व्यक्त किए, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रहेगी।

माननीय सदस्यगण, संसद के नए भवन को बनाए जाने की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने भी इसके लिए प्रयास किया। मैंने और सदन के सभी सदस्यों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से संसद के नये भवन बनाने का आग्रह किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे दोनों सदनों के आग्रह को स्वीकार किया और इसके निर्माण की स्वीकृति दी।

माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व, उनकी अद्भुत कार्यशैली और हमारे श्रमवीरों, जिन्होंने कोविड के समय में अथक प्रयास किए, इसके कारण हमारा नया संसद भवन 2 वर्ष 5 महीने की अल्प अवधि में पूरा हुआ।

माननीय सदस्यगण, यह कालखंड हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। विशेष रूप से वैश्विक महामारी कोरोना की चुनौती हमारे सामने थी। हमें हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाना था। देश की जनता सुरक्षित रहे, उनके कल्याण में, उनके सहयोग में, हम अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाएं।

मैं आज गर्व के साथ यह कह सकता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों ने उन चुनौतियों के समय में भी देर रात तक बैठकर अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाया और उस समय भी हमारी उत्पादकता 167 प्रतिशत रही।

जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना काल गंभीर था, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश की जनता की भी चिंता की और अपने एक – एक माननीय सदस्यों की भी चिंता की। जब भी उन्हें जानकारी मिलती थी, वे व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करते थे और उनसे बात हो या न हो, डॉक्टरों से जरूर चिंता व्यक्त करते थे।

माननीय सदस्यगण, 17वीं लोक सभा का यह सत्र अपनी प्रोडक्टिविटी में भी ऐतिहासिक रहा। पिछली पाँच लोक सभा में, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इस लोक सभा में 97 प्रतिशत रही। इसमें विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी रही है और सदन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी भी रही। मैं देखता था कि देर रात्रि तक माननीय महिला सदस्य यहाँ बैठती थीं और अपने विचारों को व्यक्त करती थीं। वे अपने क्षेत्र की भावनाओं को अभिव्यक्त करती थीं।

माननीय सदस्यगण, यह हमारे लिए गौरव का विषय रहा कि नये संसद भवन के अंदर सर्वप्रथम दिन ही नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023 को चर्चा के लिए लाया गया। सभी दलों ने इसमें सहयोग किया और यह विधेयक पारित हुआ। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ। यह विधेयक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व उपलब्धि रहेगी। वर्षों तक इन सदनों में महिला आरक्षण विधेयक की प्रतीक्षा हो रही थी। लेकिन, यह सौभाग्य आपको ही मिला। आपके समय में ही यह महिला विधेयक पारित हुआ।

इसके अलावा, इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए। हम अंग्रेजों के कानून को लेकर चल रहे थे। हमने अपनी आजादी के बाद अपने कानून बनाए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और विशेष रूप से इस सदन ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी पारित किया। उसके साथ-साथ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक, मुस्लिम महिला विधेयक (विवाह अधिकार संरक्षण), उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, औद्योगिक संबंधी विधेयक, ऐसे कई ऐतिहासिक कानून पारित किए। आपकी जिंदगी में भी यह स्मरण रहे कि आपने बहुत ऐतिहासिक विधेयक पारित किए, जिनसे एक लंबे समय तक देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यह मौका भी आप सबको, हम सबको मिला है। विगत पांच वर्षों में विशेष रूप से भारतीय चिंतन को और भारतीय चिंतन की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कानून पारित किए गए। इस सभा ने इन 5 वर्षों में, जो बहुत अनुपयोगी कानून थे, उन कानूनों को रिपील करने का काम भी इसी सभा ने किया। इस सभा ने तीन संविधान संशोधन विधेयक भी पारित किए।

माननीय सदस्यगण, 17वीं लोक सभा का गठन दिनांक 25 मई, 2019 को किया गया था। इस सदन की पहली बैठक 17 जून, 2019 को हुई थी। 17वीं लोक सभा में कुल मिलाकर 274 बैठकें हुईं जो 1355 घंटे तक चली। सदन ने नियत समय से 346 घंटे की अधिक अवधि तक बैठकर अपना कार्य किया। इस लोक सभा में व्यवधान के कारण कुल 387 घंटे का समय व्यर्थ हुआ। इन पाँच वर्षों की अवधि में हमने गहन चर्चा संवाद के बाद 222 कानून पारित किये। इस अवधि के दौरान 202 विधेयक पुरःस्थापित किए गए तथा 11 विधेयकों को सरकार द्वारा वापस लिया गया।

17वीं लोक सभा के दौरान 4663 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए जिसमें 1116 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इसी अवधि में 55879 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए जिनके लिखित उत्तर सदन में दिए गए। इस लोक सभा में दो अवसरों पर सूचीबद्ध सभी 20 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए।

माननीय सदस्यगण, इस लोक सभा में 729 गैर-सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किए गए। 17वीं लोक सभा के दौरान संबंधित मंत्रियों ने 26,750 पत्र सभा पटल पर रखे।

इस लोक सभा के दौरान शून्य काल के अंतर्गत 5568 मामले उठाए गए जब कि नियम 377 के अंतर्गत 4869 विषय माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए।

दिनांक 18 जुलाई, 2019 को शून्य काल के अंतर्गत एक दिन में कुल 161 विषय उठाए गए जो किसी भी लोक सभा के लिए एक रिकॉर्ड है। 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में शून्य काल में 1066 मामले उठाए गए, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार नियम 377 और शून्यकाल के जवाब यहाँ पर सही समय पर कार्यपालिका के माध्यम से आए हैं। इसी लोक सभा में चंद्रयान मिशन की सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई । सभा द्वारा इस विषय पर एक संकल्प पारित किया गया । सभा द्वारा "भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव" विषय पर नियम 342 के अंतर्गत चर्चा की गई।

माननीय सदस्यगण, इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 फरवरी 2020 को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की थी। यह देश के लिए गौरव का विषय है कि अब श्रीराम मंदिर का निर्माण कार्य सम्पन्न हो चुका है। इस विषय पर आज सदन में सार्थक चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत वर्ष 2047 तक एक विकसित और समावेशी भारत के निर्माण का संकल्प भी हमने पारित किया।

माननीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न विषयों पर 534 वक्तव्य दिए गए। इस लोक सभा के दौरान नियम 193 के अंतर्गत 12 चर्चाएं आयोजित की गई।

संसदीय स्थायी समितियों ने इस लोक सभा में उत्कृष्ट कार्य करते हुए कुल 691 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। संसदीय समितियों की 69 प्रतिशत से अधिक सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया।

माननीय सदस्यगण, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी-20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया । इससे विश्व पटल पर भारत की नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित हुई और उसके बाद जी-20 देशों तथा आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्षों का पी-20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इससे विश्व में हमारे लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़ी और हमारे लोकतंत्र की यात्रा सभी अध्यक्ष ने अनुभव की।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने पी-20 सम्मेलन में संबोधित करते हुए हमारे देश की लोकतंत्र की यात्रा का विज़न रखा। उन्होंने लोकतंत्र के साथ हमारी चुनाव प्रणाली और किस तरीके से इस देश में एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, उन्होंने आग्रह किया कि सभी लोकतान्त्रिक देश यहाँ के लोकतंत्र के इस पर्व, उत्सव को देखने आयें। किसी लोकतान्त्रिक देश की तो उतनी आबादी नहीं होगी, उससे ज्यादा हमारे यहाँ मतदाता मतदान करते हैं। वे भी अपने आप में एक प्रेरणा है।

माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही पी-20 सम्मेलन में "मिशन लाइफस्टाइल पर्यावरण के लिए जीवन शैली" पर संसदीय मंच की बैठक हुई जिसमें प्रकृति के साथ सद्भावना में एक हरित भविष्य के लिए संकल्प लिया गया । इस कार्यक्रम का सभी प्रतिभागी देशों ने समर्थन किया और सभी संसदों के अध्यक्षों ने संकल्प लिया कि हम अपने अपने देशों के अंदर भी इसी तरीके का संकल्प लेंगे, प्रस्ताव करेंगे और चर्चा करेंगे।

इस लोक सभा में संविधान दिवस कार्यक्रम वर्ष 2019 और 2021 में संसद भवन में आयोजित किया गया । संसद की लोक लेखा समिति के स्थापना की (पीएसी) 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केन्द्रीय कक्ष में एक विशेष कार्यक्रम 4 दिसंबर, 2021 को आयोजित किया गया। दिनांक 19 सितंबर, 2023 को संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में 'संविधान सभा से अब तक 75 वर्षों की संसदीय यात्रा – उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियाँ और सीख' विषय पर एक विशेष चर्चा आयोजित की गई।

मैं विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के कुछ विषय उठाना चाहता हूँ। लोक सभा टीवी और राज्य सभा टीवी चैनल अलग-अलग चलते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से 'संसद टीवी' एक चैनल हुआ, जिससे करोड़ों रुपये की वित्तीय बचत भी हुई। इसी तरीके से सब्सिडी का विषय पर हमेशा हम पर उठता रहता था। अब पूर्ण रूप से सब्सिडी समाप्त कर दी गई, जिससे 15 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई।

मैं आपको एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। संसद भवन में राष्ट्रीय पर्वों पर लाइटिंग की व्यवस्था करने में लाखों रुपये खर्च होते थे। माननीय प्रधानमंत्री का विज़न और मार्गदर्शन था और उन्होंने कहा कि यहाँ एक फसाड लाइट की तरह परमानेंट लाइट लगनी चाहिए। यहाँ पर फसाड लाइट लगी और कम समय में लगी तथा इस संसद के लाखों करोड़ रुपये की बचत हुई, जो 75वें वर्ष से अभी तक लगी हुई है। इन सभी व्यवस्थाओं से इन 5 वर्षों के अंदर लगभग 875 करोड़ रुपये की बचत की गई, जो बजट का 23 प्रतिशत हिस्सा है।

कोरोना के समय माननीय सांसदों ने पीएम केयर फंड में अपने वेतन को भी दिया और अपनी सांसद निधि को भी छोड़ा। मैं उसके लिए भी सांसदों को धन्यवाद देता हूँ। यहा पर इस पूरे परिसर को हरा-भरा बनाने के लिए सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने नाम का वृक्षारोपण किया, जो हमेशा उनकी ज़िंदगी में स्मृति रहेगी। वे जब भी आएंगे, अपने पेड़ को बड़ा होते देखेंगे तो याद करेंगे।

माननीय सदस्यगण, सभी विधेयकों पर सार्थक एवं प्रभावी वाद-विवाद और चर्चा हुई और सभी ने इन पर ठीक से अपने विचार रखे। हमने कुछ नए प्रयास किए कि विधेयक से पहले माननीय सदस्यों को ब्रीफिंग सेशन के माध्यम से विधेयकों की जानकारी, उद्देश्य और विधेयकों के प्रभाव के बारे में लगातार कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई माननीय सदस्यों को जानकारी होगी कि यहाँ पर किसी भी विधेयक या किसी भी विषय पर माननीय सदस्यों को 24 घंटे शोध सहायता उपलब्ध रहती है। हमने इसी के साथ-साथ नई व्यवस्था शुरू की कि लाइब्रेरी की सामग्री की होम डिलीवरी हो और सारी लाइब्रेरी के डिजिटाइजेशन का काम किया। अभी तक संसद की जितनी भी डिबेट्स है, उन सारी डिबेट के डिजिटाइजेशन का काम किया गया। मेटा डाटा, सब्जेक्ट, नाम और विषय से आप पूरी डिबेट को देख सकते हैं। यह नवाचार भी इस संसद ने किया। समृद्ध लाइब्रेरी को आम जनता के लिए सुलभ कर दिया है। आप सबके प्रयासों से, सहयोग से यह सदन पेपरलेस हो चुका है। अभी 97 प्रतिशत से अधिक प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से माननीय सदस्यों के द्वारा लगाए जाते हैं।

इसी के साथ, संसद के नए भवन में हिन्दी, अंग्रेजी के अलावा 10 अन्य भारतीय भाषाओं में भाषांतरण सेवा उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया है। इसी के साथ-साथ हमने डिजिटल एप, डिजिटल संसद और आप जो अपनी बात कहते हैं, उसको आधे घंटे में व्हाट्सएप पर, आपके मोबाईल पर उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया गया है।

माननीय सदस्यगण, आवास बहुत पुराने हो गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मार्गदर्शन दिया और अभी 112 नए आवास बनकर तैयार हो गए हैं और 184 आवासों का निर्माण कार्य चल रहा है ताकि जब हमारे माननीय सदस्य आयें तो उनको नए आवास मिलें, इसका भी एक प्रयास किया गया।

माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे देश की आजादी, आजादी के बाद जिन नेताओं का योगदान रहा, उनके बारे में जानें, उनके जीवन के बारे में जानें, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर महान विभूति और स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। संविधान सदन में देश भर के अलग-अलग राज्यों के लोग अपने-अपने राज्यों में पहले उन महापुरुषों पर चर्चा करते हैं और जब उसमें उत्तीर्ण होते हैं, तब वे संसद भवन में आकर अपनी बात को रखते हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे महापुरुषों के बारे में जानें। उनके राष्ट्र और देश के प्रति कर्तव्य के बारे में जाने ताकि उन्हें भी नई प्रेरणा मिले।

माननीय सदस्यगण, लोक सभा का पीठासीन अधिकारी होने के नाते इस लोक सभा के दौरान अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 6 सम्मेलन आयोजित हुए और हमने प्रयास किया कि देश की सभी लोकतान्त्रिक संस्थाओं में चाहे विधान सभा हो या लोक सभा हो, उनमें शब्दों की प्रतिष्ठा बने, गरिमा बने और हमारे सदस्यों का आचरण, व्यवहार ऐसा हो, ताकि लोगों का लोकतंत्र में और लोकतान्त्रिक संस्थाओं में ज्यादा विश्वास और भरोसा बढ़े। इसके लिए हम सबने एक मत से इस बात पर विचार किया कि सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हम सभी सदस्यों को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि जनता का विश्वास हमारी संस्थाओं पर ज्यादा बने और हम ज्यादा मर्यादित तरीके से संस्थाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण कर सकें।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया विज़नरी मार्गदर्शन उस समय दिया – '**वन नेशन वन - लेजिसलेटिव प्लेटफॉर्म' ।** आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश की विधान सभाओं की जो भी डिबेट, चर्चा, बजट और लोक सभा और राज्य सभा की जितनी भी कार्यवाहियाँ हैं, आने वाले समय में एक प्लेटफ़ॉर्म पर आप देख पाएंगे। यह भी एक नया प्रयास किया गया है।

माननीय सदस्यगण, इस लोक सभा के दौरान भारत में 16 देशों के संसदीय शिष्टमंडल का आगमन हुआ और 42 शिष्टमण्डल भारत से अन्य देशों की यात्रा पर गए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई संस्थाओं के अंदर हमारी भागीदारी भी

बढ़ी है और माननीय सदस्यगण कई कमेटियों में सदस्य के रूप में निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की शक्ति एवं प्रतिष्ठा बढ़ी है।

माननीय सदस्यगण, आप सबका मुझे बहुत सहयोग मिला, सकारात्मक सहयोग मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग मिला। सभी दलों के नेताओं का मिला और मैंने कोशिश की कि इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहे। सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मुझे कुछ कठोर निर्णय भी करने पड़े। लेकिन कठोर निर्णय करते समय मैं कभी इस मत का नहीं था कि मुझे किसी सदस्य पर कार्रवाई करनी पड़े।

भविष्य में हम नए सदन के साथ इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और प्रयास करेंगे। हमारी प्रोडक्टिविटी 97 प्रतिशत नहीं, बल्कि हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा 100 प्रतिशत से ऊपर हो। असहमति सहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। यह होना भी चाहिए। अलग-अलग विचार वाले दलों से लोग चुनकर आते हैं, लेकिन सदन की गरिमा बनी रहे, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम इसके लिए प्रयास करेंगे।

यहाँ पर सभी सदस्य अलग-अलग दलों से, अलग-अलग विचारधारा से और अलग-अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन इन पाँच सालों में मुझे सब एक परिवार जैसे लगे। मुझे एक ऐसा परिवार लगा, जो हमेशा मेरे जीवन में अविस्मरणीय रहेगा।

मेरे सभी सदस्यों से एक परिवार जैसे संबंध रहे। मुझे आत्मिक भाव मिला। न पक्ष, न विपक्ष, सब मेरे लिए सदस्य हैं। मैंने सभी सदस्यों का मान सम्मान बनाने का प्रयास किया है। मुझे कुछ कटुता के निर्णय भी लेने पड़े, लेकिन वे सदन की गरिमा और सदन की प्रतिष्ठा के लिए लेने पड़े।

आज जब हम लोक सभा की समाप्ति पर जा रहे हैं, तो हम अपने-अपने लोक सभा क्षेत्र में जाएंगे और हमने अपने सार्वजनिक जीवन में संसद के अंदर जिन अनुभवों को प्राप्त किया है, भारत के लोकतंत्र की समृद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो सहयोग किया है, उसकी जानकारी हम जनता को देंगे। इसके अलावा, हमने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों को किस सकारात्मक रूप से सरकार ने लिया और किस सकारात्मक रूप से उन मुद्दों का हल निकाला, उसके लिए मैं सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।

मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूँ, जिनका मुझे हमेशा सकारात्मक सहयोग मिलता रहा है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिनका मुझे हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा और उन्होंने हमेशा एक कोशिश की कि सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा बनी रहे। लोकतंत्र के अंदर भारत की जो प्रतिष्ठा है, वह दुनिया के लिए मागदर्शन है और उन्होंने हमेशा यही मार्गदर्शन किया कि संसद की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। व्यक्ति आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन सदन और सदन की पीठ की मर्यादा बनाने के लिए उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा मिलता रहे, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।

मैं सभापति तालिका के सभी चेयरपर्सन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पर बहुत देर तक बैठकर सदन की कार्यवाही को चलाया। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री, संसदीय राज्य मंत्री तथा मंत्री परिषद के सभी माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सदन चलाने में सकारात्मक सहयोग दिया। मैं प्रेस और मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सदन की बात को जनता तक पहुँचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मैं सभा को प्रदान की गयी समर्पित, त्वरित सेवा के लिए हमारे ऊर्जावान लोक सभा के महासचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करता हूँ, जिन्होंने देर रात्रि तक बैठकर सदन के संचालन में सहयोग किया।

मैं परिसर में हमारे सिक्युरिटी से लेकर तमाम लोगों को, छोटे से छोटे श्रमवीरों को, जो देर रात्रि तक यहाँ पर रुकते थे और हमारे माननीय सदस्यों का सहयोग करते थे, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में समस्त एजेंसियों को, उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूँ।

अलग-अलग दल के नेताओं ने इस संसदीय पीठ के लिए और मेरे लिए जो विचार व्यक्त किए हैं, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मुझे आशा है कि हम सबका भावी जीवन समृद्ध हो, स्वस्थ रहे, कुशल रहे और हम इसी तरीके से लोकतंत्र के मूल्यों का संवर्धन करने में अपना जीवन समर्पित करें और हमने यहाँ पर जो अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव का लाभ देश की जनता को मिले। हमारे प्रयासों से हम समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए हमारी ज़िंदगी को लगातार इसी तरीके से समर्पित करते रहें और सेवा देते रहें। मैं आप सबको पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मैं वन्दे मातरम के लिए आग्रह करता हूँ।

संसदीय घटनाक्रम और कार्यकलाप

सम्मेलन और संगोष्ठियां

राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों का 27वां सम्मेलन (सीएसपीओसी): राज्य सभा के उप-सभापति, श्री हरिवंश के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने 3 से 6 जनवरी 2024 तक युगांडा के कंपाला में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 27वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) में भाग लिया। राज्य सभा के उप-सभापति ने सम्मेलन के विशेष पूर्ण सत्र के दौरान "संसदीय कार्य हेतु आम सहमति बनाना: अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका" विषय पर मुख्य भाषण देने के अतिरिक्त सम्मेलन के प्रत्येक सत्र में भागीदारी की। भारत वर्ष 2026 में 28वें सीएसपीओसी का आयोजन करने के लिए तैयार है और भारत ने इस आयोजन का कार्यभार 27वें सीएसपीओसी के आयोजक युगांडा से ग्रहण किया है। उपसभापति ने अपने संबोधन के दौरान सभी 9 क्षेत्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 84वां सम्मेलन (एआईपीओसी): अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 84वां सम्मेलन (एआईपीओसी) 27 से 28 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधान सभा भवन, मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित हुआ।

27 जनवरी 2024 को लोक सभा अध्यक्ष और एआईपीओसी के सभापति श्री ओम बिरला ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और संबोधित किया। उद्घाटन सत्र के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी प्रसारित किया गया। राज्य सभा के उप-सभापति श्री हरिवंश, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधान सभा के उपाध्यक्ष श्री नरहरि जिरवाल और महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता श्री अंबादास दानवे ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरे ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। सम्मेलन में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के 27 पीठासीन अधिकारियों (अध्यक्ष/उपसभापति/उपाध्यक्षों सहित) ने भाग लिया।

सम्मेलन के दौरान कार्यसूची के दो विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ: (एक) लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करना - संसद और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों में अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने की आवश्यकता; और (दो) समिति-प्रणाली को अधिक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी कैसे बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन के दौरान पांच (5) संकल्प अंगीकार किए गए।

सम्मेलन का समापन सत्र 28 जनवरी 2024 को आयोजित किया गया, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया, महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस, लोक सभा अध्यक्ष और एआईपीओसी के सभापति श्री ओम बिरला, राज्य सभा के उप-सभापति श्री हरिवंश, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़नवीस और महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर ने भी गण्यमान्य लोगों को संबोधित किया। महाराष्ट्र विधान परिषद की उप-सभापति डॉ. नीलम गोरहे ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

84वें एआईपीओसी के पहले दिन अर्थात् 27 जनवरी 2024 को, एआईपीओसी की स्थायी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, जो एआईपीओसी की स्थायी समिति के सभापति भी होते हैं, ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य सभा के उप-सभापति श्री हरिवंश और स्थायी समिति के पांच सदस्यों के साथ-साथ एक पीठासीन अधिकारी विशेष आमंत्रिती के रूप में शामिल हुए। बैठक में लोक सभा के महासचिव और स्थायी समिति की बैठक के सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह और राज्य सभा के महासचिव श्री पी.सी. मोदी भी शामिल हुए।

भारत में विधायी निकायों के सचिवों का 60वां सम्मेलन: भारत में विधायी निकायों के सचिवों का 60वां सम्मेलन 27 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधान सभा, मुंबई, महाराष्ट्र में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 'विधान मंडल के कार्यों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग' विषय पर विचार-विमर्श किया गया।

लोक सभा के महासचिव और सम्मेलन के सभापति श्री उत्पल कुमार सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया। राज्य सभा के महासचिव श्री पी.सी. मोदी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इसमें 21 प्रधान सचिवों/विशेष सचिवों/राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के विधान मंडलों के सचिवों ने भाग लिया।

सीपीए क्षेत्रीय सचिवों की वर्चुअल बैठक: सीपीए क्षेत्रीय सचिवों की वर्चुअल बैठक 13 फरवरी 2024 को आयोजित की गई। सीपीए के 9 क्षेत्रों के क्षेत्रीय सचिव/वैकल्पिक क्षेत्रीय सचिवों ने बैठक में भाग लिया। सीपीए भारत क्षेत्र से, लोक सभा सचिवालय के संयुक्त सचिव श्री अंजनी कुमार ने वैकल्पिक क्षेत्रीय सचिव के रूप में बैठक में भाग लिया। सीपीए भारत क्षेत्र से क्षेत्रीय अपडेट के एक भाग के रूप में, श्री अंजनी कुमार ने इस महान सभा को जी20 संसदीय अध्यक्षों के 9वें शिखर सम्मेलन (पी20) की सफलता के बारे में जानकारी दी, जिसे भारत की संसद द्वारा अक्तूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि शिष्टमंडलों की भागीदारी के मामले में 9वां पी20 शिखर सम्मेलन अब तक का सबसे सफल पी20 शिखर सम्मेलन है। पैन-अफ्रीकी संघ को जी-20 सदस्य के रूप में शामिल किये जाने के बाद पहली बार पैन-अफ्रीकी संसद ने भी शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

श्री अंजनी कुमार ने यह भी जानकारी दी कि भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, भारतीय संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, जिसमें संसद के निम्न सदन और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। उन्होंने 3 से 6 जनवरी 2024 तक युगांडा के कंपाला में सम्पन्न होने वाले 27वें सीएसपीओसी में राज्य सभा के उप-सभापति श्री हरिवंश के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने 27 से 29 जनवरी 2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र में सम्पन्न अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 84वें सम्मेलन और भारत में विधायी निकायों के सचिवों के 60वें सम्मेलन के बारे में भी जानकारी दी।

मानवाधिकार संबंधी सीपीए कार्य समूह की वर्चुअल बैठक: मानवाधिकारों संबंधी कार्य समूह की वर्चुअल बैठक 13 फरवरी 2024 को आयोजित की गई। श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल, सदस्य, लोक सभा भारत क्षेत्र से कार्य समूह के सदस्य हैं। हालाँकि, सदस्य बैठक में शामिल नहीं हो सके। सीपीए भारत क्षेत्र की ओर से डॉ. युमनाम अरुण कुमार, निदेशक, लोक सभा सचिवालय ने बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता सुश्री अकीरा मिसिक, संसद सदस्य और तुर्क और कैकोस द्वीप समूह की डेप्युटी प्रिमियर ने की। बैठक का मुख्य एजेंडा सीपीए संसदीय अकादमी से संबंधित कार्यों पर अद्यतन जानकारी देना तथा राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल (सीएचआरआई) के लंदन प्रभाग की प्रमुख (हेड ऑफ लंदन डिवीजन) सुश्री स्नेह अरोड़ा का परिचय कराना था, जो मानवाधिकारों से संबंधित मामलों पर सीपीए की सलाहकार भी हैं।

आईपीयू की 148वीं सभा और संबंधित बैठकें: अंतर-संसदीय संघ की 148वीं सभा और संबंधित बैठकें 23 से 27 मार्च 2024 तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड में सम्पन्न हुईं। राज्य सभा के उप-सभापति श्री हरिवंश के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय शिष्टमंडल (आईपीडी) जिसमें राज्य सभा के पांच सदस्य नामतः श्री एस. निरंजन रेड्डी, डॉ. अशोक कुमार मित्तल, डॉ. प्रशांत नंदा, श्रीमती सुमित्रा बाल्मीक और श्री सुजीत कुमार शामिल थे, ने सभा में भाग लिया। श्री पी.सी. मोदी, महासचिव, राज्य सभा ने संसद के महासचिवों के संघ (एएसजीपी) की बैठक में भाग लिया, जो सभा के दौरान आयोजित की गई। लोक सभा सचिवालय के निदेशक श्री एल.वी. रमणा शिष्टमंडल के सचिव थे।

राज्य सभा के उप-सभापति श्री हरिवंश ने आम चर्चा में भाग लिया *और चर्चा के मूल विषय 'संसदीय कूटनीति: शांति और आपसी समझ के लिए सेतु निर्माण'* पर एक वक्तव्य दिया।

चर्चा के पश्चात, सभा ने सर्वसम्मति से समग्र विषय से संबंधित परिणामी दस्तावेज को अंगीकार किया। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने आईपीयू स्थायी समितियों और आईपीयू शासी परिषद की चार बैठकों में भी भाग लिया। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने एशिया प्रशांत भू-राजनीतिक समूह, ब्रिक्स संसदीय मंच और एशियाई संसदीय सभा की बैठकों के दौरान भी भाग लिया। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने सभा के दौरान आयोजित निम्नलिखित पैनल

चर्चाओं/कार्यशालाओं में भी भाग लिया (एक) *स्थायी शांति की स्थापना में महिला शांति स्थापक (दो) जलवायु परिवर्तन और संघर्ष: संकट के समय संसदें अच्छा स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करें (तीन) सर्वधर्म संवाद: सर्वधर्म संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना (चार) संयुक्त राष्ट्र के लुआंडा में आयोजित सम्मेलन से आगामी शिखर सम्मेलन तक: साझी सुरक्षा और विधि सम्मत शासन के माध्यम से रणनीतिक और अस्तित्व संबंधी खतरों का समाधान* विषय पर संबंधी गोलमेज चर्चा *(पांच) जलवायु संबंधी कानून को सुदृढ़ बनाना: सांसदों के लिए व्यावहारिक उपाय (छह) मानव सुरक्षा: शांति स्थापित करने और संघर्षों को रोकने में सांसदों को समर्थ बनाना (सात) अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण संबंधी आईपीयू-ओएचसीएचआर का संयुक्त कार्यक्रम (आठ) भेदभाव दूर करना एवं आर्थिक नुकसान को लाभ में बदलना* विषय पर पैरिटी डिबेट।

राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश और शिष्टमंडल के नेता ने *बहुपक्षवाद का संकट: मूल कारण और संभावित समाधान* विषय पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में भी भाग लिया।

आईपीयू एशिया प्रशांत भू-राजनीतिक समूह (एपीजी) के सभापति ने श्रीमती अपराजिता सारंगी, संसद सदस्य और आईपीयू कार्यकारिणी समिति (एक्सकॉम) की सदस्य को समूह से एक्सकॉम के उपाध्यक्ष के रूप में समर्थन दिया।

सभा की बैठक के दौरान, राज्य सभा के माननीय उपसभापति के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने आईपीयू की प्रेसीडेंट महामहिम सुश्री तुलिया एक्सन से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त, भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने निम्नलिखित देशों के शिष्टमंडलों के साथ शिष्टाचार संबंधी द्विपक्षीय बैठकें कीं: (एक) थाईलैंड की सीनेट के प्रेसिडेंट महामहिम प्रोफेसर पोर्नपेच विचिचोलचाई के नेतृत्व में थाईलैंड के संसदीय शिष्टमंडल के साथ (दो) आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट महामहिम श्री एच. अर्शक्यान के नेतृत्व में अर्मेनिया के संसदीय शिष्टमंडल के साथ और (तीन) श्री मोहम्मद अमीन ओएरगी, संसद सदस्य के नेतृत्व में ट्यूनीशिया के संसदीय शिष्टमंडल के साथ।

राष्ट्रीय नेताओं की जयंती

संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में जिन राष्ट्रीय नेताओं के चित्र सुशोभित हैं, उनकी जयंती पर तथा लोक सभा के पूर्व अध्यक्षों की जयंती पर भी भारतीय संसदीय समूह के तत्वावधान में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर लोक सभा सचिवालय के ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) द्वारा इन नेताओं के जीवन परिचय पर तैयार की गयी पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं।

1 जनवरी से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित नेताओं की जयंती मनाई गई:

नेताजी सुभाष चंद्र बोस: नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर 23 जनवरी, 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी; लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला; अनेक केंद्रीय मंत्री, राज्य सभा में विपक्ष के नेता, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे; संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

लाला लाजपत राय: लाला लाजपत की जयंती के अवसर पर 28 जनवरी, 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों ने लाला लाजपत राय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री एम. अनंतशयनम अयंगार: श्री एम. अनंतशयनम अयंगार की जयंती के अवसर पर, *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में 04 फरवरी, 2024 को एक समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष श्री ओम बिरला; राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश; संसद सदस्यों, पूर्व संसद सदस्यों तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने श्री अयंगार के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्रीमती सरोजिनी नायडू: श्रीमती सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर 13 फरवरी, 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर गण्यमान्य व्यक्तियों ने श्रीमती सरोजिनी नायडू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

श्री मोरारजी देसाई: श्री मोरारजी देसाई की जयंती के अवसर पर 29 फरवरी, 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर गण्यमान्य व्यक्तियों ने श्री मोरारजी देसाई के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

डॉ. राम मनोहर लोहिया: डॉ. राम मनोहर लोहिया की जयंती के अवसर पर 23 मार्च, 2024 को *संविधान सदन* के केंद्रीय कक्ष में एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर गण्यमान्य व्यक्तियों ने डॉ. राम मनोहर लोहिया जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

संसदीय शिष्टमंडलों के परस्पर-दौरे

भारत के दौरे पर आए विदेशी संसदीय शिष्टमंडल

बुल्गारिया: बुल्गारिया गणराज्य की नेशनल असेंबली के प्रेसीडेंट महामहिम श्री रोसेन झेल्याज़कोव के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल ने द्विपक्षीय आदान-प्रदान के अंतर्गत 04 और 05 जनवरी, 2024 को भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल 04 जनवरी, 2024 को दिल्ली पहुंचा। 05 जनवरी को शिष्टमंडल ने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उसी दिन, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और भारत के दौरे पर आए प्रेसीडेंट के बीच द्विपक्षीय संसदीय वार्ता हुई, जिसके बाद मध्याह्न भोज का आयोजन किया गया। भारत के दौरे पर आए शिष्टमंडल के लिए संसद भवन परिसर का एक शो राउंड आयोजित किया गया।

नेपाल: नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यटन संबंधी संसदीय समिति के माननीय सभापति, श्री राज किशोर यादव के नेतृत्व में नेपाल के एक संसदीय शिष्टमंडल ने 30 जनवरी से 07 फरवरी, 2024 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल 30 जनवरी, 2024 को दिल्ली पहुंचा। 31 जनवरी को माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और भारत के दौरे पर आए सभापति के बीच द्विपक्षीय संसदीय वार्ता हुई। उसी दिन शिष्टमंडल ने विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के साथ बैठक की। भारत के दौरे पर आए शिष्टमंडल के लिए संसद भवन परिसर का एक शो राउंड आयोजित किया गया। शिष्टमंडल ने दिल्ली के अलावा आगरा, गोवा, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी और सारनाथ का भी दौरा किया।

सूरीनाम: सूरीनाम की नेशनल असेंबली के चेयरमैन महामहिम श्री मारिनस बी के नेतृत्व में सूरीनाम के एक संसदीय शिष्टमंडल ने 04 से 08 फरवरी, 2024 तक भारत का दौरा किया। शिष्टमंडल 04 फरवरी, 2024 को दिल्ली पहुंचा। 05 फरवरी को माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला और भारत के दौरे पर आए सभापति के बीच द्विपक्षीय संसदीय वार्ता हुई, जिसके बाद मध्याह्न भोज का आयोजन किया गया। शिष्टमंडल ने 'विशेष बॉक्स' से लोक सभा और राज्य सभा की कार्यवाही भी देखी और भारत के दौरे पर आए शिष्टमंडल के लिए संसद भवन परिसर का एक शो राउंड भी आयोजित किया गया। उसी दिन, शिष्टमंडल ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर से मुलाकात की। शिष्टमंडल के सदस्यों ने दिल्ली के अलावा आगरा, लखनऊ और अयोध्या का भी दौरा किया।

माननीय अध्यक्ष लोक सभा से भेंट

थाईलैंड: थाईलैंड की सीनेट की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति के चेयरमैन श्री पिकुलकेव क्रिश, सीनेटर के नेतृत्व में थाईलैंड के शिष्टमंडल ने 8 फरवरी 2024 को संसद भवन में माननीय अध्यक्ष, लोक सभा, श्री ओम बिरला से मुलाकात की।

संसद का शो राउंड

गण्यमान्य व्यक्ति जिनके लिये संसद के शो राउंड का आयोजन किया गयाः (एक) 24 जनवरी 2024 को मोल्दोवा की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री नतालिया गैवरिलिटा; (दो) 6 फरवरी 2024 को फिजी का शिष्टमंडल; (तीन) 8 फरवरी 2024 को विदेश मामलों संबंधी सीनेट स्थायी समिति के चेयरमैन श्री पिकुलकेव क्रिश, सीनेटर के नेतृत्व में थाईलैंड की सीनेट का शिष्टमंडल; (चार) 19 फरवरी 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस के अधिकारियों/कर्मचारियों का सात सदस्यीय आधिकारिक शिष्टमंडल; (पांच) 22 फरवरी 2024 को मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग उप मंत्री महामहिम श्री ल्यू चिन टोंग के नेतृत्व में मलेशिया का शिष्टमंडल; (छह) 26 फरवरी 2024 को नॉर्वे का संसदीय शिष्टमंडल; (सात) 26 फरवरी 2024 को मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुराल (संसद) के महासचिव श्री एनखबत दामदीन के नेतृत्व में मंगोलिया की संसद के वरिष्ठ अधिकारियों का शिष्टमंडल; (आठ) 5 मार्च 2024 को डेनिश संसद के उपाध्यक्ष महामहिम श्री लीफ लाहन जेन्सेन के नेतृत्व में डेनिश संसद का संसदीय शिष्टमंडल; (नौ) 12 मार्च 2024 को न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री महामहिम विंस्टन पीटर्स के नेतृत्व में न्यूजीलैंड का शिष्टमंडल; और (दस) 18 मार्च 2024 को यूनाइटेड किंगडम सरकार में उत्तरी आयरलैंड के पूर्व राज्य सचिव (कैबिनेट मंत्री) श्री ओवेन डब्ल्यू पैटर्सन।

संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड)

1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) द्वारा सदस्यों/शिष्टमंडल के सदस्यों/ परिवीक्षार्थियों/गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम/कार्यक्रम/ गतिविधियां आयोजित की गयी:

एक. विधान सभा के सदस्यों हेतु प्रबोधन कार्यक्रम: संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति के संबंध में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में: (एक) 9 से 10 जनवरी 2024 तक मध्य प्रदेश विधान सभा के दो सौ तेईस सदस्यों; (दो) 16 जनवरी 2024 को राजस्थान विधान सभा के दो सौ सदस्यों; (तीन) 16 से 18 जनवरी 2024 तक मिजोरम विधान सभा के सत्ताईस सदस्यों; और (चार) 20 से 21 जनवरी 2024 तक छत्तीसगढ़ विधान सभा के 90 सदस्यों ने भाग लिया।

दो. राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024: 5 से 6 मार्च 2024 तक संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित वर्ष 2023 के राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में सतासी छात्रों ने भाग लिया।

तीन. भारत सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम: 19 मार्च 2024 को दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए आयोजित कार्यशाला और जागरूकता सत्र में भारत सरकार के पंद्रह दृष्टिबाधित कर्मचारियों ने भाग लिया।

चार. परिबोधन पाठ्यक्रम: निम्नलिखित प्रतिभागियों के लिये संसदीय प्रक्रिया और पद्धति से संबंधित पांच परिबोधन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए: (एक) 11 से 13 मार्च 2024 तक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस-आयकर), भारतीय डाक सेवा (आईपीओएस) और भारतीय कॉर्पोरेट कानून सेवा (आईसीएलएस) के एक सौ अठारह परिवीक्षार्थियों / अधिकारी-प्रशिक्षुओं; (दो) 5 से 6 मार्च 2024 तक इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की भारतीय नौसेना सामग्री प्रबंधन सेवा के अठारह अधिकारियों; (तीन) 19 से 21 फरवरी 2024 तक भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस**)** और भारतीय रेडियो नियामक सेवा (आईआरआरएस**)** के छत्तीस प्रशिक्षु अधिकारियों**;** (चार) 13 से 15 फरवरी 2024 तक भारतीय रक्षा संपदा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा और भारतीय पी.एंड टी. लेखा और वित्त सेवा के पचास प्रशिक्षु अधिकारियों; और (पांच) 18 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण (आईएफएससीए) के इक्कीस परिवीक्षार्थियों ने भाग लिया।

पांच. लोक सभा/राज्य सभा और राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम: (एक) 3 से 4 जनवरी 2024 तक राज्य सेवा अधिकारियों के लिए आयोजित अटैचमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाराष्ट्र के बानवे अधिकारियों (समूह-क) ने भाग लिया**;** (दो) ने 8 से 12 जनवरी 2024 तक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित प्रबंधन विकास कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के पैंतीस अधिकारियों ने भाग लिया; (तीन) 12 जनवरी, 20 फरवरी और 19 मार्च 2024 को "महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी जागरूकता" विषय पर आयोजित कार्यशाला में लोक सभा सचिवालय के तीन सौ दो अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया; (चार) 15 से 19 जनवरी 2024 तक सी-डैक, नोएडा में आयोजित साइबर सुरक्षा उपायों संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के इकत्तीस अधिकारियों ने भाग लिया; (पांच) 15 से 19 जनवरी 2024 तक गोवा में आयोजित देश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के इक्कीस अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया; (छह) 24 जनवरी 2024 को आयकर से संबंधित मुद्दों और पीएफएमएस पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के 95 अधिकारियों ने भाग लिया; (सात) 22 फरवरी 2024 को "संगठनात्मक नेतृत्व और टीम निर्माण" संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोक सभा सचिवालय के 87 पर्यवेक्षी स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया; और (आठ) 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लोक सभा सचिवालय के सत्तर अधिकारियों/कर्मचारियों ने संगोष्ठी में भाग लिया।

छह. अपने नेता को जानें: 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए संसद के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी "अपने नेता को जानें -श्री सुभाष चंद्र बोस की जयंती" कार्यक्रम के अन्तर्गत एक हजार तीन सौ पचानबे प्रतिभागियों/छात्रों ने भाग लिया।

सात. **अध्ययन दौरा/प्रशिक्षण कार्यक्रम** (**अंतर्राष्ट्रीय**): **(क):** (एक) 22 जनवरी और 21 फरवरी 2024 को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में आयोजित भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी) के अन्तर्गत भारतीय मूल के सतहतर निवासी/भारतीय समुदाय के युवाओं ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; (दो) 21 फरवरी 2024 को आईटीईसी कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित हुडको के मानव निपटान प्रबंधन संस्थान (एचएसएमआई) के अट्ठाईस विदेशी प्रोफशनलों ने अध्ययन दौरे में भाग लिया; और (तीन) 27 से 28 फरवरी 2024 तक संसदीय प्रक्रिया और पद्धति संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंगोलिया की संसद के सात अधिकारियों ने भाग लिया।

अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) (**ख):** इस अवधि के दौरान चौंतीस अध्ययन दौरे (राष्ट्रीय) आयोजित किए गए।

सदस्य संदर्भ सेवा

सदस्य संदर्भ सेवा संसद सदस्यों की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को मुख्यतः उनके दिन-प्रतिदिन के संसदीय कार्यों से संबंधित सूचनाएं प्रदान करती है। यह सेवा सदन के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों और विधेयकों के बारे में संदर्भ टिप्पणियां और विधायी टिप्पणियां प्रस्तुत करती है।

1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, कुल 224 संदर्भ, जिनमें से 159 संदर्भ ऑफ़लाइन और 65 संदर्भ ऑनलाइन, प्राप्त हुए और उनका निपटान किया गया। तीन विधायी टिप्पणियां और एक संदर्भ टिप्पणी तैयार की गई, जिन्हें संसद ग्रन्थागार की वेबसाइट पर अपलोड किया गया और सदस्यों के पोर्टल के माध्यम से संसद सदस्यों के साथ साझा किया गया। इस अवधि के दौरान, सदन के समक्ष महत्वपूर्ण विधायी कार्यों से संबंधित संसद सदस्यों के लिए एक ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया गया।

विशेषाधिकार संबंधी मामले

लोक सभा

1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, विशेषाधिकार समिति की दो बैठकें क्रमशः 12 और 30 जनवरी 2024 को हुईं। इस अवधि के दौरान विशेषाधिकार समिति ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

विशेषाधिकार समिति

एक

17वीं लोक सभा में 18 दिसम्बर, 2023 को सभा द्वारा अंगीकार किए गए प्रस्ताव/संकल्प के आधार पर संसद सदस्यों डॉ. के. जयकुमार, श्री अब्दुल खालेक और श्री विजयकुमार *उर्फ* विजय वसंत को कदाचार के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था और विशेषाधिकार समिति को इस मामले में आगे की जांच करने और उस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया। समिति ने इस मामले पर अपना सातवां प्रतिवेदन 30 जनवरी 2024 को माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और 31 जनवरी 2024 को सभा के पटल पर रखा।

समिति ने अपने तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में पाया कि लोक सभा के संसद सदस्यों डॉ. के. जयकुमार, श्री अब्दुल खालेक और श्री विजयकुमार *उर्फ* विजय वसंत द्वारा 'डाकघर विधेयक 2023' पर चर्चा के दौरान जानबूझकर नारेबाजी करने, तख्तियां दिखाने और सदन के 'पोडियम' की ओर बढ़ने सहित सदन में व्यवधान उत्पन्न करने का किया गया प्रयास 'सदन की अवमानना' का स्पष्ट मामला है। तथापि, संसद सदस्यों, डॉ. के. जयकुमार, श्री अब्दुल खालेक और श्री विजयकुमार *उर्फ* विजय वसंत द्वारा समिति के समक्ष अपने साक्ष्य के दौरान व्यक्त किए गए खेद को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सिफारिश की कि इस मामले में आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अतः, समिति ने सिफारिश की कि श्री डॉ. के. जयकुमार, श्री अब्दुल खालेक और श्री विजयकुमार *उर्फ* विजय वसंत को अब तक किए गए निलंबन को पर्याप्त सजा के रूप में माना जाए और यथाशीघ्र माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के सदस्यों डॉ. के. जयकुमार, श्री अब्दुल खालेक और श्री विजयकुमार *उर्फ* विजय वसंत के निलंबन को जारी रखने/रद्द करने पर विचार करें।

संसदीय और संवैधानिक घटनाक्रम

(1 जनवरी से 31 मार्च 2024)

इस लेख में सम्मिलित घटनाक्रम मुख्यतः संघ और राज्य विधान मंडलों, भारत के चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइटों और दैनिक समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों सहित पब्लिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। अतः लोक सभा सचिवालय इनके सटीक, सत्य होने या न होने का उत्तरदायी नहीं है।

भारत

संघ का घटनाक्रम

संसद सत्र: सत्रहवीं लोक सभा का पंद्रहवां सत्र और राज्य सभा का दो सौ तिरसठवां सत्र (सत्रहवीं लोक सभा का अंतिम सत्र) 31 जनवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एकत्रित दोनों सदनों के सदस्यों को दिए गए अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। लोक सभा और राज्य सभा को 10 फरवरी 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 15 फरवरी 2024 को लोक सभा और राज्य सभा दोनों का सत्रावसान किया।

मंत्री का त्यागपत्र : 19 मार्च 2024 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने त्यागपत्र दे दिया।

अतिरिक्त प्रभार का आवंटन: 20 मार्च 2024 को पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया गया।

राज्य सभा के लिए चुनाव: 1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान निम्नलिखित सदस्य राज्य सभा के लिए चुने गए हैं:

क्र.सं.	नाम और दल संबद्धता तथा राज्य	निर्वाचन/नामांकन की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण की तिथि
(एक)	श्री संजय सिंह (आम आदमी पार्टी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12.01.2024	28.01.2024	19.03.2024
(दो)	श्री नारायण दास गुप्ता (आम आदमी पार्टी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12.01.2024	28.01.2024	31.01.2024
(तीन)	सुश्री स्वाति मालीवाल (आम आदमी पार्टी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12.01.2024	28.01.2024	31.01.2024
(चार)	श्री दोरजी शेरिंग लेप्चा (भारतीय जनता पार्टी) सिक्किम	12.01.2024	24.02.2024	12.03.2024

क्र.सं.	नाम और दल संबद्धता तथा राज्य	निर्वाचन/नामांकन की तिथि	कार्यकाल प्रारंभ होने की तिथि	शपथ ग्रहण की तिथि
(पाँच)	श्री प्रदीप कुमार वर्मा (भारतीय जनता पार्टी) झारखंड	14.03.2024	04.05.2024	शपथ ग्रहण कार्यकाल शुरू होने के बाद होगा
(छह)	डॉ. सरफराज अहमद (भारतीय जनता पार्टी) झारखंड	14.03.2024	04.05.2024	शपथ ग्रहण कार्यकाल शुरू होने के बाद होगा
(सात)	श्री सतनाम सिंह संधू (मनोनीत)	30.01.2024	30.01.2024	31.01.2024
(आठ)	श्रीमती सुधा मूर्ति (मनोनीत)	08.03.2024	08.03.2024	14.03.2024

राज्य सभा सदस्यों का त्यागपत्र : 27 फरवरी 2024 को महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री प्रफुल्ल पटेल ने त्यागपत्र दे दिया।

4 मार्च 2024 को हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री जगत प्रकाश नड्डा ने त्यागपत्र दे दिया।

लोक सभा सदस्य द्वारा सीट की रिक्ति: उत्तर प्रदेश के रायबरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली लोक सभा की निर्वाचित सदस्य श्रीमती सोनिया गांधी, राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के परिणामस्वरूप, 20 फरवरी 2024 से लोक सभा की सदस्य नहीं रहेंगी।

लोक सभा सदस्य की मृत्यु: 27 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सदस्य डॉ. शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया।

28 मार्च 2024 को, इरोड, तमिलनाडु से द्रविड़ मुनेत्र कषगम के सदस्य श्री ए. गणेशमूर्ति का निधन हो गया।

लोक सभा से त्यागपत्र: निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया:

क्र.सं.	नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	दिनांक
1.	श्रीमती गीता कोरा	सिंहभूम	झारखंड	12.03.2024
2.	श्री बृजेन्द्र सिंह	हिसार	हरियाणा	12.03.2024
3.	श्री राहुल कासवान	चुरू	राजस्थान	12.03.2024

राज्यों के घटनाक्रम

बिहार

विभागों का पुन: आवंटन: 20 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने विभागों का पुनः आवंटन किया। शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर को गन्ना उद्योग विभाग; राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, श्री आलोक मेहता को शिक्षा विभाग; और सार्वजनिक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग मंत्री को राजस्व और भूमि सुधार विभाग का अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया गया।

मुख्यमंत्री की शपथ: 28 जनवरी 2024 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

राजनीतिक विकास: 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने राज्य विधान सभा में विश्वास मत प्राप्त किया।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति: 15 फरवरी 2024 को श्री नंदकिशोर यादव को बिहार विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।

मंत्रिमंडल का विस्तार: 15 मार्च, 2024 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में इक्कीस नए मंत्रियों को शामिल किया। राज्यपाल श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए 21 नए मंत्रियों सर्वश्री मंगल पांडेय, नीरज कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नितिन नबीन, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, कृष्णनंदन पासवान, संतोष कुमार सिंह, सुरेन्द्र मेहता, हरि साहनी, अशोक चौधरी, मदन सहनी, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, जयंत राज, मो. ज़मा खान, रत्नेश सदा, डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल; और श्रीमती रेणु देवी, श्रीमती लेशी सिंह और श्रीमती शीला कुमारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

हरियाणा

मुख्यमंत्री का इस्तीफा: 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया।

मुख्यमंत्री की शपथ: 12 मार्च 2024 को श्री नायब सिंह सैनी ने पांच मंत्रियों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

झारखंड

मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की शपथ: 2 फरवरी 2024 को श्री चंपई सोरेन ने दो कैबिनेट मंत्रियों, सर्वश्री सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

राजनीतिक विकास: 5 फरवरी 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने राज्य विधान सभा में विश्वास मत जीता।

मंत्रिमंडल का विस्तार: 16 फरवरी, 2024 को मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन ने आठ नए मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया। राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने आठ नए मंत्रियों सर्वश्री दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मिथिलेश कुमार ठाकुर, बसंत सोरेन, हफ़ीज़ुल हसन, डॉ. रामेश्वर उरांव और श्रीमती बेबी देवी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

पुडुचेरी

उपराज्यपाल का इस्तीफा: 18 मार्च 2024 को उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया।

उपराज्यपाल की शपथ: 22 मार्च 2024 को झारखंड और तेलंगाना के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली।

पंजाब

राज्यपाल का इस्तीफा: 3 फरवरी 2024 को राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित ने इस्तीफा दे दिया।

तमिलनाडु

मंत्री का इस्तीफा: 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट मंत्री श्री वी. सेंथिलबालाजी ने इस्तीफा दे दिया।

मंत्री की शपथ: 22 मार्च 2024 को श्री के. पोनमुडी ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल श्री आर. एन. रवि ने मंत्री महोदय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

तेलंगाना

राज्यपाल का इस्तीफा: 18 मार्च 2024 को राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने इस्तीफा दे दिया।

राज्यपाल की शपथ: 20 मार्च 2024 को झारखंड के राज्यपाल श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

उत्तर प्रदेश

मंत्रिमंडल का विस्तार: 5 मार्च, 2024 को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने चार नए मंत्रियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चार नए मंत्रियों सर्वश्री ओम प्रकाश राजभर, अनिल कुमार, दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

विदेश में घटनाएँ

अज़रबैजान

राष्ट्रपति की शपथ: 14 फरवरी 2024 को, श्री इल्हाम अलीयेव ने पांचवें कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

बांग्लादेश

प्रधान मंत्री की शपथ: 11 जनवरी 2024 को, सुश्री शेख हसीना ने पांचवें कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

भूटान

प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 28 जनवरी 2024 को श्री शेरिंग तोबगे को दूसरे कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य

राष्ट्रपति की शपथ: 20 जनवरी 2024 को, श्री फेलिक्स त्सेसेकेदी ने दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

अल साल्वाडोर

राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित: 4 फरवरी 2024 को श्री नायब बुकेले को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।

इथियोपिया

उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 8 फरवरी 2024 को श्री टेम्सजेन तिरुनेह को उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया।

फ़िनलैंड

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 1 मार्च 2024 को श्री अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

फ्रांस

प्रधानमंत्री का त्यागपत्र: 8 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सुश्री एलिजाबेथ बोर्न ने त्यागपत्र दे दिया।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति: 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रॉन ने श्री गेब्रियल अट्टल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

हंगरी

राष्ट्रपति का त्यागपत्र: 10 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति सुश्री कैटलिन नोवाक ने इस्तीफा दे दिया।

नए राष्ट्रपति: 26 फरवरी 2024 को श्री तमस सुल्योक को हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया।

पाकिस्तान

प्रधानमंत्री द्वारा शपथ ग्रहण: 4 मार्च 2024 को श्री शहबाज शरीफ ने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण: 10 मार्च 2024 को श्री आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।

संवैधानिक और संसदीय रुचि के दस्तावेज

[इस खंड में 1 जनवरी 2024 – 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा (संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद) स्वीकृत कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों का विवरण दिया गया है]

जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024: जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024, जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 और जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (अधिनियम) का संविधान के भाग 9 और भाग 9क के उपबंधों के अनुरूप संशोधन करने के लिए है।

संविधान का भाग 9 और भाग 9क "पंचायत" और "नगरपालिकाएं" से संबंधित है संविधान के अनुच्छेद 243घ का खंड (6) और अनुच्छेद 243न राज्य के विधान-मंडलों को किसी "पंचायत" और "नगरपालिका" में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए स्थानों को आरक्षित करने का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है। यद्यपि, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के अधिनियमों में पंचायतों और नगरपालिकाओं में "अन्य पिछड़े वर्गों" के लिए स्थानों के आरक्षण का कोई उपबंध नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 243ट और अनुच्छेद 243यक के अनुसार, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने के कार्य का अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण तथा सभी निर्वाचनों का संचालन "राज्य निर्वाचन आयुक्त" से मिलकर बनने वाले "राज्य निर्वाचन आयोग" में निहित है। समान उपबंध, जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में सम्मिलित किए गए थे। तथापि, जम्मू-कशमीर संघ राज्यक्षेत्र की नगरपालिक विधियों के अनुसार, नगरपालिकाओं और नगर निगमों के सभी निर्वाचनों का संचालन का कार्य जम्मू-कश्मीर के "मुख्य निर्वाचक अधिकारी" के पास होता है।

संविधान का अनुच्छेद 243ट के खंड (2) के परंतुक में इस बात की परिकल्पना की गई है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। किंतु जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 36ख यह उपबंध करती है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उप राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा उप राज्यपाल द्वारा किए गए निर्देश पर जांच करने के पश्चात् साबित कदाचार या अक्षमता के सिवाय पद से नहीं हटाया जाएगा। जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में राज्य निर्वाचन आयुक्त से संबंधित उपबंध संविधान के उपबंधों से भिन्न हैं।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र पंचायतों और नगरपालिकाओं में "अन्य पिछड़ा वर्ग" के लिए आरक्षण का उपबंध करने के लिए और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय निकाय विधियों में संविधान के उपबंधों के अनुरूप संगतता लाने के लिए यह आवश्यक है कि अधिनियमों के कतिपय उपबंधों का संशोधन किया जाए तथा संसद में एक विधेयक अर्थात्, जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 पुरःस्थापित किया जाए। इससे जम्मू और कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आजादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 को क्रमशः 6 फरवरी 2024 और 9 फरवरी 2024 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 12 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (1989 का 9), जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 (2000 का 20) तथा जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 (2000 का 21) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर की विधान सभा अस्तित्व में नहीं है और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के निबंधनों में भारत सरकार द्वारा सं. का.आ. 3937 (अ), तारीख 31 अक्तूबर, 2019 द्वारा की गई उद्घोषणा प्रवृत्त है;

और पूर्वोक्त उद्घोषणा के निबंधनों में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य हैं।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

8. धारा 36घ का संशोधन। पंचायती राज की धारा 36घ की उपधारा (2) में,—

(क) प्रारंभिक भाग में "आयोग को निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयोग को निम्नलिखित के लिए शक्ति होगी" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में, "ऐसे निदेश देगा" शब्दों के स्थान पर, "आदेश द्वारा ऐसे निदेश देगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ग) में, "प्रत्यायोजित करेगा" शब्द के स्थान पर, "आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें वर्णित किए जाएं, प्रत्यायोजित करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

9. धारा 39 का संशोधन। पंचायती राज अधिनियम की धारा 39 में, खंड (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(चार) ऐसे अन्य आधार, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित किए जाएं।"

10. धारा 45क का संशोधन। पंचायती राज अधिनियम की धारा 45क में, —

(क) उपधारा (4) में,—

(एक) खंड (क) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(दो) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) अनुसूचित जनजातियों के लिए; और

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए";

(तीन) दीर्घ पंक्ति में, "या उस जिले में अनुसूचित जनजातियों के" शब्दों के पश्चात् "या उस जिले में अन्य पिछड़ा वर्गों के" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में, "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (6) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय 2

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 का संशोधन

2. धारा 2 का संशोधन। जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् पंचायती राज अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ठक) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (iii) के अनुसार समय-समय पर घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है;'।

3. धारा 2क का प्रतिस्थापन। पंचायती राज अधिनियम की धारा 2क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:

'2क. कतिपय पदों के प्रति निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा अर्थान्वयन। संपूर्ण अधिनियम में "जिला योजना और विकास बोर्ड" और "जिला पंचायत अधिकारी" शब्द, जहां-कहीं वे आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "जिला विकास परिषद्" और "सहायक पंचायत आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे।'

4. धारा 4 का संशोधन। पंचायती राज अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में, –

(क) पहले परंतुक में, --

(i) खंड (क) में अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) अनुसूचित जनजातियां; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग, ";

(iii) दीर्घ पंक्ति में, "या पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का" शब्दों के पश्चात् "या, यथास्थिति, पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों का या अन्य पिछड़े वर्गों का" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में, -

(i) खंड (क) में, "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे:

(ii) खंड (ख) में, "और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 27 का संशोधन। पंचायती राज अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) में, -

(क) पहले परंतुक में—

(i) खंड (क) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात: —

(ख) अनुसूचित जनजातियां; और

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग, ";

(iii) दीर्घ पंक्ति में, "या उस जिले में अनुसूचित जनजातियों के" शब्दों के पश्चात् "या उस जिले में अन्य पिछड़ा वर्गों के" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में, -

(i) खंड (क) में, "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में, "या अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे।

6. धारा 36क का संशोधन। पंचायती राज अधिनियम की धारा 36क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) राज्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें, वे होंगी, जो उप राज्यपाल नियमों द्वारा अवधारित करे:

परंतु यदि कोई व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद धारण करने की तारीख से ठीक पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन प्राप्त कर रहा है या पेंशन (नि:शक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करने के लिए हकदार हो जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन को-

(क) उस पेंशन की रकम और

(ख) यदि पद धारण करने से पूर्व उसने ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के भाग को प्राप्त किया था तो उसके सारांशीकृत मूल्य को पेंशन के उस भाग की रकम से, घटा दिया जाएगा।

(3) यात्रा भत्ता भाटक मुक्त आवास सुविधा, वाहन सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा, जो सेवानिवृत्ति के समय किसी व्यक्ति को या राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उसकी नियुक्ति पर उसे उपलब्ध हैं, जहां तक हो सके उसे अनुज्ञेय होंगी।

(4) राज्य निर्वाचन आयुक्त को छुट्टी अनुदत्त करने या छुट्टी से इंकार करने की शक्ति और उसे अनुदत्त छुट्टी को वापस लेने या सीमित करने की शक्ति उप राज्यपाल में विहित होगी। "।

7. धारा 36ख का प्रतिस्थापन। पंचायती राज अधिनियम की धारा 36ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"36ख. राज्य निर्वाचन को आयुक्त हटाना। राज्य निर्वाचन आयुक्त को सिवाय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की रीति और आधार से नहीं हटाया जाएगा तथा राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके प्रति अलाभदायक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। "।

अध्याय 3

जम्मू-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 का संशोधन

11. कतिपय पदों के प्रति निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा अर्थान्वयन। संपूर्ण जम्मू-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात नगरपालिक अधिनियम कहा गया है) में "मुख्य निर्वाचन अधिकारी"

और "पिछड़ा वर्ग" शब्द, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमशः "राज्य निर्वाचन आयोग" और "अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे।

12. धारा 2 का संशोधन। नगरपालिक अधिनियम की धारा 2 में, -

(क) खंड (1) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (27), के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(27क) "अन्य पिछड़ा वर्गों" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 2 के खंड (ण) के उपखंड (तीन) के अनुसार समय-समय पर घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है;';

(ग) खंड (29ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(29खख) "राज्य निर्वाचन आयोग" से पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 36 के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है;'।

13.धारा 11क का संशोधन। नगरपालिक अधिनियम की धारा 11क में, -

(क) उपधारा (1) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (3क) में, "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे; और

(ङ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा।"।

14. धारा 282 का संशोधन। नगरपालिक अधिनियम की धारा 282 की उपधारा (20 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आयोग–

(एक) किसी व्यक्ति से, जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी सम्मिलित है, विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए, जिसका उस व्यक्ति द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन दावा करता है, से किसी विषय पर सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो आयोग की राय में जांच के विषय के लिए उपयोगी या सुसंगत हो;

(दो) आदेश द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को या किसी अन्य कानूनी निकाय या सोसाइटी को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों के निर्बाध और दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे;

(तीन) आदेश द्वारा उसमें वर्णित ऐसे निबंधनों की शर्त के अधीन रहते हुए अपनी किसी भी शक्ति को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(चार) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नगरपालिकाओं का अवधारण और परिसीमन कर सकेगा;

(पांच) अपनी स्वयं की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों का समय और स्थान नियत करना है, को विनियमित करेगा; और

(छह) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो समय-समय पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा अवधारित की जाएं। "

15. नई धारा 282क का अंतःस्थापन। नगरपालिक अधिनियम की धारा 282 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"282क. जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के कतिपय उपबंधों का लागू होना। पंचायती राज अधिनियम [जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 36, धारा 36क, धारा 36ख, धारा 36ग, धारा 37 और धारा 39 यथावश्यक उपांतरणों सहित इस अधिनियम को लागू होंगी।"।

अध्याय चार

जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 का संशोधन

16. कतिपय पदों के प्रति निर्देश का कतिपय अन्य पदों द्वारा अर्थान्वयन। संपूर्ण जम्म-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् नगरपालिक अधिनियम कहा गया है) में "मुख्य निर्वाचन अधिकारी" और "पिछड़ा वर्ग" शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमशः "राज्य निर्वाचन आयोग" और "अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे।

17. धारा 2 का संशोधन। नगर निगम अधिनियम की धारा 2 में, -

(क) खंड (1) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (6) का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (*37*) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(37क) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 2 के खंड(ण) के उपखंड (तीन) के अनुसार समय-समय पर घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग अभिप्रेत है;';

(घ) खंड (59) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(59क) "राज्य निर्वाचन आयोग" से पंचायती राज अधिनियम, 1989 की धारा 36 के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है।'।

18. नई धारा 9क का अंतःस्थापन। नगर निगम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"9क. जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 और जम्मू-कश्मीर नगरपालिक अधिनियम, 2000 के कतिपय उपबंधों का लागू होना। पंचायती राज अधिनियम [जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2024 द्वारा यथा संशोधित] की धारा 36, धारा 36क, धारा 36ख, धारा 36ग, धारा 37 और धारा 39 यथावश्यक उपांतरणों सहित इस अधिनियम को लागू होंगी। "।

19. धारा 10क का संशोधन। नगर निगम अधिनियम की धारा 10क में, –

(क) उपधारा (1) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, "अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (3क) में, "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र" शब्दों के स्थान पर "अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र" शब्द रखे जाएंगे; और

(ङ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सक्षम प्राधिकारी होगा।"।

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024: अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है, के रूप में परिभाषित किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद 342, नीचे दिए अनुसार उपबंध करता है :—

"342. अनुसूचित जनजातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"।

उक्त सांविधानिक उपबंधों के अनुसार, तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची को संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 *द्वारा* अधिसूचित किया गया था। अनुसूचित जनजातियों की उक्त सूची संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा संशोधित किया था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के उपबंधों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की उक्त सूची, वर्तमान में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र दोनों पर लागू होती है।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में "गद्दा ब्राह्मण", "कोली", "पडारी कबीला" तथा "पहाड़ी जातीय समूह" के समुदायों को सम्मिलित करने का अनुरोध किया है। जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की सिफारिश के आधार पर और भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग से परामर्श के पश्चात्, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

तदनुसार, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में "गद्दा ब्राह्मण", "कोली", "पडारी कबीला" तथा "पहाड़ी जातीय समूह" के समुदायों को सम्मिलित करने के लिए संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 6 फरवरी 2024 और 9 फरवरी 2024 को पारित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति ने 12 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी।

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1.संक्षिप्त नाम । इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 की अनुसूची का प्रतिस्थापन। संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989 में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

भाग 1—*जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र*

1. बकरवाल
2. बाल्टी
3. बेडा
4. बोट, बोटो
5. बोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन
6. चंगपा
7. गद्दा ब्राह्मण
8. गद्दी
9. गर्रा
10. गूजर
11. कोली
12. मोन
13. पडारी कबीला
14. पहाड़ी जातीय समूह
15. पुरिगपा
16. सिप्पी।

भाग 2—*लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र*

1. बकरवाल
2. बाल्टी
3. बेडा
4. बोट, बोटो

5. बोकपा, ड्रोकपा, दर्द, शिन

6. चंगपा

7. गद्दी

8. गर्रा

9. गूजर

10. मोन

11. पुरिगपा

12. सिप्पी"

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024: अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में "अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है।

संविधान का अनुच्छेद 341 नीचे दिए अनुसार उपबंध करता है :—

"341. अनुसूचित जातियां - (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किंतु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। "।

संविधान के अनुच्छेद 341 के उपबंधों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची को संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 द्वारा पहली बार तारीख 22.12.1956 को अधिसूचित किया गया था और उक्त सूची का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 61) द्वारा तारीख 17.12.2002 को अंतिम बार उपांतरण किया गया था । जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ने वाल्मिकी समुदाय को जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुसूचित जातियों की सूची में क्र. सं. 5 पर चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर के पर्याय के रूप में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश की है।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सिफारिश के आधार पर, यह प्रस्तावित किया जाता है कि संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 के संशोधन द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियों की सूची का उपांतरण किया जाए।

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023, प्रविष्टि 5 में वाल्मिकी (केवल जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में) को सम्मिलित करने के लिए संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है -

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को क्रमशः 6 फरवरी 2024 और 9 फरवरी 2024 को लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था। 12 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति ने इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान की।

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम । इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 का संशोधन । संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 की अनुसूची में, प्रविष्टि 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:–

"पांच. वाल्मीकि (केवल जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में), चूड़ा, भंगी, बाल्मीकि, मेहतर" ।

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, ***2024:*** अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में "अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। " ।

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में "अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत है, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है।" ।

संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 नीचे दिए अनुसार उपबंध करते हैं :—

"341. अनुसूचित जातियां - (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।" ।

(2) संसद विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या समूह को खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलिक कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। "

342. अनुसूचित जनजातियां--(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों को या जनजातियों के भागों या उनमें के समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, जैसा भी मामला हो।

संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के उपबंधों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पहली सूची वर्ष 1950 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में क्रमशः संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित की गई थी। इन सूचियों को समय-समय पर संशोधित किया गया। ओडिशा राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची को, संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 10) द्वारा उपांतरित किया गया था।

ओडिशा राज्य की सरकार ने, ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में उनके अपने नामों में चार विशिष्टतया दुर्बल जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को सम्मिलित करने के लिए निम्नानुसार सिफारिश की है :—

(i) क्र.सं. 6 पर, भुइयां और भूयां के समानार्थी के रूप में पाउडि भूयां, पाउडि भूयां

(ii) क्र.सं. 9 पर, भूजीआ के समानार्थी के रूप में चुकटिआ भुन्जिआ;

(iii) क्र.सं. 13 पर अनुसूचित जनजाति "बोंडो पोरजा, बोंडपरजा, बांडा परजा" के अधीन उप-प्रविष्टि के रूप में, बंडा; और

(iv) क्र.सं. 47 पर अनुसूचित जनजाति "मांकिरडिआ के समानार्थी के रूप में मांककिडिया।

ओडिशा की राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध दो समुदायों के नामों अर्थात्, (i) क्र.सं. 87 पर, टमाडिया और (ii) क्र.सं. 88 पर, टमुडिया का अनुसूचित जातियों की सूची से लोप करने तथा ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में निम्नानुसार उक्त समुदायों के नामों को सम्मिलित करने की भी सिफारिश की है:—

"क्र.सं. 8 पर मुख्य प्रविष्टि "भमिज" के अधीन उप-प्रविष्टि के रूप में, "तामाडिया, तामारिआ, तामुडिया, तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज, "

ओडिशा की राज्य सरकार ने उन समुदायों को भी निम्नानुसार सम्मिलित करने की सिफारिश की है, जो अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूची में समुदायों की ध्वन्यात्मक विविधता रखते हैं :—

(i) क्र.सं. 13 पर, अनुसूचित जनजाति "बोंडो पोरजा, बोंडपरजा, बांडा परजा" के अधीन उप-प्रविष्टि के रूप में, बंडा परजा, बंडा परजा, बंडा, बंडा;

(ii) क्र.सं. 17 पर, धारूआ, धुरबा, धुर्वा के उप समुदाय के रूप में, दुरुआ, धुरुआ, धुरवा;

(iii) क्र.सं. 28 पर, अनुसूचित जनजाति "कावार, कनवार" के समानार्थी के रूप में, कउर, कुनवार, कुंवर, कुंवर, कंवर, कुंवर, कअंर, कअंर, कुंवर";

(iv) क्र.सं. 31 पर, कंध अनुसूचित जनजाति के उप समुदाय के रूप में, अनुसूचित जनजाति खोंड और कंध कुम्भार के अधीन एक नई उप-प्रविष्टि के रूप में कुई (कंध) को सम्मिलित करना;

(v) क्र.सं. 53 पर, ओरांव के समानार्थी के रूप में, उराम, ओराम, उराओं, धांगर, ओरान मुदी समुदाय;

(vi) क्र.सं. 55 पर, अनुसूचित जनजाति परोजा के समानार्थी के रूप में, बारेंग झोडिआ परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा;

(vii) क्र.सं. 57 पर, अनुसूचित जनजाति राजुआर के समानार्थी के रूप में, राजुआल, राजुआड ;

(viii) क्र.सं. 59 पर, सवोरा, सवर, सौरा, सहरा आदि के अधीन समानार्थी के रूप में, सअर।

ओडिशा राज्य सरकार ने निम्नानुसार, नई प्रविष्टि के रूप में समुदायों को सम्मिलित करने के लिए भी सिफारिश की है :—

(i) क्र.सं. 63 पर क्षेत्र निर्बंधन के साथ (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अंतर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मलकानगिरि जिले हैं) मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा ;

(ii) क्र.सं. 64 पर, कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि।

ओडिशा राज्य की सरकार की सिफारिश के आधार पर और भारत के महारजिस्ट्रार तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करके ओडिशा राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को उपांतरित करने का प्रस्ताव है।

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13- ओडिशा तथा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 12- उड़ीसा का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, -

(क) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13- ओडिशा में, प्रविष्टि 87 और प्रविष्टि 88 का लोप किया जाएगा।

(ख) (क) "भाग 12-उड़ीसा" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"भाग 12 - ओडिशा";

(ख) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"6. भुइया, भूयां, पाउडि भूयां, पाउडि भूयां";

(ग) प्रविष्टि 8 में, "तमारिया भूमिज" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज, तामाडिया, तमारिया, तामुडिया"।

(घ) प्रविष्टि 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"9. भुन्जिआ, चुकटिआ भुन्जिआ";

(ङ) प्रविष्टि 13 में, "बांडा परजा" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"बांडा परजा, बोंडा परजा, बोंडो, बोंडा, बांडा";

(च) प्रविष्टि 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"17. धारूआ, धुरुबा, धुर्वा, दुरुआ, धुरुआ, धुरवा" ;

(छ) प्रविष्टि 28 में, "कनवार" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

", कउर, कुंवर, कुंवर, कुंवर, कंवर, कंवर, कुंवर, कअंर, कुंवर";

(ज) प्रविष्टि 31 में, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"31. खोंड, कोंड, कन्ध, कन्ध कुम्भार, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कौंध, कुई, कुई (कन्ध), बूढा कौंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कौंध, मलुआ कौंध, पैंगो कंधा, राजा कौंध, राज खोंड";

(झ) प्रविष्टि 47 में, "मानकिडी" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"मांकिडिआ";

(ञ) प्रविष्टि 53 में, "उरांव" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"उराम, ओराम, उराओं, धांगर, ओरान मुदी";

(ट) प्रविष्टि 55 में, "सोलिया परोजा" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"बारेंग झोडिआ परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा";

(ठ) प्रविष्टि 57 में, "राजुआर" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"राजुआल, राजुआड";

(ड) प्रविष्टि 59 में, "बेसु साओरा" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"सअर";

(ढ) प्रविष्टि 62 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"63. (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अन्तर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मलकानगिरि जिले हैं) मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा।

64. कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि"

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 8 फरवरी 2024 और 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने 15 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी।

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

ओडिशा राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. परिभाषाएं। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.-

(क) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है; और

(ख) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है।

3. अनुसूचित जातियां आदेश का पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और उस सीमा तक संशोधन किया जाता है।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और उस सीमा तक संशोधन किया जाता है।

पहली अनुसूची

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 13 ओडिशा में, प्रविष्टि 87 और प्रविष्टि 88 का लोप किया जाएगा।

दूसरी अनुसूची

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 12 ओडिशा में, -

(क) "भाग 12 – उड़ीसा" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"भाग 12 – ओडिशा"

(ख) प्रविष्टि 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—

"6 भुइया, भूयां, पाउडि भूयां, पाउडि भूयां",

(ग) प्रविष्टि 8 में, "तमारिया भूमिज" के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"तामडिया भूमिज, तामुडिया भूमिज, तामुंडिया भूमिज, तामुलीया भूमिज, तामाडिया भूमिज, तामाडिया, तामारिआ, तामुडिया",

(घ) प्रविष्टि 9 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात:—

9. भुन्जिआ, चुकटिआट, भुन्जिआ",

(ङ) प्रविष्टि 13 में, "बांडा परजा" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"बंडा परजा, बंडा परजा, बंडा, बंडा, बंडा";

(च) प्रविष्टि 17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"17. धारूआ, धुरूबा, धुर्वा, दुरुआ, धुरूआ, धुरवा";

(छ) प्रविष्टि 28 में, "कनवार" के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"कउर, कुँवर, कुँवर, कुँवर, कंवर, कुँवर, कअंर, कअंर, कुँवर";

(ज) प्रविष्टि 31 में, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी की जाएगी, अर्थात्:—

"31. खोंड, कोंड, कन्ध, कन्ध कुम्भार, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा, कोंध, कुई, कुई (कंध), बूढा कोंध, बूरा कंधा, देसिया कंधा, डुंगरिया कोंध, कुटिया कंधा, कंधा गोडा, मुली कोंध, मलुआ कोंध, पेंगो कंधा, राजा कोंध, राज खोंड";

(झ) प्रविष्टि 47 में, "मानकिडी" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"मांकिडिआ";

(ञ) प्रविष्टि 53 में, "उरांव" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"उराम, ओराम, उराओं, धांगर, ओरान मुदी";

(ट) प्रविष्टि 55 में, "सोलिया परोजा" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"बारेंग झोडिआ परजा, पेंग परजा, पेंगु परजा, परजा, सेलिआ परजा";

(ठ) प्रविष्टि 57 में, "राजुआर" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"राजुआल, राजुआड";

(ड) प्रविष्टि 59 में, "बेसु साओरा" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"सअर";

(ढ) प्रविष्टि 62 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"63. (अविभाजित कोरापुट जिले में, जिसके अंतर्गत कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़ और मलकानगिरी जिले आते हैं) मुका दोरा, मुका दोरा, नुका दोरा, नुका दोरा।

64. कोंडा रेड्डि, कोंडा रेड्डि"।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024: अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है "ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या उनमें के यूथ जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है।"।

संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंध निम्नानुसार हैं:—

"342. अनुसूचित जनजातियां.— (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा।

(2) संसद, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा।"।

संविधान के अनुच्छेद 342 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की प्रथम सूची संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा क्रमशः विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1950 के दौरान अधिसूचित की गई थी। आंध्र प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का 6) द्वारा अंतिम बार उपांतरित की गई थी।

आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर और भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करने के पश्चात् संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 को संशोधित करके आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए प्रस्ताव किया गया है।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, सविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के, भाग-1-आंध्र प्रदेश संविधान आदेश 22 के संशोधन के लिए प्रस्तावित है, -

(क) प्रविष्टि 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्ः –

"25. पुर्जा, बोंडो पुर्जा, खोंड पुर्जा, पेरंगीपेर्जा";

(ख) प्रविष्टि 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्ः –

"28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, कोंडा सवार, खुट्टा सवार"।

उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा क्रमशः 8 फरवरी 2024 और 6 फरवरी 2024 को पारित किया गया। भारत के राष्ट्रपति ने 15 फरवरी 2024 को इसे मंजूरी दी।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, अनुसूचित जनजातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए सविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम । इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन । संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 1 *आंध्र प्रदेश* की, —

(क) प्रविष्टि 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"25. पुर्जा, बोंडो पुर्जा, खोंड पुर्जा, पेरंगीपेर्जा";

(ख) प्रविष्टि 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, कोंडा सवार, खुट्टा सवार"।

सत्र समीक्षा

सत्रहवीं लोक सभा

पंद्रहवां सत्र

सत्रहवीं लोक सभा का पंद्रहवां सत्र 31 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और 10 फरवरी 2024 को समाप्त हुआ। यह सत्रहवीं लोक सभा का अंतिम सत्र था क्योंकि इस सत्र के साथ ही इस लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो गया। सत्रहवीं लोक सभा अपने आप में इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि सदन ने पुराने और नए दोनों संसद भवनों में अपनी ज़िम्मेदारियां निभाईं।

सत्र के दौरान कुल 9 बैठकें हुईं और 63 घंटे 30 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली। पिछले पांच लोक सभा सत्रों में सबसे अधिक कार्य 97 प्रतिशत इसी लोक सभा सत्र में संपन्न हुआ। 15 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन का सत्रावसान कर दिया गया।

सत्रहवीं लोक सभा का गठन 25 मई 2019 को हुआ। इस सदन की पहली बैठक 17 जून 2019 को हुई। सत्रहवीं लोक सभा में कुल 274 बैठकें हुईं, जो 1355 घंटे तक चलीं। सत्रहवीं लोक सभा के दौरान सदन में हुई चर्चाओं में 543 में से 540 संसद सदस्यों ने हिस्सा लिया। इन पाँच वर्षों में सदन ने गहन चर्चा और संवाद के बाद 222 कानून पारित किए। इस दौरान 202 विधेयक पुरःस्थापित किए गए और 11 विधेयक सरकार ने वापस ले लिए। सत्रहवीं लोक सभा के दौरान 4,663 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 1,116 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इसी अवधि में 55 हजार 879 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए, जिनके लिखित उत्तर सदन में दिए गए। सत्रहवीं लोक सभा के दौरान संबंधित मंत्रियों ने सभा पटल पर 26,750 पत्र रखे। इस लोक सभा के दौरान शून्य काल में 5,568 मामले उठाए गए, जबकि नियम 377 के तहत 4,869 मामले सदस्यों द्वारा उठाए गए।

पंद्रहवें सत्र के दौरान हुई महत्वपूर्ण चर्चाओं और अन्य कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:—

क. चर्चा/वक्तव्य

संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण: भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी 2024 को संसद भवन के लोक सभा कक्ष में उपस्थित दोनों सदनों के संसद सदस्यों को संबोधित किया। सरकार की नीति के विवरण के रूप में, अभिभाषण में पिछले वर्ष के दौरान सरकार के कार्यकलापों और उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। इसमें उन नीतिगत प्राथमिकताओं को भी रेखांकित किया गया जिन्हें सरकार आगामी वर्ष में अपनाना चाहती है।

राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव: डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (भाजपा) ने 2 फरवरी 2024 को माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने इसका समर्थन किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 2 और 5 फरवरी 2024 को चर्चा हुई। यह चर्चा 15 घंटे 28 मिनट तक चली जिसमें 114 सदस्यों ने भाग लिया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (भाजपा) ने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति ने अपने 75 मिनट के अभिभाषण में हमारे देश की 75 वर्ष की यात्रा के बारे में बताया और भावी 25 वर्षों का विजन भी हम सबके सामने रखा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पृथ्वी पांच तत्वों से मिलकर बनी है, उसी प्रकार सरकार ने पांच तत्वों अर्थात् महिला, किसान, वंचित और गरीब, युवा और अधोसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विकास के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी, चाहे चन्द्रयान-3 हो या कोविड-19 महामारी का दौर, हर क्षेत्र में व्यापक रूप से देखी गयी है। डॉ. गावीत ने कहा कि आज देश में 10 करोड़ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें 8 लाख करोड़ रुपये के बैंक लोन और

40 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वयं सहायता समूहों का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए 'नमो ड्रोन दीदी' जैसी बहुत अच्छी योजना लेकर आई है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब तक सैनिक स्कूलों में केवल लड़कों को प्रवेश दिया जाता था, परन्तु अब महिलाओं को सैनिक स्कूलों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जैसे संस्थानों में महिला कैडेट के रूप में भी प्रवेश मिलेगा। सरकार ने *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि *'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि'* योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष किसानों को 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं और इससे देश के 12 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं। डॉ. गावीत ने यह भी कहा कि सरकार ने *'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'* और *'पर ड्रॉप मोर क्रॉप'* जैसी योजनाएं शुरू करके देश के किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में काम किया है, और यदि किसान को खेती में कोई नुकसान हो जाता है, तो सरकार ने किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सहायता करने का काम भी किया है। खेती के साथ-साथ मत्स्यपालन, मुर्गी पालन व्यवसाय और बकरी पालन जैसी अनेक योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि *प्रधानमंत्री आवास योजना* के अन्तर्गत दो करोड़ लोगों को आवास दिये हैं। उन्होंने कहा कि *'हर घर, नल से जल'* जैसी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना लाकर 11 करोड़ लोगों के घरों में पहली बार पाइप से पानी पहुंचाया गया है। कोरोना काल में सरकार ने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने का काम किया। आज आदिवासी बच्चों के लिए हर ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे अच्छे स्कूल बनाए गए हैं। वर्ष 2014 से अब तक देश में 16 एम्स और 315 नए मेडिकल कॉलेज खोले गये हैं, जिससे एमबीबीएस की सीटें भी बढ़कर दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार पर्यटन स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। डॉ. गावीत ने अपने भाषण के अंत में कहा कि एक पर्यटन स्थल विकसित करने से न केवल उस स्थान विशेष का विकास होता है, बल्कि पूरे क्षेत्र का विकास होता है जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं।

प्रस्ताव का समर्थन करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. बघेल सिंह ने कहा कि आजादी के बाद इस युग की सबसे बड़ी योजना *प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना* है, जिसमें पूरे परिवार को प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष 5 लाख रूपए तक का इलाज मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस बजट (1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत बजट) में 25 लाख आंगनवाड़ी बहनों और दस लाख आशा बहनों को इस योजना में शामिल करके इस स्वास्थ्य सेवा योजना के दायरे को व्यापक बनाया है। उन्होंने बताया कि आज पीएम स्वनिधि के अन्तर्गत प्राप्त 10 हजार रुपये की सहायता से रेहड़ी-पटरी वाले अपना जीवनयापन कर रहे हैं और सरकार ने 29.62 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए हैं तथा 10 हजार से अधिक *प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र* खोले गए हैं। पहले 6 एम्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। एमबीबीएस की सीटों में 112 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अब इन सीटों की संख्या 1,08,940 हो गयी है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 2019 में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। पहली बार मेडिकल नीट पीजी और यूजी में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। लगभग एक हजार अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त किया गया है। सरकार ने *तीन तलाक* की प्रथा को हटाकर मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय किया है। पशुपालन के बारे में उन्होंने कहा कि यह हमेशा एक समानांतर अर्थव्यवस्था रही है और सरकार के प्रोत्साहन से दूध उत्पादन में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने लगभग 12 करोड़ मवेशियों का टीकाकरण किया है ताकि उनकी खुरपका और मुंहपका रोग से रोकथाम की जा सके। बकरी, भेड़ और देसी गायों को पालने के लिए सरकार 50 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है।

[1]*चर्चा में भाग लेते हुए,* कांग्रेस के श्री गौरव गोगोई ने कहा कि पिछले सत्र में एक ही दिन में 146 संसद सदस्यों को निलंबित किया गया और तीन दिनों में 14 विधेयक पारित किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। पारित किए गए 172 विधेयकों

---

[1] **इस चर्चा में भाग लेने वाले अन्य संसद सदस्य:** श्री चंद्र शेखर साहू, मलूक नागर, श्री सप्तगिरी शंकर उलाका, सुधीर गुप्ता, श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, राजेन्द्र अग्रवाल, तेजस्वी सूर्या, असादुद्दीन ओवैसी, रामचरण बोहरा, श्री कार्ती पी. चिदम्बरम, श्री रमेश बिधूड़ी, श्री भर्तृहरि महताब, श्री विनसेंट एच.पाला, श्री संतोष पान्डेय, श्री अब्दुल खालेक, संजय सेठ, गिरीश चन्द्र, जसबीर सिंह गिल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री बैन्नी बेहनन, श्री पी.पी. चौधरी, श्री हसनैन मसूदी, जगदम्बिका पाल, जयदेव

में से 64 विधेयक एक घंटे से भी कम समय की चर्चा के साथ पारित किए गए हैं। श्री गोगोई ने कहा कि वर्तमान लोक सभा के पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान विपक्ष के सदस्य को उपाध्यक्ष नहीं बनाया जायेगा। देश में विभिन्न मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में 190 लोग मारे गए और लगभग 50, 000 लोग बेघर हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। प्रत्येक वर्ष लगभग दस हजार किसान आत्महत्या कर रहे हैं और युवा बेरोजगार हैं। महिलाएं महंगाई की मार से मर रही हैं और देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। 25 वर्ष से कम आयु के लगभग 42.3 प्रतिशत स्नातक युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे युवा अवैध रूप से नौकरियों की तलाश में अमेरिका जा रहे हैं, और मानव तस्करी एक बड़ी समस्या बन गई है, तथा मानव तस्कर हमारी गरीब बेटियों का शोषण करते हैं। अग्निवीर योजना के सिपाही अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। आज मेडिकल छात्रों को देश में पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपये देने पड़ते हैं। इसलिए, वे चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए फिलीपींस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस और चीन जाते हैं। आज प्रति कृषक परिवार बकाया ऋण की औसत राशि लगभग 70 हजार रुपये है। पहले 11 करोड़ लोगों को पीएम किसान संपदा योजना के अन्तर्गत लाभ मिलता था लेकिन अब इस योजना के अन्तर्गत केवल 3 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है। लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ में भ्रष्टाचार के कारण लाभार्थियों की संख्या में गिरावट आई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और केन्द्र सरकार में हजारों पद रिक्त पड़े हैं। श्री गोगोई ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा कि लगभग डेढ़ लाख युवाओं ने सेना भर्ती परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, लेकिन उन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री टी.आर. बालू (डीएमके) ने कहा कि दिसम्बर 2023 में तमिलनाडु को अभूतपूर्व बाढ़ और चक्रवात का सामना करना पड़ा। इससे 2 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए और एफसीआई गोदामों में रखे 8, 000 टन से ज्यादा खाद्यान्न नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने *37, 000* करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है, लेकिन सरकार ने अभी तक एक पैसा भी जारी नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पांच वर्ष पहले, माननीय प्रधानमंत्री ने मदुरै में एम्स की आधारशिला रखी थी। लेकिन इस संबंध में कोई काम नहीं हुआ है। इस परियोजना की लागत 1,800 करोड़ रुपये है। सरकार प्रत्येक वर्ष 300 करोड़ रुपये से 400 करोड़ रुपये तक उपलब्ध कराकर इस परियोजना को पूरा कर सकती है। वर्ष 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह ने सेतु समुद्रम परियोजना का शिलान्यास किया था। इस परियोजना को अब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर सागरमाला कर दिया है। परन्तु यह परियोजना भी रुकी हुई है। संसद ने हमारे पड़ोसी देशों के पीडित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून भी बनाया है। परन्तु श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों को नागरिकता नहीं मिल रही है। तमिलनाडु में मेट्रो परियोजना का दूसरा चरण प्रगति पर है। परन्तु धन के अभाव में राज्य सरकार इसे पूरा नहीं कर पा रही है। सरकार ने सभी टैक्स को समाप्त कर जीएसटी की शुरुआत की परन्तु पेट्रोलियम

गल्ला, बृजेन्द्र सिंह, अरविंद गणपत सावंत, के.सुब्बारायण,राजमोहन उन्नीथन, नामा नागेश्वर राव, एन. रेड्डप्प, प्रतापराव जाधव, एन. के. प्रेमचन्द्रन, पी.रविन्द्रनाथ, गणेश सिंह, नव कुमार सरनीया, दुलाल चन्द्र गोस्वामी, अधीर रंजन चौधरी, सतीश कुमार गौतम, हँसमुखभाई एस.पटेल, रतनसिंह मगनसिंह राठौड़, विष्णु दयाल राम, वी.के. श्रीकंदन, कृष्णपालसिंह यादव, संगम लाल गुप्ता, राहुल कस्वां, सी. एन. अन्नादुरई, पी.आर. नटराजन, ए. गणेशमूर्ति, राजू बिष्ट, अरुण कुमार सागर, जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, राजेश नारणभाई चुड़ासमा, मोहनभाई कुंडारिया, गोपाल शेट्टी, सुरेश कश्यप, निहाल चन्द चौहान, पशुपति नाथ सिंह, बिद्युत बरन महतो, मितेष (आनंद) पटेल(बकाभाई), नारणभाई काछड़िया, पी.सी. मोहन, के. नवासखनी, सुनील कुमार सिंह, डी. एम. कथीर आनन्द, सुमेधानन्द सरस्वती, सुधाकर तुकाराम श्रंगारे, विनोद लखमशी चावड़ा, देवजी पटेल, अशोक महादेवराव नेते, कुलदीप राय शर्मा, उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, के. सुब्बारायण, पी. रविन्द्रनाथ, रामशिरोमणि वर्मा, शंकर लालवानी, मनसुखभाई धनजीभाई वसावा, अशोक कुमार रावत, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, एडवोकेट ए.एम. आरिफ़, एडवोकेट अदूर प्रकाश, डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, डॉ.डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस., डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा, डॉ. सत्यपाल सिंह, डॉ. आलोक कुमार सुमन, डॉ.एस.टी.हसन, डॉ. ढालसिंह बिसेन, डॉ. लोरहो फोज़, डॉ. संघमित्रा मौर्य, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. भारतीबेन डी. श्याल, डॉ. उमेश जी. जाधव, डॉ. मोहम्मद जावेद, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, डॉ. मनोज राजोरिया, सरदार सिमरन जीत सिंह मान, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती लॉकेट चटर्जी, श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी), श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, श्रीमती रंजनबेन भट्ट, श्रीमती शारदा अनिल पटेल, श्रीमती गीताबेन वी. राठवा, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती रंजीता कोली, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्रीमती पूनमबेन माडम, श्रीमती संगीता आज़ाद।

उत्पादों को इसके दायरे से बाहर रखा है। उन्होंने मांग की कि पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाया जाए और एलपीजी पर लगाये गये 5% कर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

चर्चा में भाग लेते हुए, डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (एआईटीसी) ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में *नारी शक्ति* के बारे में कई बातें कही गईं, परन्तु आज भी देश के पूर्वोत्तर भाग, विशेषकर मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज देश में प्रतिदिन हमारे संविधान की मूल भावना का उल्लंघन हो रहा है परन्तु सरकार हमें कोई कार्रवाई करती दिखाई नहीं दे रही है। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एमएमसी) द्वारा डॉक्टरों को एक सख्त नोटिस जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत उन्हें सुबह 9 बजे और अगले दिन प्रातः 4 बजे हस्ताक्षर करने होंगे। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि डाक्टरों को इस प्रकार का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में कोई विकास नहीं हुआ है और उनके पास चिकित्सा उपचार और शिक्षा के लिए कोई उपयुक्त सुविधा नहीं है। डॉक्टरों को कम वेतन दिया जाता है। सरकार कॉलेज की ईमारतें तो बना रही हैं, परन्तु उनमें शिक्षकों और आधारभूत संरचना की कमी है। उन्होंने कहा कि देश में जनसांख्यिकीय ह्रास विद्यमान है। नौकरी की तलाश कर रहे करीब 44 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। नौकरी के अवसर और संभावना खत्म हो रही हैं। स्वतंत्र भारत में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 45 प्रतिशत उल्टा पलायन अर्थात् शहरों से गांवों की ओर हो रहा है। लोग कृषि क्षेत्र में रोजगार की तलाश में शहरों और कस्बों से दूर वापिस गांवों की ओर जा रहे हैं। इस सरकार के शासनकाल में किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं। डिजिटल लेन-देन का जाल जानलेवा होता जा रहा है क्योंकि इससे किशोरों और युवाओं में आत्महत्या की दर में वृद्धि हो रही है। पड़ोसी देश द्वारा बनाये गये ऐप्स के कारण भारत सबसे बड़े यूपीआई घोटाले का केंद्र बन गया है। उन ऐप्स की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। द्रुत गति वाली रेलगाड़ियों (हाई-स्पीड ट्रेनों) के लिए कोई सुरक्षित पटरी नहीं है। उनका मानना है कि पटरियों की मरम्मत किए बिना, नई पटरियां बिछाए बिना, हमें इन द्रुत गति वाली रेलगाड़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि देशभर में दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। कृषि के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में एफडीआई आने से किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा कि सरकार अनाज भंडारण योजना की बात करती है परन्तु देश में उत्पादित अनाज का केवल आधा भंडारण करने की क्षमता है और शेष आधा अनाज सड़ रहा है।

चर्चा का उत्तर देते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी ने कहा कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की आज समूचा विश्व सराहना कर रहा है और इससे प्रभावित है। सरकार द्वारा शुरू की गई नीतियों और कार्यक्रमों को अधिक त्वरित गति से कार्यान्वित किया गया है। चाहे पक्के घर बनाने की बात हो, गैस कनेक्शन देने की बात हो, स्वच्छता की बात हो, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व गति से कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब यह सरकार पहली बार चुनी गई, तो पहले कार्यकाल में इसे व्यवस्था में अंतर्निहित कमजोरियों को दूर करने में पर्याप्त मात्रा में समय और शक्ति लगी। दूसरे कार्यकाल में सरकार ने नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पहले कार्यकाल में, सरकार ने "स्वच्छ भारत", "उज्ज्वला", "आयुष्मान भारत", "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ", "सुगम्य भारत", "डिजिटल इंडिया" जैसी कई योजनाओं की शुरुआत कीं और उनके जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध रही। कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा जीएसटी को लागू करने जैसे निर्णय लिए गये। दूसरे कार्यकाल के दौरान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसे संकल्पों को पूरा किया गया। उनके दूसरे कार्यकाल में ही "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" का अधिनियमन किया गया है। अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक तक, सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज सुनाई दी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर *न्याय संहिता* लागू की। सरकार ने सैकड़ों अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त कर दिया। सरकार ने 40 हजार से अधिक अनुपालनओं को समाप्त कर दिया। पहली बार यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि वस्तुएं और सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए जो वास्तव में उनके हकदार हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं और वे आर्थिक कार्यकलापों में संलग्न हुई हैं। जहां तक किसानों की बात है, सरकार ने दस वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपये के धान और गेहूं की खरीद की है। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के अन्तर्गत 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रीमियम के रूप में 30 हजार रुपये की राशि प्रदान की है और इसके साथ ही कृषि से जुड़े लोगों को डेढ़ लाख करोड़ रुपये की राशि

जारी की है। यह कहते हुए कि पशु अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने पशुधन को बीमारियों से बचाने हेतु उनके टीकाकरण पर 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च की है। पिछले दस वर्षों में पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन क्षेत्र बन गया है। विमानन कंपनियों ने एक हजार नए विमानों की खरीद के आदेश दिए हैं। एक हजार नए विमान विमानन क्षेत्र में शामिल होंगे। विमानन क्षेत्र भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन कर आया है। पिछले दस वर्षों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 18 करोड़ नए अंशदाताओं का पंजीकरण किया गया है। मुद्रा लोन के लाभार्थियों में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार अपना कारोबार शुरू किया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश हमेशा ऊर्जा क्षेत्र पर निर्भर रहा है, और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और उन्होंने कहा कि देश हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पादन की अधिक संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार, पिछली सरकार के पिछले 10 वर्षों की तुलना में निश्चित रूप से देश सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक सशक्त हुआ है। सरकार ने भारत में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी है। वर्तमान परिदृश्य में, पूरा विश्व भारत द्वारा प्रतिपादित इस नीति को अपनाने के लिए मजबूर है।

प्रस्तुत किये गए सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

केंद्रीय बजट - 2023-2024: वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-2025 प्रस्तुत किया।

अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले दस वर्षों में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि *'सबका प्रयास'* के *'समग्र राष्ट्र'* दृष्टिकोण के साथ देश ने सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना किया, *'आत्मनिर्भर भारत'* की दिशा में बड़े कदम उठाए, *'पंच प्रण'* के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, और *'अमृत काल'* के लिए ठोस नींव रखी है। इसके परिणामस्वरूप, यह देखा गया है कि हमारे देश के युवाओं में उच्च आकांक्षाएं हैं, अपने वर्तमान पर गर्व है और एक उज्ज्वल भविष्य के लिए आशा और विश्वास है। उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमिता, सुगम्य जीवन और महिलाओं के प्रति सम्मान के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को इन दस वर्षों में गति मिली है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि हमें चार प्रमुख समूहों *'गरीब', 'महिला', युवा',* और *'अन्नदाता'* (किसान) पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदया ने आगे कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की दृष्टि से उच्च विकास करने के अतिरिक्त, सरकार का ध्यान और अधिक व्यापक 'जीडीपी' अर्थात् 'गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस' पर समान रूप से केंद्रित रहा है, और पिछले दस वर्षों में बहुउद्देशीय आर्थिक प्रबंधन से लोक-केंद्रित समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैः-

(एक) सभी प्रकार के बुनियादी ढांचों, चाहे वे भौतिक हों, डिजिटल हों या सामाजिक, का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया जा रहा था।

(दो) देश के सभी हिस्से आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे थे।

(तीन) 21वीं सदी में एक नए 'उत्पादन कारक' के रूप में पहचाने जाने वाले डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(चार) वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से 'एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर' की सुविधा मिली है, जबकि कर सुधारों के परिणामस्वरूप कर आधार में वृद्धि और विस्तार हुआ है।

(पांच) वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करने से बचत, ऋण और निवेश को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिली है।

(छह) जीआईएफटी, आईएफएससी और एकीकृत नियामक प्राधिकरण, आईएफएससीए जैसी पहल, अर्थव्यवस्था के लिए वैश्विक पूंजी और वित्तीय सेवाओं के लिए एक मजबूत प्रवेश द्वार स्थापित कर रही थी।

(सात) सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन उपायों ने मुद्रास्फीति को नीतिगत दायरे में बनाए रखने में मदद की थी।

बजट पर सामान्य चर्चा

2024-2025 के अंतरिम केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा 7 फरवरी 2024 को हुई और 7 घंटे 06 मिनट तक चली। कुल 87 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-2025 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए, डॉ. शशि थरूर (कांग्रेस) ने कहा कि इस सरकार ने देश के लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धोखा दिया गया है क्योंकि उनके आर्थिक कुप्रबंधन से भारत के लोगों को व्यापक संकट, कठिनाई और गंभीर बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। सरकार द्वारा नोटबंदी लागू करने के अपरिपक्व निर्णय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। 24 मार्च 2020 को बिना किसी चेतावनी या उचित योजना के अचानक लागू किए गए लॉकडाउन के कारण लाखों प्रवासी श्रमिक को अपने घरों को लौटने के लिए हजारों मील पैदल चलना पड़ा। उस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, भारत में व्यक्तिगत आय में 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। श्री थरूर ने कहा कि नोटबंदी खराब नीति थी और इसे गलत ढंग से कार्यान्वित किया गया, जीएसटी एक अच्छी संकल्पना थी और इसे गलत तरीके से तैयार किया गया और त्रुटिपूर्ण तरीके से लागू किया गया। सरकार ने बुनियादी वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया, जैसे टूथपेस्ट पर यह 5 फीसदी, जूते-चप्पल पर यह 18 फीसदी, शर्ट और पैंट पर यह 5 फीसदी, चावल तथा गेहूं पर यह 5 फीसदी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि काले धन को बाहर निकालने की बजाय *आम आदमी* के खर्च से सरकार के हाथों में धन संकेन्द्रित हो रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश आज अभूतपूर्व स्तर की बेरोजगारी का सामना कर रहा है। यह दुःखद स्थिति है कि हताश युवा युद्ध के दौरान इजरायल में अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कतार में खड़े हैं क्योंकि उनके पास भारत में कोई अच्छा काम नहीं है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चलता है कि नियमित वेतनभोगी रोजगार पांच वर्ष से स्थिर है। सरकार ने कौशल विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 40 करोड़ श्रमिकों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। परन्तु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कुल श्रमिकों की संख्या केवल 1.3 करोड़ है। साथ ही, उन 1.3 करोड़ श्रमिकों में से केवल 24 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) इस देश में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करते रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल के दौरान उनमें भी कमी आई है। विनाशकारी नोटबंदी के बाद कई एमएसएमई स्थायी रूप से बंद हो गए थे। उन्होंने आगे पूछा कि सरकार दावा करती है कि उसने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि यदि 25 करोड़ लोग वास्तव में गरीबी से मुक्त हो चुके हैं तो अभी भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने आगे बताया कि यूपीए शासनकाल के दौरान वर्ष 2005 और 2015 के बीच भारतीय इतिहास में गरीबी के स्तर में सबसे तेजी से गिरावट आई, जिससे 27.1 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया। सरकार के विकास के सभी बड़े-बड़े दावों के बावजूद, आधिकारिक राष्ट्रीय गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 1286 रुपये प्रतिमाह और ग्रामीण क्षेत्रों में 1059 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिमाह है जो बहुत कम है। सीपीआई के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2023 में बढ़कर 15 माह के उच्च स्तर 7.44 प्रतिशत तक पहुंच गई। विश्व रिपोर्ट, अन्य स्टीक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज, में वर्णित खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत की 74.1 प्रतिशत आबादी संतुलित आहार नहीं खरीद सकती। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में लगभग 7,500 करोड़पतियों और पिछले वर्ष 6,500 करोड़पतियों ने भारत छोड़ा और उन्होंने अपने संसाधनों से विदेशों में निवेश किया, न कि उस देश में जहां एनडीए सरकार के अन्तर्गत निजी निवेश गंभीर रूप से कम है। उन्होंने वित्त मंत्री के इस दावे के बारे में सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा के नए संस्थान, विशेष रूप से एम्स, आईआईटी और आईआईएम स्थापित किए जा रहे हैं। अपने राज्य केरल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वहां के लोगों के लिए चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए एम्स की स्थापना की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है। अन्य मामलों में, एम्स भुवनेश्वर की तरह, पद रिक्त पड़े हैं और कुछ भी चालू नहीं किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने अपने सिलेंडर दोबारा नहीं भरवाए। आरटीआई के माध्यम से सामने आए आंकड़ों से पता चला है कि 9.58 करोड़ उज्ज्वला योजना परिवारों में से 1.8 करोड़ ने गैस नहीं भरवाई, जबकि अन्य 1.5 करोड़ ने सिर्फ एक बार

गैस भरवाई। जहां तक *आयुष्मान भारत* का संबंध है, अगस्त 2023 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने यह जानकारी दी कि *आयुष्मान भारत* योजना में 43, 000 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। प्रधानमंत्री ने 2014 के अपने पहले लोक सभा भाषण में मनरेगा की निंदा की थी। उन्होंने कहा कि कम मजदूरी दिए जाने और योजना तक पहुंचने में विभिन्न बाधाओं के बावजूद मनरेगा की मांग कोविड से पहले के स्तर से भी अधिक बनी हुई है। जहां तक किसानों का संबंध है, वर्ष 2023 सीज़न के दौरान लगभग 689 लाख किसानों ने *फसल बीमा योजना* के अन्तर्गत बीमा करवाया था, परन्तु केवल 7.8 लाख किसानों को ही दावों का भुगतान किया गया। हाल ही में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, इस सरकार की वर्ष 2014 से 2022 तक की अवधि के दौरान, कम से कम एक लाख किसानों ने आत्महत्या की है। महिलाएं कठिन, कम वेतन या अवैतनिक कार्य कर रही हैं जो इस देश में विद्यमान तकनीकी बेरोजगारी का उदाहरण है। वर्ष 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों की सूची में 127वें स्थान पर है – जो हमारी महिलाओं को श्रम बल में बने रहने और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करने में हमारी असमर्थता पर एक गंभीर आरोप है। सरकार लगातार पांचवें वर्ष भी विनिवेश के लक्ष्य से भी चूक गई है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान राजकोषीय घाटा औसतन 4.63 प्रतिशत था, लेकिन एनडीए सरकार के शासनकाल के दौरान यह औसतन 5.13 प्रतिशत है।

[2] *चर्चा में भाग लेते हुए ,* प्रो सौगत राय (एआईटीसी), यह कहते हुए कि सरकार ने गरीबों, अल्पसंख्यकों और मजदूर वर्ग की ओर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया है, यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में 21 लाख मनरेगा श्रमिकों को तीन वर्षों से उनकी मजदूरी नहीं दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार अर्थव्यवस्था में आवश्यक सुधार करने में विफल रही है, और जीएसटी (माल और सेवा कर) और आईबीसी (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता) संरचनात्मक सुधार थे, लेकिन वे सकारात्मक विकास करने में विफल रहे। इसमें व्यापक बेरोज़गारी या आत्महत्या से किसानों और खेतिहर मज़दूरों की मौत के साथ-साथ कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कमी का कोई उल्लेख नहीं है। सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी सामाजिक क्षेत्रों के बजटीय व्यय में बड़ी कटौती की है। समाज के वंचित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के मामले में भी कटौती देखी गई है। वृहद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, वर्ष 2014 और 2022 के बीच सकल घरेलू उत्पाद का औसत 5.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, लेकिन वर्ष 2000 से 2010 तक भारत की विकास दर 6 प्रतिशत थी। विकास दर अच्छी रही है लेकिन इसे परिप्रेक्ष्य के अनुसार देखने की आवश्यकता है। भारत की बेरोजगारी दर महामारी से पूर्व के स्तर की तुलना में अधिक बनी हुई है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी दक्षिण एशिया में सबसे कम रही है और यह क्षेत्रीय पड़ोसियों अर्थात् बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से

---

[2] **चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:** *सर्वश्री* दयानिधि मारन, संतोष कुमार, गिरीश चन्द्र, भर्तृहरि महताब, जयंत सिन्हा, विनायक भाऊराव राउत, प्रताप सिम्हा, राहुल कास्वां, हसनैन मसूदी, हरीश द्विवेदी, राजू बिष्ट, एस.एस. पलानीमणिक्कम, सौमित्र खान, राम मोहन नायडू किंजरापु, के. सुब्बारायण, सय्यद ईमत्याज जलील, सुनील दत्तात्रेय तटकरे, चन्देश्वर प्रसाद, दयानिधि मारन, प्रताप सिम्हा, कुलदीप राय शर्मा, कृष्णपालसिंह यादव, पी.आर. नटराजन, विवेक नारायण शेजवलकर, एस. जगतरक्षकन, संगम लाल गुप्ता, सी.एन. अन्नादुरई, रितेश पाण्डेय, दुलाल चन्द्र गोस्वामी, एम.के. राघवन, राम शिरोमणि वर्मा, कौशलेंद्र कुमार, विजय कुमार हाँसदाक, एम. बदरुद्दीन अजमल, एन.के. प्रेमचंद्रन, रामचरण बोहरा, तेजस्वी सूर्या, निहाल चंद चौहान, वी. के. श्रीकंदन, दिलेश्वर कामैत, बिद्युत बरन महतो, सु. थिरुनवुक्करासर, मलूक नागर, डी. के. सुरेश, थोमस चाज़िकाडन, जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, जगदंबिका पाल, खगेन मुर्मु, नारणभाई काछड़िया, असित कुमार मल, अरविंद सावंत, राहुल रमेश शेवाले, उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, सुनील कुमार सिंह, जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर, मितेश पटेल, रतनसिंह मगनसिंह राठौड़, हँसमुखभाई एस. पटेल, परबतभाई सवाभाई पटेल, एडवोकेट ए.एम. आरिफ़, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, एडवोकेट अदूर प्रकाश, डॉ. निशिकांत दुबे, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी, डॉ. मोहम्मद जावेद, डॉ. आलोक कुमार सुमन, डॉ. थोल थिरुमावलवन, डॉ. संघमित्रा मौर्य, डॉ. डी. रविकुमार, डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. के. जयकुमार, कुमारी राम्या हरिदास, श्रीमती भावना गवली (पाटील), श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती संध्या राय, श्रीमती संगीता आजाद, श्रीमती रंजनबेन भट्ट, श्रीमती डिंपल यादव, श्रीमती नवनित रवि राणा, श्रीमती रमा देवी, सुश्री एस. जोतिमणि और महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी।

भी कम है। बहुत से देश अनुसंधान और विकास पर निर्भर हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान में 0.7 प्रतिशत की दर से कमी आयी है। यह किसी भी ब्रिक्स देश की तुलना में कम है। उन्होंने आगे बताया कि अर्थव्यवस्था के लिए स्वतंत्र प्रेस बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेस स्वतंत्रता में भारत की रैंकिंग गिर रही है। वर्ष 2023 में देश की रैंकिंग गिरकर 161 हो गई है। सीएमआईई के अनुसार, नई घोषणाएं 20 साल के निचले स्तर पर आ गई हैं, जो अर्थव्यवस्था में अपर्याप्त उत्साह को दर्शाता है। देश के बुनियादी ढांचे में अभी भी एक जीवंत विनिर्माण क्षेत्र को प्राप्त करने में कई बाधाएं हैं। युवा लोग व्यावसायिक कौशल से परिपूर्ण नहीं हैं और विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों में नौकरी की वृद्धि दर कम रही है, जिससे सामाजिक अस्थिरता का खतरा बना हुआ है। सुचारु तरीके से काम करने वाली एक कानूनी प्रणाली, एक स्वतंत्र प्रेस को निवेशकों का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें से प्रत्येक स्तंभ का क्षरण हुआ है। प्रो. रे ने यह भी कहा कि भारत में करोड़ों युवा ऐसे हैं जो कम कुशल हैं और हमारा रास्ता न तो चीन का है और न ही पश्चिमी देशों जैसा है। भारत का विकास ऋण से प्रेरित है और सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में कोई समाधान नहीं दिया गया है।

चर्चा में भाग लेते हुए, श्री मड्डीला गुरुमूर्ति (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि वित्त मंत्री ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर चर्चा करके, कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने हेतु तेज प्रयासों पर जोर दिया। हालांकि, उन्होंने अफसोस जताया कि इस योजना के लिए आगामी वर्ष का आवंटन केवल 729 करोड़ रुपये था, जो पिछले साल के बजट अनुमानों से 21 प्रतिशत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस महत्वपूर्ण योजना के लिए आवंटित वित्तीय सहायता बढ़ाने पर विचार करना चाहिए तथा उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि चक्रवातों से प्रभावित तटीय क्षेत्रों के लिए उर्वरकों के आवंटन में कमी न की जाए। यह देखते हुए कि श्रम मंत्रालय का आवंटन 13,221.73 करोड़ रुपये से घटकर 12,531.47 करोड़ रुपये हो गया है, उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि बेरोजगारी आज के युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की क्षमता निर्माण और कौशल विकास योजना के लिए 538 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन पर्याप्त नहीं लगता। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ रहा है और दुर्भाग्य से इसे महिलाओं के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि यह डीप फेक और अन्य निंदनीय कृत्यों के जरिए किया जा रहा है। उन्होंने महसूस किया कि ऐसे नए खतरों से निपटने के लिए अधिक बजटीय आवंटन की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश सरकार लगातार मनरेगा के कार्य-दिवसों में वृद्धि की मांग कर रही है, जिसमें व्यक्तियों के लिए 100 से 150 दिन और कुल 16 करोड़ कार्य-दिवसों का प्रस्ताव है। सूखे की मौजूदा स्थिति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को देखते हुए राज्य केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह मनरेगा के कार्य-घंटे बढ़ाकर और इस योजना के तहत नई पहलों को शामिल करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। उन्होंने सरकार से आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए समयबद्ध योजना बनाने और उसे तुरंत लागू करने का आग्रह किया। पोलावरम सिंचाई परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए इसका बहुत महत्व है। तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित 2017-18 मूल्य स्तर पर परियोजना की कुल लागत 55,548.87 करोड़ रुपये है। हालाँकि, इस संशोधित लागत अनुमान को अभी तक केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। इसके अलावा, चरण-1 के पूरा होने के लिए 12,911.15 करोड़ रुपये की निधि तक सीमित है, लेकिन यह राशि 36 अतिरिक्त गांवों और 48 बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए अपर्याप्त है। इसलिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने परियोजना के चरण-1 के लिए 17,144.06 करोड़ रुपये के संशोधित लागत अनुमान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें पुनर्वास की लागत भी शामिल है। उन्होंने अनुरोध किया कि तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा संशोधित लागत अनुमान और चरण-1 के लिए संशोधित लागत अनुमान को मंजूरी दी जाए और पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए 4222.91 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत की भरपाई की जाए। कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से सभी एनटीसी मिलों में उत्पादन कार्यकलापों को रोक दिया गया था। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह तिरुपति में एनटीसी मिल को पूरी तरह से चालू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे ताकि इसके संचालन के माध्यम से बीपीएल परिवारों को राहत और सहायता प्रदान की जा सके।

चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह पूंजीगत व्यय के लिए अंतरिम बजट है। मंत्री ने बताया कि 2024-25 के लिए सरकार ने 11,11,111 करोड़ रुपये का

परिव्यय रखा है जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक है। यह परिव्यय लक्षित जीडीपी वृद्धि 10.5 प्रतिशत से अधिक है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का आवंटन अब वर्ष 2024-25 के लिए 72,474 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए, 86,175 करोड़ रुपये का बजट अनुमान था, जिसे अब 87,657 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए, 3,098 करोड़ रुपये का बजट अनुमान था, जिसे अब 3,183 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए, 1,57,545 करोड़ रुपये का बजट अब 1,77,566 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए, 12,847 करोड़ रुपये का बजट अनुमान था, और अब इसे 13,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए, 25,449 करोड़ रुपये का बजट अनुमान था, और अब यह 26,092 करोड़ रुपये हो चुका है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग को बजट अनुमान में 2,58,606 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि अब उसे 2,72,241 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। रेलवे विभाग को पहले 2,40,000 करोड़ रुपये मिले थे, अब उसे 2,52,000 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। रक्षा मंत्रालय को पहले 1,71,375 करोड़ रुपये मिले थे, अब उसे 1,82,241 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। पचास वर्षों के लिए ब्याज मुक्त राज्य पूंजीगत ऋण योजना को 1,30,000 करोड़ रुपये पर बरकरार रखा गया है। प्रमुख अग्रणी योजनाओं के लिए आवंटन या तो स्थिर रखा गया है या बढ़ा दिया गया है। *प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि* के लिए 2024-25 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन यथावत रखा गया है। *प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण* के लिए 54,487 करोड़ रुपये के आवंटन को 54,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। *प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी* के लिए 25,103 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 26,171 करोड़ रुपये कर दिया गया है। *जल जीवन मिशन* के लिए 70,000 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 70,163 करोड़ रुपये कर दिया गया है। *मनरेगा* के लिए 60,000 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। *प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना* के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन यथावत रखा गया है। *समग्र शिक्षा* के लिए 37,453 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाकर 37,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पीएलआई योजना के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 8,965 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे बढ़ाकर 16,021 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उर्वरक विभाग को पीएंडके उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को *प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना* के लिए 9,231 करोड़ रुपये मिले हैं। राजस्व व्यय पर रक्षा सेवाओं को 13,548 करोड़ रुपये मिले हैं। जम्मू और कश्मीर को अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये की राशि मिली है। जम्मू-कश्मीर 59,364 करोड़ रुपये का लेखानुदान मांग रहा है, जो कि केवल आंशिक वर्ष के लिए है, क्योंकि पूरे वर्ष का बजट अनुमान 1,18,728 करोड़ रुपये है। देश में श्रम शक्ति 2017-18 में 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 57.9 प्रतिशत हो गई है। अब, देश में कार्यबल 2017 में 46.8 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 56 प्रतिशत हो गया है। बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.0 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.2 प्रतिशत हो गई है। युवाओं की श्रम शक्ति भी 2017-18 में 38.2 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 44.5 प्रतिशत हो गई है। 18-25 वर्ष की आयु वर्ग में ईपीएफओ के नए ग्राहकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ईपीएफओ में कुल 28.7 लाख महिला ग्राहक जुड़े। ई-श्रम पोर्टल पर 29 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों के कुल पंजीकरण में से 53 प्रतिशत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के अंतर्गत महिलाएँ हैं। पीएम पोषण के लिए आवंटन को बढ़ाकर 12,467.39 करोड़ रुपये कर दिया गया है। खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल-दिसंबर 2022 में औसतन 6.8 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत हो गई है। कोर मुद्रास्फीति वास्तव में अप्रैल 2023 में 5.1 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2023 में 3.8 प्रतिशत हो गई है। आटा, दाल, प्याज और चावल जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में कमी आई है। भारत आटा, राजसहायता प्राप्त अनाज, आटा या दाल या अन्य के साथ-साथ चावल भी पूर्णरुपेण राजसहायता प्राप्त दामों पर शुरु किया गया है। दाल को भी सब्सिडी दी जा रही है और नेफेड, मदर डेयरी और अन्य सहकारी स्टोरों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। प्याज 25 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जा रहा है। पीएलआई योजना से चौदह क्षेत्रों को लाभ मिला है। 24 राज्यों और 150 से अधिक जिलों में विनिर्माण स्थल खुल रहे हैं। सरकार ने 2021-22 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये यानी लगभग 26 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक लोगों द्वारा पहले से ही 1.07 लाख करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है; प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लगभग 7 लाख रोजगार पहले ही सृजित किए जा चुके हैं; 3.40 लाख करोड़ रुपये का निर्यात हो रहा है; 8.7 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और बिक्री हो रही है; और 176 एमएसएमई को पीएलआई योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थियों के रूप में चुना गया है। कोविड के कारण गरीबी में वृद्धि के बारे में, उन्होंने इस बात पर

प्रकाश डाला कि वास्तव में, एमपीआई 2019-21 में 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है, जिससे 2030 के निर्धारित समय तक भारत के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त हुआ है। स्वास्थ्य और अन्य संकेतक जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं, सरकार द्वारा किए गए उपायों से लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे अधिक सुधार दर्ज किए गए, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तव में गरीबी में बड़ी गिरावट आई है।

प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए गए। सभी अनुदान मांगों पर पूर्ण मतदान हुआ।

सभी अनुपूरक अनुदान मांगों पर पूर्ण मतदान हुआ। सभी अनुपूरक अनुदान मांगों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) पर पूर्ण मतदान हुआ। सभी अनुपूरक अनुदान मांगों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) पर पूर्ण मतदान हुआ।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र: 9 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में एक श्वेत पत्र है। उन्होंने बताया कि श्वेत पत्र सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो 'नाजुक 5' में से एक थी, बाहर निकालने के पूरे 10 साल बाद, इसे शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं के स्तर तक पहुंचाने और शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने की दहलीज पर लाने के लिए रखा गया है। इस मामले पर तथ्य बताते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारत को नहीं बचाया, लेकिन देश जानता है कि प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के बाद देश को कैसे संभाला, सभी को मुफ्त टीके उपलब्ध कराए और देश की रक्षा की। उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली में 12 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दुनिया भर में भारत की बदनामी हुई थी। लेकिन जी-20 का आयोजन पूरे भारत में किया गया और एक भी राज्य को नहीं छोड़ा गया तथा उनसे कहा गया कि वे अपने स्थानीय उत्पादों को विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शित करें तथा अपने पर्यटन को बढ़ावा दें। लेकिन, यूपीए सरकार ने कोयला घोटाले के जरिए देश को भारी नुकसान पहुंचाया। कोयला घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि भारत को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोल ब्लॉकों के लाइसेंस रद्द कर दिए। इसके कारण नौकरियां चली गईं, देश में निवेश आना बंद हो गया तथा छोटे और मध्यम उद्योग ठप हो गए। बिजली पैदा करने के लिए कोयले का आयात करना पड़ा। देश में कोयला प्रचुर मात्रा में है, फिर भी इसका आयात किया गया। इस कदम के कारण झारखंड और छत्तीसगढ़ को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री ने पाइपलाइन गैस कनेक्शन प्रदान किया तथा बरौनी रिफाइनरी का पुनर्निर्माण किया। इस सरकार ने वर्ष 2015 में कोयला खान विशेष प्रावधान अधिनियम पारित कराया। एमएमडीआर संशोधन अधिनियम के माध्यम से किए गए प्रावधानों के तहत वर्ष 2015 में जिला खनिज निधि का भी निर्माण किया गया। 100% एफडीआई खोलकर, स्वचालित मार्ग से निवेश की सुविधा के लिए हर सुविधा लागू की गई है, जिसके परिणामस्वरूप निवेश आकर्षित हो रहा है। कोयला खनन का व्यवसायीकरण करने के लिए सरकार एक खुली नीति लेकर आई है। इस नीति के तहत, वर्ष 2020 से नीलामी में 9 बार कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए। जिला खनिज निधि की स्थापना कानून द्वारा की गई। सभी राज्यों में जिला खनिज निधि से 84, 900 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं। विभिन्न राज्यों के जिला खनिज निधि से डिजिटल डिस्पेंसरी स्थापित करके अच्छा काम किया जा रहा है और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल, टेलीमेडिसिन परामर्श और मुफ्त दवा जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं और कुपोषण को दूर किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में घरेलू कोयला उत्पादन 900 मिलियन टन तक पहुंच गया है और आने वाले वर्ष में 1 बिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। वर्ष 2013-14 में यह 567 मिलियन टन था। इससे उत्पादन में वृद्धि हुई है, कोयले का आयात नहीं होगा और विदेशी मुद्रा का भुगतान भी नहीं होगा। यूपीए सरकार की नीति से सार्वजनिक क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ। वर्ष 2013-14 से 2022-23 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड के पूंजीगत व्यय में पहले के दौर की तुलना में 4.3 गुना वृद्धि हुई है। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र उत्पादन के मामले में भी फल-फूल रहा है और निवेश भी कर रहा है। वर्ष 2004 से 2014 तक यूपीए ने फोन बैंकिंग के नाम पर 'एक कॉल करो, लोन पाओ' का विज्ञापन किया था। सिफारिशों की सौगात के साथ ही एनपीए का संकट उसी समय से शुरू हो गया और यहां तक कि कोई जमानत भी नहीं थी या आधी जमानत देकर ऋण दे दिया गया। अब यह सरकार गैर निष्पादनकारी आस्तियों को दुरुस्त करने जा रही है। 2013 में ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए संपत्ति परलाभ 2009-10

और 2013-14 के बीच 0.97 प्रतिशत से गिरकर 0.5 प्रतिशत हो गया। मार्च 2014 में शीर्ष 200 कंपनियों पर बैंकों का लगभग 8.6 लाख करोड़ रुपये बकाया था। उन ऋणों में से लगभग 44 प्रतिशत को अभी तक समस्याग्रस्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाना बाकी था। इस सरकार ने बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया, और एक परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय के आदेश जारी किए। सरकार ने 4आर- मान्यता, समाधान, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की रणनीति बनाई। आईबीसी ऐसे कानून लाई जिससे मामलों का तेजी से निपटारा हो सके और बैंक का पैसा वापस मिल सके। बैंकों का विलय किया गया और फिर पेशेवर बोर्ड और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई। आज सकल एनपीए अनुपात में कमी आयी है और यह वर्षों के निचले स्तर 3.2 प्रतिशत पर आ गया है। सार्वजनिक बैंकों की लाभप्रदता 37000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.08 लाख करोड़ रुपये हो गई है। बैंक सरकार को रिकॉर्ड लाभांश दे रहे हैं, जिससे जन कल्याण कार्यक्रम शुरू करने में मदद मिली है। वही बैंक जो कर्ज में डूबे हुए थे, वे जन कल्याण के स्तंभ बन रहे हैं। यह सरकार जन कल्याण के लिए क्रेडिट ग्रोथ का पुनःप्रवर्तन, पूंजी निर्माण और *मुद्रा स्वनिधि जैसे अच्छे कार्यक्रम चला रही है।* पूरे आर्थिक विकास को बढ़ाने और इसे एक मजबूत स्तर पर ले जाने का श्रेय काफी हद तक उन अच्छे कदमों, नीतियों और विधायी उपायों को जाता है जिन्हें इस सरकार ने पारदर्शिता के साथ अपनाया, चाहे वह बैंक हों या भारत का कोयला क्षेत्र।

स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन (आरएसपी) ने कहा कि श्वेत पत्र पर विचार करने के बाद, यह सदन निम्नलिखित आधारों पर श्वेत पत्र की विषय-वस्तु को अस्वीकार करता हैः यह पिछली यूपीए सरकार के बहुमूल्य प्रयासों तथा 2004-2014 की अवधि के दौरान देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के योगदान को नजरअंदाज करने का एक राजनीतिक प्रयास है। एनडीए सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद, पिछली सरकार के विरुद्ध निराधार आरोप लगाना गलत अनुचित, अन्यायपूर्ण तथा संसदीय लोकतंत्र के सभी मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के 10 वर्षों के दौरान, देश में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ीं तथा वास्तविक गरीबी में वृद्धि हुई। उनका विचार था कि वर्तमान सरकार की घोर विफलताओं के लिए पिछली सरकार पर दोष मढ़ना तथा इस प्रकार अपनी जिम्मेदारी से बचना उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एनडीए सरकार, जो अब 10 वर्षों से सत्ता में है, ने देश की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को तबाह कर दिया है, महिलाओं के खिलाफ अपराध को बढ़ावा दिया है और अल्पसंख्यकों के साथ घोर अन्याय किया है।

स्थानापन्न प्रस्ताव पेश करते हुए प्रो. सौगत राय (एआईटीसी) ने कहा कि यह सदन भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से असहमत है।

चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री मनीष तिवारी (आईएनसी) ने कहा कि यह श्वेत पत्र नहीं, बल्कि राजनीतिक घोषणापत्र है। उन्होंने कहा कि 2004 में जब यूपीए सरकार सत्ता में आई थी, तो उसने मूलभूत सुधार किए थे, जिससे लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नींव मजबूत हुई। यूपीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन सरकार ने 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया। दूसरी बड़ी उपलब्धि मनरेगा है, जिसे यूपीए सरकार ने 2005 में लाई। यूपीए सरकार की तीसरी बड़ी उपलब्धि मुफ्त शिक्षा का कानून बनाना था, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, पूरे देश में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। चौथा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। यूपीए सरकार ने ही इस देश की 77 प्रतिशत आबादी को सस्ती कीमतों पर गेहूं, चावल और मोटा अनाज दिया। पांचवां, ' आधार ' है। उन्होंने सरकार की दस साल की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सरकार ने जीएसटी को इस तरह लागू किया कि इसने भारत का पूरा लघु उद्योग कई साल तक बर्बाद कर दिया। अर्थव्यवस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि 2004 में राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत था। वर्ष 2007-08 में वैश्विक मंदी के मुकाबले मंदी कम होकर 2.8 प्रतिशत रह गई। 2003-04 में राजस्व घाटा 3.6 प्रतिशत था। वर्ष 2007-08 में यह घटकर 1.2 प्रतिशत रह गया। अर्थव्यवस्था को चलाने वाला बचत-जीडीपी अनुपात 2003-04 में 29.8 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 34 प्रतिशत हो गया। निवेश-जीडीपी अनुपात 2003-04 में 28.2 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 35.9 प्रतिशत हो गया। 2004 से 2008 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 300 रुपए की वृद्धि की गई। वर्ष 1998 से 2002 तक मुद्रास्फीति की दर 5.15 प्रतिशत थी जो 2004 से 2008 तक घटकर 5.12 प्रतिशत रह गई। 1999 से 2004 तक अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी जो यूपीए के पहले चार वर्षों में बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गई।

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था के पांच प्रमुख स्तम्भ बचत, खपत, निवेश, उत्पादन और रोजगार होते हैं। वर्ष 2013 में बचत का जीडीपी की तुलना में अनुपात 34 प्रतिशत था, परन्तु वर्ष 2022 में यह अनुपात घटकर 30 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2013-14 में निजी वित्तीय उपभोग व्यय 60 प्रतिशत था, परन्तु वर्ष 2023-24 में यह घटकर 56.9 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2013-14 में निवेश का जीडीपी की तुलना में अनुपात 33.8 प्रतिशत था और वर्ष 2023-24 में यह घटकर 29.20 प्रतिशत हो गया। वित्तीय घाटा 17-18 लाख करोड़ रूपये तक पहुंच गया है। वर्ष 2013-14 में सकल पूंजी निर्माण 33.8 प्रतिशत था जो वर्ष 2022-23 में घटकर 31.4 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2013-14 में बेरोजगारी दर 4.9 प्रतिशत थी, परन्तु वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर 8-9 प्रतिशत हो गयी है। सरकार ने कहा है कि 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्त कराया गया हैं, परन्तु यह भी सच है कि वर्ष 2004 से 2014 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। वर्ष 2013-14 में मनरेगा का बजट 33 हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2023-24 में इसे बढ़ाकर 86 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसका यह अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। मनरेगा के अन्तर्गत रोजगार करने वालों की संख्या में दो गुना वृद्धि हुई है। अब देश की अर्थव्यवस्था 3.75 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, परन्तु सरकार का कर्ज तीन गुना बढ़ गया है। राजस्व संग्रहण में वृद्धि के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं हो रही है। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लिए गए ऋणों की भारी राशि के कारण इसमें वृद्धि हुई है। बजट का सबसे बड़ा घटक ऋण है, जो 28 प्रतिशत है, और सबसे बड़ा खर्च ब्याज भुगतान है, जो 20 प्रतिशत है और यह इसका स्पष्ट प्रमाण है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2005 से 2014 के दौरान 6.8 प्रतिशत की संचयी दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2015 से 2024 तक इसमें 5.9 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एलपीजी, डीजल, पेट्रोल और सरसों का तेल, आटा, दूध आदि की कीमतों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है।

[3]*चर्चा में भाग लेते हुए,* डॉ निशिकांत दुबे (भाजपा) ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला तो उन्होंने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में काले धन संबंधी कार्यबल का गठन किया। विपक्ष के शासन के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी। उन्होंने संप्रभु गारंटी के रूप में तेल बांड जारी किए और उसका भुगतान करने की जिम्मेदारी बाद की सरकार को सौंप दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 1997, 1996, 1995 और 1994 की विकास दर क्रमशः 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत थी। वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के समय अर्थव्यवस्था की विकास दर केवल 3 प्रतिशत थी। उन्होंने आगे कहा कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 2013-14 में वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के समय बैंकों का एनपीए लगभग 13 प्रतिशत था जो आज लगभग 3 प्रतिशत है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर ने प्राक्कलन समिति को जानकारी दी थी कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण बैंकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि सोने का अत्यधिक आयात होने से हमारे देश के भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने 14 मई, 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक को एक आदेश जारी किया जिससे सोने का आयात जारी रहा। दिल्ली में आयातित सोने को पांच घंटे के भीतर हरिद्वार से निर्यात किया जाने लगा। यह एक बड़ा घोटाला था। एंट्रिक्स देवास डील में एंट्रिक्स ने बिना किसी जमानत के देवास के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तत्कालीन वित्त मंत्री ने दिनांक 28-01-2005 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह सुनिश्चित किया गया कि मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) दूसरे देश में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार अभी भी इसकी कीमत चुका रही है। वर्तमान सरकार 'मेक इन इंडिया' के अन्तर्गत कार्य करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम निर्यात करने की स्थिति में हैं। रक्षा क्षेत्र से एक लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया गया है। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात को समाप्त किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार न तो बढ़ा है और न ही इसे बढ़ने दिया जाएगा।

---

[3] **इस चर्चा में भाग लेने वाले अन्य संसद सदस्य:** सर्वश्री गिरीश चंद्र, गौरव गोगोई, राजीव रंजन सिंह 'ललन', रवि शंकर प्रसाद, ओम पवन राजेनिंबालकर, ई.टी. मोहम्मद बशीर, एस. वेंकटेशन, जयंत सिन्हा, असादुद्दीन ओवैसी, राम मोहन नायडू किंजरापु, अनुभव मोहंती, विजय कुमार हांसदाक, रमेश बिधूड़ी, अधीर रंजन चौधरी, एन.के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., डॉ. संजय जासवाल, प्रो. सौगत राय, श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, श्रीमती नवनित रवि राणा, सुश्री सुनीता दुग्गल, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री एडवोकेट अजय भट्ट।

चर्चा में भाग लेते हुए, डॉ कलानिधि वीरास्वामी (डीएमके) ने स्वतंत्रता-पूर्व दौर से भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्ष 1947 में ब्रिटिश शासन से देश को आजादी मिलने के पश्चात, भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का केवल एक प्रतिशत थी। उन्होंने आगे कहा कि उस समय भारत सरकार ने राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती गरीबी का सामना किया, जो राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा थी, और कृषि उत्पादन तथा दूध उत्पादन में सुधार हेतु हरित क्रांति और श्वेत क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉ. वीरास्वामी ने कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ और यह बेहतर हुई। उन्होंने इस बात का स्मरण दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष लोगों को दो करोड़ नौकरियां प्रदान की जाएगी तथा गैस और पेट्रोल की कीमतें आधी की जाएगी तथा अमरीकी डॉलर की विनिमय दर कम की जाएगी, परन्तु दस वर्ष बाद भी, सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है। इसमें नोटबंदी, इसके प्रभावों और उपलब्धियों का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि इस सरकार ने वर्ष 2014 से पूरे देश में केवल उपकर में वृद्धि की है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दो वर्षों में, सरकार ने तेल कंपनियों पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाया है। यह अप्रत्याशित कर अत्यधिक लाभ कमाने के लिए लगाया गया है और उन्होंने यह बताया है कि पेट्रोल और डीजल की लागत अब बाजार से संचालित है और यह उनके नियंत्रण में नहीं है। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा किया है परन्तु यह सच्चाई से कोसों दूर है। कोविड काल में अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना पड़ा जो सराहनीय कार्य है। अब उस महामारी के खत्म होने के पश्चात अगले पांच वर्षों के लिए भी यही वादा दोहराया गया है। डॉ. वीरास्वामी ने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि 80 करोड़ लोगों, जो देश की जनसंख्या का 55 प्रतिशत है, का भरण-पोषण के लिए मुफ्त राशन पर निर्भरता एक दुखद स्थिति है।

चर्चा का उत्तर देते हुए, वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि श्वेत पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें सभी उल्लिखित बातों का साक्ष्य शामिल होता है। इस दस्तावेज को प्रस्तुत करने का उद्देश्य सदन को इस बात से अवगत कराना है कि इस सरकार के 10 वर्षों के समर्पित प्रयासों के कारण अर्थव्यवस्था पटरी पर आ पाई है। सरकार ने वर्ष 2014 से दो मार्ग अपनाए जिसमें अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने हेतु पहले मार्ग के अन्तर्गत सभी कठिनाइयों और कुशासन को हटाया गया और सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सरकार ने भी ढांचागत सुधार हेतु जो भी कदम उठाने चाहिए थे, वे उठाए है। मंत्री ने आगे कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही, यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछली सरकार के साथ वर्तमान सरकार के कार्यकाल की तुलना करते हुए, वित्त मंत्री ने तीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया: उन दस वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से किस प्रकार समझौता किया गया; पर्यावरण मंत्रालय किस प्रकार बाधक बन गया था, और अंततः देश में नेतृत्व किस प्रकार विफल हो गया था। मंत्री महोदय ने गोला-बारूद और रक्षा उपकरणों की भारी कमी के बारे में बात की जो वर्ष *2014* का मुख्य मुद्दा थी। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों की पूरी तरह से अनदेखी की गई थी और वर्तमान सरकार ने किस प्रकार सुधारात्मक उपाय किए। पिछले दस वर्षों के दौरान रक्षा बजट दोगुना हो गया है। रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर *74* प्रतिशत कर दी गई है। आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) की सभी उत्पादन इकाइयों को सात रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों में बदल दिया गया। वर्तमान सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का कारोबार बढ़ाकर चार लाख करोड़ रुपये कर दिया है। वर्ष *2022-23* में रक्षा उत्पादन का मूल्य एक लाख करोड़ रुपये से भी अधिक हो गया है। रक्षा निर्यात अपने सर्वोच्च शिखर पर है। वर्ष *2011-2014* के दौरान पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान करने में औसतन *86* दिन के स्थान पर 316 दिन लगते थे। व्यवसायिक गंतव्य के रूप में भारत की छवि पूरी तरह धूमिल हो चुकी थी। वर्तमान सरकार पारदर्शिता लाई और मानकीकृत तथा सुव्यवस्थित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन के मानक तय किए तथा उनको सुगम बनाया है। केंद्रीय स्तर पर स्वीकृति का औसत समय घटाकर *70* दिन कर दिया गया है। वन आच्छादन को बढ़ाकर 50,000 वर्ग किलोमीटर किया गया है। भारत वैश्विक रूप से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में चौथे और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 5वें स्थान पर है। मंत्री ने यह भी कहा कि देश ने वर्ष *2014* से सौर ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में *30* गुना प्रगति की है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अतिरिक्त 40 प्रतिशत लक्ष्य को समय से नौ वर्ष पहले प्राप्त कर लिया है। यूपीए का कुप्रबंधन और घोटालों के दस वर्ष का मुख्य कारण नेतृत्व का अभाव है। इस बात पर जोर देते हुए कि कई सदस्यों ने काले धन, सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का मामला उठाया है, उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए कानून

को लागू करता है। वर्ष 2005-2014 तक 102 लोगों पर मुकदमा चलाया गया जिसका अभिप्राय यह है कि कानून को लागू नहीं किया गया। प्रवर्तन निदेशालय का पिंजरे में बंद चिड़िया की भांति उपयोग किया गया। वर्तमान सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को काम करने की स्वतंत्रता दी और धन शोधन रोकने के लिए कहा। 1200 मामलों में मुकदमें दर्ज किए गए और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान 58 मामलों में सजा दी गई। इस सरकार ने 16,333 करोड़ रुपये की वसूली की। पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 24 लोगों को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं। इस सरकार ने भगौड़े उल्लंघनकर्ताओं से 906.74 रुपए वसूले। पिछली सरकार ने बाली घोषणा के अंतर्गत किसानों और गरीब परिवारों के भोजन के अधिकार को खतरे में डाल दिया था और अब विरोधाभासी बयान दे रही है। श्रम बाजारों में बेरोजगारी दर में वर्ष 2018-19 के 5.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022-23 में 3.2 प्रतिशत हो गई है। विशेष रूप से स्नातक बेरोजगारों की बेरोजगारी दर में भी गिरावट आई है। महिला स्नातकों में यह गिरावट और भी अधिक रही है। पीएलआई स्कीम में 1.07 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। विगत 9 वर्षों के दौरान 8,82,191 केन्द्र सरकार की रिक्तियों को भरा गया है। क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों ने वर्ष 2014-2023 के बीच 430592 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की है। यूपीए सरकार के शासन काल के दौरान खुदरा मुद्रा स्फीति दर 9 प्रतिशत से अधिक थी। वर्तमान सरकार के शासन काल में यह अधिकांशतः पांच प्रतिशत रही। वर्तमान सरकार के नेतृत्व का संकल्प 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

स्थानापन्न प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

ऐतिहासिक श्रीराम मंदिर के निर्माण और श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में अल्पकालिक चर्चा: 10 फरवरी 2024 को, चर्चा आरंभ करते हुए डॉ. सत्यपाल सिंह (भाजपा) ने कहा कि श्री राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं, बल्कि वे सबके हैं। जहां वे हम सबके पूर्वज भी हैं वहीं वे हम सबके लिए सतत प्रेरणा भी हैं। राम एक स्थायी चेतना और विरासत हैं। वह सभ्यता और संस्कृति हैं। राम सर्वव्यापी हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रभु श्रीराम का व्यक्तित्व इतना विशाल और विराट है कि वे किसी संप्रदाय की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं हैं बल्कि वे दुनिया के कई देशों में व्याप्त हैं। *'वाल्मीकि रामायण'* प्रभु श्रीराम को जानने का एकमात्र प्रामाणिक स्रोत है, जिसके अनुसार प्रभु श्रीराम का जन्म 24वें त्रेता युग में हुआ था। इस बात का स्मरण करते हुए कि स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी कहते थे कि स्वतंत्र भारत में *राम राज्य* होगा, उन्होंने यह भी कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि राम राज्य में अव्यवस्था या बीमारी व्याप्त नहीं थी और लोग प्रेमपूर्वक सद्भावपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। डॉ. सिंह ने अंत में कहा कि राम मंदिर महज कंक्रीट और पत्थरों से निर्मित संरचना नहीं है, यह देश के करोड़ों लोगों की आस्था का मूर्त रूप है।

[4] *चर्चा में भाग लेते हुए*, श्री गौरव गोगोई (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ने कहा कि यह भक्ति का देश है, आस्था का देश है, और हम सद्भावना से अपनी विविधता बांधते हैं और सेवा भाव से समाज को संजोते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रभु श्रीराम सब के हैं और वे हर समय हमारे साथ हैं। जब हम एक-दूसरे से मिलते हैं, तो उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में 'राम-राम' कह कर एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के *राम राज्य* की परिभाषा समझाते हुए कहा कि जहां सभी सुखी हों और कोई दुखी न हो। गांधी जी ने यह भी कहा है कि उनका हिंदू धर्म उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, राम राज्य का रहस्य इस परिभाषा में निहित है। उन्होंने इस बात पर मंथन करने के लिए कहा कि क्या सभी पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यक खुश हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2023 में अपराध में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आज पिछड़ा वर्ग जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है क्योंकि वे यह देख रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और जातिगत भेदभाव हो रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि अनुसूचित जाति की महिलाओं का जाति और लिंग के आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है और उनका यौन शोषण भी किया जा रहा

---

[4] **चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य** : *सर्वश्री* रामप्रीत मंडल, प्रताप चंद्र षडङ्गी, मलूक नागर, हंस राज हंस, अरविंद सावंत, सुनील कुमार पिंटू, राहुल रमेश शेवाले, राम मोहन नायडू किंजरापु, असादुद्दीन ओवैसी, बी.बी. पाटील, नव कुमार सरनीया, धैर्यशील संभाजीराव माणे, गिरीश चंद्र, अनुभव मोहंती, मोहन मंडावी, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, डॉ. उमेश जी. जाधव, श्रीमती नवनित रवि राणा, श्रीमती संगीता आजाद, गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह; वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल); उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति।

है। लोक सभा में इस चर्चा के बाद जब सभी सांसद अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें युवाओं में बेबसी नजर आएगी। आज, बेरोजगारी के कारण बेबस भारतीय युवा नशे और अपराध के रास्ते पर चल पड़ा है, और वह बेबसी में कुछ पैसे इकट्ठा करके विदेशी धरती की तरफ पलायन करता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका दल इतने वर्षों से समाज सेवा कर रहा है और उनके दल ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि उनके दल के लोग गांधी जी के *राम राज्य* का पालन करते हैं, न्याय के रास्ते पर चलते हैं और सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। सिर्फ धर्मग्रंथ ही नहीं, इस देश की मिट्टी में इतनी ताकत है जो 140 करोड़ लोगों की विभिन्न भाषाओं और आस्था को अखंडता, प्यार और सद्भावना के साथ बांधे रखती है। यह सरकार का अहंकार है जो देश में बढ़ती महंगाई और अस्थिरता को, चाहे वह मणिपुर हो, लद्दाख हो या चीन से लगी सीमा पर हो, उसे देखने से रोकता है। सरकार का अहंकार आज समाज में, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों में बढ़ती हुई आशंका को देखने से उसे रोकता है। जय श्री राम कहने में प्यार और सद्भावना होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गांधीजी के मूल्यों और डॉ. अम्बेडकर के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर सेवा-भाव से भारत के नागरिकों को अधिकार देने का काम किया है। यह स्मरण कराते हुए कि इस देश में अनेक धर्म, अनेक ग्रंथ, अनेक पैगंबर हैं, लेकिन शासन का कोई ग्रंथ है तो वह केवल संविधान ही है।

चर्चा में शामिल होते हुए, श्री मद्दीला गुरूमूर्ति (वाईएसआरसीपी) ने भगवान राम और उनके शाश्वत आदर्शों के महत्व के बारे में बोलते हुए कहा कि जैसा कि रामायण में दर्शाया गया है, उनका शासनकाल, जिसे 'राम राज्य' कहा जाता है, सुशासन का प्रतीक था और सभी के लिए न्याय, कल्याण और सभी के लिए हर्ष का प्रतीक था। भगवान राम का नेतृत्व निष्पक्षता, करुणा और अपने लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखने के लिए समर्पित था। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सात पहाड़ियों में से एक अंजनाद्री पहाड़ी को हनुमान का जन्मस्थान माना जाता है। एक अन्य स्थान लेपाक्षी का उल्लेख रामायण में किया गया है, जो भगवान राम की विरासत के प्रति व्यापक श्रद्धा का साक्षी है। उन्होंने आगे कहा कि इन स्थलों को विकसित करके, भारत की सांस्कृतिक विरासत पर्यटन को बढ़ावा देंगे और भगवान राम से प्रेरणा लेकर एकता और आध्यात्मिकता के बंधन को मजबूत करेंगे। उन्होंने सरकार से देश की सांस्कृतिक विरासत को और अधिक समृद्ध करने तथा समाज के ताने-बाने को मजबूत करने के लिए देश भर में सभी धार्मिक स्थलों के व्यापक विकास और बेहतर संपर्क साधन मुहैया कराने का अनुरोध किया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

माननीय अध्यक्ष, लोक सभा श्री ओम बिरला ने सभी सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राचीन पावन नगरी अयोध्या में भगवान श्रीराम की जन्मस्थली पर उनका विशाल, दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। सभी सांसद पूरी एकता, श्रद्धा और भक्ति-भावसे इस अवसर पर देशवासियों के उल्लास और उमंग में शामिल हैं। यह देश की विकास यात्रा में अविस्मरणीय क्षण है, जो भारत के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कण-कण में प्रभु श्रीराम, उनकी पत्नी सीता और रामायण रचे-बसे हैं। माननीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सभी के लिए न्याय को समर्पित हमारा संविधान राम राज्य के आदर्शों से प्रेरित रहा है। 22 जनवरी 2024, समूचे भारत के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक तिथि है, जिसे याद करके हमारी पीढ़ियाँ युग-युगांतर तक अभिभूत होती रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान राम से जुड़े इस पावन अवसर पर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने में प्रधानमंत्री ने एक अनुपम और अद्वितीय भूमिका निभाई है। उन्होंने श्री रामलला की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में कठिन *यम-नियम* का पूर्ण निष्ठा से पालन किया। इस दौरान उन्होंने नासिक से लिपाक्षी और त्रिप्रायर से रामेश्वरम तक भगवान श्री राम से जुड़े महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण किया और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री बिरला ने यह भी कहा कि 22 जनवरी को प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री ने देश की आध्यात्मिक चेतना के जागरण के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर *'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'* की भावना का प्रत्यक्ष प्रतीक है। माननीय अध्यक्ष ने कहा कि कानून और लोकतंत्र में लोगों की आस्था यह दर्शाती है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव कितनी मजबूत तथा गहरी है और सदियों की तपस्या के बाद अयोध्या में नवनिर्मित भगवान श्रीराम के मंदिर ने देश में सुशासन और लोक कल्याण के एक नए युग की शुरुआत की है।

[5]*विदाई सन्दर्भ:* 10 फरवरी 2024 को श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (एनसीपी) ने लोक सभा अध्यक्ष, सत्ता पक्ष और पूरे विपक्ष का आभार व्यक्त किया। उन्होंने महसूस किया कि पिछले पाँच वर्ष इतनी तेज़ी से बीत गए कि चुनाव के नतीजे पिछले दिन की तरह ही लग रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया कि कोविड-19 के कारण सभी को दो साल का झटका लगा है और उन्होंने लोक सभा अध्यक्ष और उनके कार्यालय के सराहनीय कार्य की सराहना की। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि पिछले पाँच वर्षों में कई असहमतियों के बावजूद, सदस्यों के बीच संबंध कायम रहे। उन्होंने पाया कि संसद के मौजूदा सदस्यों ने पुराने और नए दोनों भवनों में काम करने का अनुभव किया है, जो पिछले 70 वर्षों में सामूहिक कड़ी मेहनत के कारण देश द्वारा हासिल किए गए विकास को दर्शाता है। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और दलों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक असहमतियाँ बनी रह सकती हैं, लेकिन रिश्तों में एकता और सौहार्द बनाए रखना महत्वपूर्ण है, इसे लोकतंत्र का एक मूलभूत पहलू बताया।

वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पांच वर्ष का कार्यकाल संविधान सदन से संसद भवन तक बिताने वाले सभी संसद सदस्यों के लिए जीवन के अविस्मरणीय क्षण होते हैं, जो हमेशा के लिए सभी की स्मृतियों में बस गए हैं। उन्होंने लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसद सदस्यों, विशेषकर पहली बार चुनकर आए संसद सदस्यों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कई अभिनव पहल कि हैं। इन नए प्रयोगों और उनकी नई अभिनव पहलों से उन्हें बहुत मदद मिली है। उन्होंने कहा कि यह उनका दूसरा कार्यकाल है और इस दौरान उन्हें बहुत अनुभव प्राप्त हुआ। सत्रहवीं लोक सभा में संसद ने सरकार के कई ऐतिहासिक फैसले भी देखे, संसद ने आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने का काम किया है, जो ब्रिटिश गुलामी के प्रतीक थे। देश की आधी आबादी को न्याय दिलाने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का काम एनडीए सरकार ने किया है। जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था, तब भारत ने *'वसुधैव कुटुम्बकम'* की अपनी भावना को सर्वोपरि रखते हुए *'वैक्सीन मैत्री'* पहल के तहत 100 से अधिक देशों को टीके (वैक्सीन) और दवाइयां उपलब्ध कराने का काम किया। उन्होंने सुझाव दिया कि 18वीं लोक सभा में जिस भी राजनीतिक दल के सदस्य चुनकर आए हैं, उन सभी को सदन के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर सभी दलों को मिलकर मंथन करना चाहिए। संसद सदस्य करोड़ों लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। इसलिए जब वे अपने समय का उपयोग सार्थक चर्चा के लिए करते हैं और जनहित के मुद्दे उठाते हैं, तो वे अपनी जिम्मेदारी के साथ न्याय कर पाते हैं। सदन में हंगामा पूरी तरह खत्म न हो सके तो कम से कम यह संकल्प तो होना ही चाहिए कि प्रश्नकाल किसी भी कीमत पर स्थगित न हो, क्योंकि विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार प्रश्नकाल ही है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस) ने कहा कि वर्तमान लोक सभा में भी उथल-पुथल भरी और युगांतकारी घटनाएं हुई हैं। सभी ने नए संसद भवन का उद्घाटन, संसदीय कार्य और नए संसद भवन में उनके स्थानांतरण को देखा। इस नए संसद भवन से संसद की यात्रा 19 सितंबर 2023 से शुरू हुई थी। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा की गई पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पदभार ग्रहण करने के दिन से ही श्री बिरला संसदीय प्रथाओं और प्रक्रियाओं को सुचारू तथा बेहतर बनाने और सदस्यों को उत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनेक पहल करते रहे हैं, चाहे वह आवास, चिकित्सा सुविधाएं, परिवहन या संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र हो। लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में, श्री चौधरी ने दिसंबर, 2021 में पीएसी के शताब्दी समारोह को बड़े पैमाने पर आयोजित करने में उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए लोक सभा अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन भारतीय संसद और इसकी समितियों के इतिहास में वास्तव में युगांतकारी था। उन्होंने आगे कहा कि सदन में न केवल लोक महत्व के कई मामलों पर चर्चा, बहस और मतदान हुआ, बल्कि सदन में कई बार कार्यवाही स्थगित भी हुई और सदन का कामकाज भी बाधित हुआ। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बहस और चर्चा संसदीय प्रणाली की पहचान है। लोक सभा अध्यक्ष की भूमिका की सराहना करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि समयाभाव और इससे उपजे दबावों के बावजूद

---

[5] **चर्चा में भाग लेने वाले अन्य लोग:** सर्वश्री रितेश पाण्डेय, प्रिंस राज, राहुल रमेश शेवाले, अनुभव मोहंती, सुनील कुमार पिन्टू, मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी, वीरेंद्र सिंह, बी.बी. पाटील, गिरीश चन्द्र, पिनाकी मिश्रा, हाजी फजलुर रहमान, भर्तृहरि महताब, मलूक नागर, कुंवर दानिश अली और श्रीमती नवनीत रवि राणा।

अध्यक्ष ने हमेशा अपना संयम बनाए रखा और सदन के सभी वर्गों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने का प्रयास किया तथा सदन की कार्यवाही को पूरी लगन और गरिमा के साथ संचालित किया। विपक्ष की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष ने व्यापक जनहित और गंभीर मुद्दों को उठाने और उन पर चर्चा करने में जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाई, जिसमें आम लोगों पर कोविड महामारी का दुष्प्रभाव, हमारे देश की सुरक्षा संबंधी खतरों, प्रदूषण से उत्पन्न समस्याएं, बेरोजगारी का बढ़ता स्तर और आम लोगों के जीवन पर बढ़ती मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल है। 17वीं लोक सभा के दौरान बेहतर कार्य-निष्पादन के बारे में उन्होंने कहा कि सांख्यिकीय दृष्टि से 17वीं लोक सभा सुचारु रुप से संचालित हुआ, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कानून पारित किए गए, प्रश्न पूछे गए, शून्य काल और नियम 377 के तहत लोक महत्व के मामले उठाए गए और लोक महत्व के मामलों पर चर्चा की गई। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा संसदीय शासन प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है और हमेशा हमारी कड़ी मेहनत से अर्जित स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों को संरक्षित, सुरक्षित और बनाए रखने के लिए खड़ी रही है और हमेशा ऐसा करती रहेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये पांच वर्ष देश में तीन अक्षीय और केन्द्रित लक्ष्यों अर्थात सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन पर केन्द्रित रहे हैं। लोक सभा अध्यक्ष द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ने सदन में सभी सदस्यों का बहुत ही सार्थक तरीके से मार्गदर्शन किया और सभी बाधाओं के बावजूद समभाव बनाए रखा और इसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने अपने प्रबंधन कौशल के माध्यम से दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया, जबकि पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के प्रकोप से जूझ रही थी। कोविड के दौर में ही उन्होंने संसद सदस्यों के सामने एमपीएलएडी के अंतर्गत मिलने वाली राशि को छोड़ने का प्रस्ताव रखा और सभी संकट के क्षणों में संसद सदस्यों ने तुरंत इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। इतना ही नहीं, समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए संसद सदस्यों ने स्वयं ही अपने वेतन से 30 प्रतिशत की कटौती का विकल्प चुनने का फैसला किया। इस कदम से देशवासियों को यह विश्वास हुआ कि उनके प्रतिनिधि त्याग करने वाले पहले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इसी दौरान भारत को जी-20 की अध्यक्षता मिली। देश के हर राज्य ने अपने तरीके से भारत की ताकत और अपनी पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसका प्रभाव आज भी दुनिया के मन-मस्तिष्क पर है। जी-20 की तर्ज पर लोक सभा अध्यक्ष ने पी-20 सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कई देशों के अध्यक्षों ने भाग लिया और भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना से परिचित हुए। उन्होंने कहा कि 17वीं लोक सभा का कार्य-निष्पादन लगभग 97 प्रतिशत है और विश्वास व्यक्त किया कि 18वीं लोक सभा 100 प्रतिशत से अधिक निष्पादित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे उत्साह के साथ मनाए और इसमें संसद सदस्यों और सदन की बहुत बड़ी भूमिका रही है।

इस कार्यकाल के दौरान कई सुधार हुए और यह 21वीं सदी में भारत की मजबूत नींव में उन सभी सुधारों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने यह स्मरण दिलाया कि इसी सदन में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया जिससे संविधान का पूर्णरूपेण अभ्युदय हुआ है। यह सदन आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए जाने के लिए साक्षी रहा हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम 75 वर्षों से अंग्रेजों द्वारा लागू की गयी दंड संहिता का पालन कर रहे थे। देश में भले ही 75 वर्षों से दंड संहिता द्वारा शासन किया गया हो, परन्तु अब भावी पीढ़ी न्याय संहिता द्वारा शासित होगी और यह सही अर्थों में लोकतंत्र है। नया सदन भव्य होने के साथ-साथ इसका शुभारंभ ऐसे कार्य से शुरू हुआ है जो भारत की मूलभूत मान्यताओं को बल देता है और वह *नारी शक्ति वंदन अधिनियम* है। यह अधिनियम हमें एक नई शक्ति देने वाला है और आने वाले समय में जब हमारी माताएं-बहनें भारी संख्या में यहां बैठेंगी, तो देश को गौरव की अनुभूति होगी। इन पांच वर्षों में युवाओं के लिए भी बहुत ऐतिहासिक कानून बनाए गए हैं। यह सच है कि कोई भी मानव जाति शोध के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है। इस सदन ने विधिवत रूप से राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान के माध्यम से कानूनी व्यवस्था बनाकर अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का बहुत बड़ा कार्य किया है, जिसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। 21वीं सदी में, हमारी बुनियादी आवश्यकतायें पूर्णरूपेण बदल रही हैं। डेटा के अधिकार और शक्ति को लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है। इस सदन ने डाटा संरक्षण विधेयक लाकर संपूर्ण भावी पीढ़ी को सुरक्षित किया है और उन्हें डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन के माध्यम से एक शक्ति प्रदान की है। दुनिया के देश इसका अध्ययन कर रहे हैं और अपने-अपने देशों में इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। 17वीं लोक सभा के दौरान देश में हुए आर्थिक सुधारों में सभी संसद सदस्यों की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान हजारों अनावश्यक

अनुपालनाएं लागू थी, जिससे जनता नौकरशाही प्रक्रियाओं में उलझी रही । उन्होंने यह नोट किया गया कि देश में विकसित शासन की विकृत प्रणाली को सुधारने के प्रयास किए गए है । उन्होंने विशेष रूप से कहा कि कंपनी अधिनियम, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, और 60 से अधिक अनावश्यक कानूनों को इन प्रयासों के माध्यम से हटाया गया है । व्यवसाय के लिए अनुकूल परिवेश (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) हेतु यह बहुत बड़ी आवश्यकता थी । *जन विश्वास अधिनियम* के माध्यम से 180 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया । उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चुनाव देश का गौरव को बढ़ाने वाले होंगे और लोकतंत्र की परंपरा समूचे विश्व को आश्चर्यचकित करेगी ।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 17वीं लोक सभा का कार्यकाल इसलिए भी विशेष रहा कि संसद के पुराने भवन और नए भवन, दोनों भवनों में संसदीय दायित्वों का निर्वाह किया गया है । उन्होंने नए भवन में स्थापित पवित्र *सेंगोल* के महत्व पर बल देते हुए कहा कि यह न्याय, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक शुचिता का प्रतीक है । उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक यात्रा आजीवन यादगार रहेगी । उन्होंने स्मरण करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान, सभी सदस्यों ने अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य लोकतंत्र और इसकी संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़ाना है । माननीय अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संसद सदस्यों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों और राष्ट्रीय महत्व दोनों से संबंधित मुद्दों को उठाया । इसके पश्चात् उन्होंने 19 जून, 2019 को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाने का उल्लेख करते हुए इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया । उन्होंने बताया कि ये पांच वर्ष उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थे क्योंकि प्रत्येक सदस्य के साथ बिताए गए क्षण प्रेरणादायक और अविस्मरमीय थे । उन्होंने सदन की उच्च परंपराओं और प्रथाओं को स्वीकार किया जिसे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने इस गंभीरता के साथ बनाए रखा और जिन्होंने इसकी गरिमा, सम्मान और शोभा को बढ़ाया । उन्होंने अपने पद की गरिमा और संस्था की सर्वोच्च प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने प्रयासों को व्यक्त किया और सभी दलों के नेताओं को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया । विशेष रूप से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करने के बावजूद उन्होंने देश के लोगों की सुरक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करते हुए लोगों के सहयोग से अपने संवैधानिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाया है । उस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी सदस्यों ने देर रात तक बैठकर अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया और कार्य-निष्पादन 167 प्रतिशत रहा । श्री बिरला ने यह भी कहा कि सत्रहवीं लोक सभा का यह सत्र अपने कार्य-निष्पादन में भी ऐतिहासिक रहा है । पिछली पांच लोक सभाओं में इस लोक सभा में सर्वाधिक कार्य-निष्पादन 97 प्रतिशत रहा । इस सत्र में महिला सदस्यों ने विशेष रूप से भाग लिया है और सदन में उनकी सक्रिय भागीदारी भी रही है । यह हमारे लिए गौरव का विषय रहा कि नये संसद भवन में सर्वप्रथम दिन ही *नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023* चर्चा के लिए लाया गया । सभी दलों ने इसका समर्थन किया और यह विधेयक पारित हुआ । जहां तक महिलाओं के सशक्तिकरण का संबंध है, यह विधेयक एक उल्लेखनीय उपलब्धि रहेगी । इसके अतिरिक्त, इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक पारित हुए हैं । *भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता* और विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी इस सदन ने पारित किया । इसके साथ ही, डिजिटल पर्सनल डेटा, मुस्लिम महिला विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, प्रत्यक्ष कर विधेयक, औद्योगिक विधेयक आदि कई ऐसे ऐतिहासिक कानून पारित किए गए । माननीय लोक सभा अध्यक्ष ने संसद सदस्यों को अपने जीवन में इस बात को भी स्मरण रखने का सुझाव दिया कि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक विधेयक पारित किए हैं जो देश के आर्थिक और सामाजिक परिवेश में लंबे समय तक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे । पिछले पांच वर्षों में, इस सदन ने ऐसे कानूनों को भी निरस्त किया है जो बहुत अनुपयोगी हो गये थे । इस सदन ने तीन संविधान संशोधन विधेयक भी पारित किए । उन्होंने सत्रहवीं लोक सभा के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस लोक सभा का गठन 25 मई, 2019 को हुआ था । इस सदन की पहली बैठक 17 जून, 2019 को हुई थी । माननीय अध्यक्ष ने बताया कि सत्रहवीं लोक सभा के दौरान कुल 274 बैठकें आयोजित हुईं, जो 1355 घंटे तक चली । सदन की कार्यवाही 346 घंटे से अधिक समय तक चली । सदन में व्यवधान के कारण 387 घंटे का समय भी बर्बाद हुआ । इन पांच वर्षों के दौरान गहन चर्चा और संवाद के बाद 222 कानून पारित किए गए । इस अवधि के दौरान, सरकार द्वारा 202 विधेयक पुरःस्थापित किए गए और 11 विधेयक वापस लिए गए । सत्रहवीं लोक सभा के दौरान 4,663 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध किए गए, जिनमें से 1,116 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए । इसी अवधि के दौरान 55 हजार 879 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए, जिनके लिखित उत्तर सदन में दिए गए । इसी लोक सभा के कार्यकाल के दौरान दो ऐसे अवसर भी आए जब सूचीबद्ध सभी 20 प्रश्नों के

उत्तर दिए गए। इस लोक सभा की अवधि के दौरान 729 गैर-सरकारी सदस्यों के सदन में पेश किए गए। 17वीं लोक सभा के दौरान 26,750 पत्र सभा संबंधित मंत्रियों द्वारा पटल पर रखे गये। इस लोक सभा के दौरान शून्यकाल में 5,568 मामले उठाए गए, जबकि नियम 377 के अन्तर्गत माननीय सदस्यों द्वारा 4,869 मामले उठाए गए । 18 जुलाई, 2019 को शून्यकाल के दौरान 161 मुद्दे उठाए गए जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पारित किये गये । संसद सदस्यों ने देर रात्रि तक सदन की कार्यवाही में भाग लिया। 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में शून्यकाल के दौरान 1,066 मुद्दे उठाए गए, जिसका अपने आप में कीर्तिमान है। पहली बार नियम 377 और शून्य काल के उत्तर कार्यपालिका की ओर से सही समय पर आए हैं। इसी लोक सभा के कार्यकाल में चंद्रयान मिशन की सफलता और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों पर भी चर्चा की गयी। सभा द्वारा इस विषय के संबंध में एक संकल्प पारित किया गया। सदन द्वारा 'भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर इसका प्रभाव' विषय पर भी नियम 342 के अन्तर्गत चर्चा की गई। मंत्रियों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर 534 वक्तव्य दिए गए। इस लोक सभा के दौरान नियम 193 के अन्तर्गत12 मुद्दों पर चर्चा भी की गयी। स्थायी समितियों की सराहना करते हुए माननीय अध्यक्ष ने कहा कि संसद की स्थायी समितियों द्वारा इस लोक सभा के कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया गया और 691 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सरकार द्वारा संसदीय समितियों की 69 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार की गई। जी-20 शिखर सम्मेलन के बारे में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जी-20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । इससे भारत की नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित हुई और उसके पश्चात्, जी-20 देशों का पी-20 शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया जिसमें उनकी संसदों के पीठासीन अधिकारी शामिल हुए। इसके माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों ने विश्व में देश के लोकतंत्र की यात्रा का अनुभव किया। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पी-20 सम्मेलन के दौरान संसदीय मंच पर मिशन लाइफ (पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली) पर भी चर्चा हुई, जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर हरित भविष्य का संकल्प लिया गया। इसके माध्यम से सभी पीठासीन अधिकारियों ने विश्व में देश के लोकतंत्र की यात्रा का अनुभव किया । प्रधानमंत्री की प्रेरणा से पी20 सम्मेलन में संसदीय मंच पर पर्यावरण अनुकूलन जीवनशैली (मिशन लाइफ) पर भी चर्चा की गई, जिसमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए हरित भविष्य का संकल्प लिया गया। सभी प्रतिभागी देशों ने इस कार्यक्रम का समर्थन किया और सभी संसदों के अध्यक्षों ने संकल्प लिया कि वे अपने देशों के अंदर इसी प्रकार के संकल्प का प्रस्ताव रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। इस लोक सभा के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019 और 2021 में संसद भवन में संविधान दिवस संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया गया। 4 दिसंबर, 2021 को संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केन्द्रीय कक्ष में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 19 सितंबर, 2023 को *संविधान सदन* के केन्द्रीय कक्ष में "संविधान सभा से अब तक 75 वर्षों की संसदीय यात्रा-उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियाँ और सीख" विषय पर विशेष चर्चा आयोजित की गयी।

श्री बिरला ने उल्लेख किया कि लोक सभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में उन्होंने पीठासीन अधिकारियों के छह सम्मेलन आयोजित किए, जहाँ सभी पीठासीन अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं, चाहे वह विधान सभा हो या लोक सभा, में सदस्यों के शब्द, गरिमा और आचरण ऐसे हों कि लोगों का लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अधिक विश्वास और भरोसा हो । उन्होंने स्मरण दिलाया कि उस समय प्रधानमंत्री ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था- 'एक राष्ट्र, एक विधायी मंच'। उन्होंने भविष्य में लोक सभा और राज्य सभा के साथ-साथ देश भर की विधान सभाओं की सभी बहसों, चर्चाओं और बजट कार्यवाही को एक मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई पहल पर प्रकाश डाला। इस लोक सभा कार्यकाल के दौरान 16 देशों के संसदीय शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया, जबकि भारत के 42 शिष्टमंडलों ने कई अन्य देशों का दौरा किया, जिससे विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों और समितियों में देश की भागीदारी बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर भारत की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। लोक सभा के कार्यकाल के पूरा होने पर उन्होंने कहा कि संसद सदस्य अपने-अपने लोक सभा क्षेत्रों में वापस जाएंगे और उम्मीद जताई कि वे संसद में प्राप्त अनुभवों और दिए गए सहयोग का उपयोग अपने सार्वजनिक जीवन में करेंगे, जिसका उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि और प्रतिष्ठा को बढ़ाना है।

ख. विधायी कार्य

संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 और संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023: 6 फरवरी 2024 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 में और संशोधन करने के लिए विधेयक को

विचारार्थ प्रस्तुत किया तथा जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 में और संशोधन करने के लिए विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, डॉ. अमर सिंह (कांग्रेस) ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आरक्षण पर्याप्त नहीं है और उन्होंने ऐसा संशोधन लाने का सुझाव दिया कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाए। वर्ष 2011 में की गई जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों की आबादी देश की 16.6 प्रतिशत है, जबकि उनमें से केवल 2.2 प्रतिशत के पास अपनी जमीन है और शेष 97.8 प्रतिशत भूमिहीन हैं। वर्ष 2019 में एनएसएसओ ने कहा कि इस देश में 21 प्रतिशत लोग गरीब हैं। लेकिन, गरीबी की परिभाषा गंभीर रूप से जीवित रहने तक ही सीमित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 26 रुपये प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 32 रुपये प्रति दिन है। बैंक ऋण के मामले में, केवल 15-16 प्रतिशत को ऋण मिल रहा है, शेष 85 प्रतिशत को ऋण नहीं मिल रहा है। वर्ष 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में केवल 11 प्रतिशत लोग ही नामांकित हैं। पीएचडी में केवल 9 या 10 प्रतिशत छात्र नामांकित हैं। एमबीबीएस में 8.3 प्रतिशत छात्र हैं। अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जाति केवल 7.65 प्रतिशत हैं, जबकि भारत सरकार की सेवाओं में उनके लिए 15 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। ये सरकार के आंकड़े हैं। देश में औसत आय लगभग 1,64,000 रुपये प्रति वर्ष है और अनुसूचित जाति लोगों की आय 89,000 रुपये है। यह लगभग 50 प्रतिशत है। उन्होंने वर्ष 2022-23 में मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति बंद करने का सरकार से कारण पूछा और समाज के इन कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कुछ योजनाएं शुरू करने का सुझाव दिया।

[6]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री जुगल किशोर शर्मा (भाजपा) ने कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक, 2023 के माध्यम से वाल्मीकि समुदाय के लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने तथा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक, 2023 के माध्यम से पहाड़ी लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संबंध में चर्चा चल रही है। ये दोनों विधेयक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हैं। गूजर, बक्करवाल, गद्दी और सिप्पी वर्षों से अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे थे। उन्हें अब जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। गूजर और बक्करवाल को राजनीतिक आरक्षण दिया गया है। ओबीसी वर्ग 50 वर्षों से जो मांग कर रहा था, वो अब पूरी हो गई है। पहले पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) के शरणार्थियों को जम्मू-कश्मीर में नागरिकता नहीं दी जाती थी। अब उन्हें नागरिकता और उससे जुड़ी सुविधाएं मिल गई हैं। पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में रहने वाले पहाड़ी आदिवासी 50 वर्षों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और आज पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का प्रयास किया जा रहा है।

चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 वाल्मीकि समुदाय को संघ राज्यक्षेत्रों की अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने के बारे में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 9 वर्षों में अनुसूचित जाति समुदाय के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। भारत सरकार के पास अनुसूचित जाति सूची में संशोधन करने की एक प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से मंजूरी ली गई और उसके बाद ही विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए संसद के समक्ष रखा गया। उन्होंने कहा कि अब अनुसूचित जाति के लोगों को *आवास योजना और आयुष्मान भारत योजना* का लाभ मिलेगा। उनके बच्चों को राज्य और केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के गुरदासपुर और अमृतसर से पलायन करने वाले 272 परिवारों को वर्षों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक उन्हें समान अधिकार

---

[6] **चर्चा में भाग लेने वाले अन्य लोग:** सर्वश्री मलूक नागर, अरविंद सावंत, दिलेश्वर कामैत, रमेश चन्द्र माझी, मोहम्मद सदीक, भोला सिंह, हसनैन मसूदी, तापिर गाव, रामशिरोमणि वर्मा, कोडिकुन्नील सुरेश, अधीर रंजन चौधरी, डॉ. डी. रविकुमार, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., डॉ. थोल तिरुमावलवन, कुमारी गोड्डेती माधवी, श्रीमती अपरूपा पोद्दार, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और सुश्री सुनीता दुग्गल।

और रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। वे संपत्ति खरीद सकेंगे और विधान सभा के लिए मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्हें लोक सभा, विधान सभा, पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगम में आवास इकाइयों के आवंटन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्हें मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक, विदेशी छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। उन्हें रियायती दरों पर ऋण मिलेगा, अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की रोकथाम के प्रावधान उन पर लागू होंगे और उन्हें नमस्ते योजना और वेंचर कैपिटल फंड का लाभ मिलेगा। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि सीधे छात्रों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से जमा की जाएगी। तमिलनाडु के बारे में उन्होंने बताया कि अनुसूचित जातियों की सूची में बदलाव के बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ जातियों के नाम बदलने के प्रस्ताव हैं जो भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के पास हैं। ईसाई और इस्लामी समुदायों के सदस्यों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के संबंध में उन्होंने बताया कि के.जी. बालकृष्णन आयोग का गठन किया गया है, जो दो साल में अपनी रिपोर्ट देगा। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए *शिल्प समागम* की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से सरकार समुदाय द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान कर रही है। मंत्री ने आगे बताया कि एक वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया गया है, 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए *श्रेष्ठ योजना* शुरू की गई है, और उन्होंने सदन से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया।

चर्चा का उत्तर देते हुए जनजातीय कार्य तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सदन में सदस्यों ने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 तथा संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा की, अपने विचार व्यक्त किए तथा लगभग सभी ने विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाकर न केवल देश के लोगों को बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। उन्होंने हाल ही में भारतीय दंड संहिता अधिनियम पारित होने की बात कहते हुए कहा कि अब से जो भी कानून बनेगा, वह पूरे देश के लिए लागू होगा। मंत्री महोदय ने आगे बताया कि सरकार ने *प्रधानमंत्री-जनमन* योजना के माध्यम से आदिम जनजातियों और कमजोर जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है और बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि सभी को सामूहिक रूप से प्रगति करनी चाहिए और सभी के प्रयास से देश निरंतर प्रगति करे।

मंत्री महोदय ने अंत में कहा कि आज जम्मू-कश्मीर के लोगों को न्याय मिल रहा है; शिक्षा और नौकरियों में गूजर-बकरवाल, गद्दी समुदाय का आरक्षण कायम रहेगा; लद्दाख के लोगों को भी न्याय मिल रहा है, और उन्होंने सदन से विधेयक पारित करने का अनुरोध किया।

विधेयक पारित हुए।

जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024: 6 फरवरी 2024 को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर निगमों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रगति के पथ पर है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के द्वारा नगरपालिकाओं के चुनावों का संचालन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयुक्त के पास चला जाएगा। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के मद्देनजर सभी केंद्रीय अधिनियमों सहित भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो गए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुरूप जम्मू-कश्मीर से संबंधित तीन अधिनियमों में संशोधन करना है। इन संशोधनों से अन्य पिछड़ा वर्ग को वहां निर्वाचित स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने सदन से विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने का अनुरोध किया।

चर्चा आरम्भ करते हुए श्री जसबीर सिंह गिल (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की मूल संरचना है, जो जमीनी स्तर और ग्रामीण स्तर से शुरू होती है। जम्मू-कश्मीर में इसे लागू करना बहुत जरूरी है। इस विधेयक का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा प्रदान करना है। श्री गिल ने कहा कि उनकी भागीदारी से यह व्यवस्था और मजबूत होगी और उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ प्रावधान करने का सुझाव दिया, ताकि वहां उनका भी प्रतिनिधि हो।

[7] *चर्चा में भाग लेते हुए,* श्रीमती चिंता अनुराधा (वाईएसआरसीपी) ने कहा कि इस विधेयक में कई सकारात्मक बदलाव हैं और इसमें समावेशी प्रतिनिधित्व है। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण प्रदान करके स्थानीय निकायों में ओबीसी को शामिल करने से सामाजिक समावेशिता बढ़ती है और इससे स्थानीय शासन में इन समुदायों की एक आवाज सुनिश्चित होती है। चुनाव प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत केंद्रीकृत करना अधिक संगठित और मानकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करके महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है। यह विधेयक स्थानीय शासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। जम्मू और कश्मीर के लिए प्रगतिशील कानूनों की बहुत आवश्यकता है और इस महान सभा के सभी पक्षों द्वारा इसकी सराहना की जाती है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य विधान सभाओं और लोक सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण जैसे ओबीसी को और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक कानून लाने का आग्रह किया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ओबीसी से संबंधित मुद्दों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके। उन्होंने सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से ओबीसी युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव भी दिया। आदिवासी समुदायों के लिए एक समर्पित मंत्रालय की तर्ज पर, उनकी विशिष्ट जरूरतों और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ओबीसी के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने की जरूरत है। यह प्रस्तावित मंत्रालय शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार क्षेत्रों दोनों में ओबीसी के लिए आरक्षित कोटा के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने अपने दल की ओर से विधेयक का समर्थन किया।

चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक कमजोर और वंचित वर्गों सहित अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने हेतु एक अग्रणी विधेयक है। उन्होंने बताया कि सरकार ओबीसी के प्रति प्रतिबद्ध और चिंतित है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ओबीसी के कल्याण और विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी समुदाय से हैं, जो मंत्रिमंडल का 35 प्रतिशत है। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और ओबीसी के आरक्षण को मजबूती मिली है। ऑल इंडिया कोटा स्कीम के अंतर्गत नीट परीक्षा सहित एमबीबीएस और एमडी के दाखिले में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। स्कूल दाखिले में ओबीसी समुदाय को 27 फीसदी आरक्षण की सुविधा दी गई है। पिछले नौ वर्षों में ओबीसी छात्रों के नामांकन में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ओबीसी वर्ग के उद्यमियों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड पीएम-यशस्वी के तहत ओबीसी छात्रों को वार्षिक 4000 रुपये से लेकर 1, 25, 000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जम्मू-कश्मीर में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण और विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ-साथ महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों, सभी को समानता और निष्पक्षता की गारंटी दी गई है, जैसे पहाड़ी समुदाय के लिए चार प्रतिशत आरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण इत्यादि। अनुच्छेद 370 की समाप्ति जम्मू-कश्मीर में एक परिवर्तनकारी चरण सिद्ध हुआ है, जिससे विकास, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक आयामों के अंतर्गत राज्य को न्याय मिला है। कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में प्रगति हुई है। पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर की शांति, सुरक्षा और विकास पर ध्यान दिया गया है। विकास का श्रेय सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दिया जाता है। मंत्री महोदय ने बताया कि विधेयक में तीन संशोधन शामिल हैं और ये सभी संशोधन ओबीसी के हित में हैं, जिससे ओबीसी आरक्षण को लागू करने में सुविधा होगी और जम्मू-कश्मीर की ग्राम पंचायतों और नगर निगमों में ओबीसी के लोगों को आरक्षण का अधिकार मिलेगा।

विधेयक पारित हुआ।

---

[7] **चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:** *सर्वश्री* जुगल किशोर शर्मा, हसनैन मसूदी, प्रतापराव जाधव, कौशलेंद्र कुमार, रमेश बिधूड़ी, एन.के. प्रेमचंद्रन, वी. वैथिलिंगम, सुनील कुमार पिंटू, अधीर रंजन चौधरी, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, प्रो सौगत रॉय, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्रीमती नवनित रवि राणा।

लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024: 6 फरवरी 2024 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर विचार हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा कि विगत दस वर्षों में विशेषकर युवाओं की सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर और उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन को लेकर युवा-केंद्रित प्रावधान लाए गए, जिसमें प्रत्येक युवा को उसकी प्रतिभा, योग्यता और परिश्रम के अनुकूल अवसर मिला है। उन्होंने ऐसे कई उदाहरणों का भी उल्लेख किया, जब कोई उम्मीदवार लिखित परीक्षा में 100 अंक प्राप्त करने के बाद भी विफल हो जाता था, क्योंकि पक्षपात, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कारण साक्षात्कार में किसी अन्य उम्मीदवार को अधिक अंक देकर नौकरी दे दी जाती थी या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश दे दिया जाता था। मंत्री महोदय ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से सरकारी पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है ताकि प्रत्येक उम्मीदवार को समान अवसर मिल सके। ऑनलाइन और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के द्वारा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा प्रक्रिया के अवधिकाल को घटाकर सात-आठ या नौ महीने कर दिया गया है तथा इसे और भी कम करने के प्रयास जारी है। देश के भिन्न-भिन्न भागों से कदाचार, पेपर लीक, परीक्षा में मूल अभ्यर्थी के स्थान पर किसी और के भाग लेने और प्रश्न-पत्र बाहर हल किए जाने जैसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं। दिसंबर 2022 में राजस्थान में शिक्षक भर्ती घोटाला, फरवरी 2022 में राजस्थान में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा में अनियमितताएं पाई गईं और परीक्षा फिर से आयोजित करनी पड़ी। वर्ष 2018 से अब तक राजस्थान में इस प्रकार के 12 घोटाले हो चुके हैं। इसी प्रकार वर्ष 2022 में जम्मू-कश्मीर में उप-निरीक्षक भर्ती घोटाला और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा, 2017 जैसे अनेक उदाहरण हैं और इस प्रकृति के कई अन्य उदाहरण भी हैं। कोटा में एक बच्चे द्वारा आत्महत्या करने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को इस तरह की परिस्थिति से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने संगठित अपराध में लिप्त तथा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और यह विधेयक उनके हितों की रक्षा के लिए लाया गया है।

चर्चा आरम्भ करते हुए, श्री कोडिकुन्नील सुरेश (आईएनसी) ने कहा कि लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक*, 2024* का उद्देश्य लोक परीक्षाओं के दौरान उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अनुचित साधनों और अपराधों की पहचान करना है। परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने की लंबी प्रक्रिया में कई वर्ष लग जाते हैं और सरकारी प्रक्रिया में कई आवेदकों को अधिक उम्र या निजी अनिश्चित परिस्थितियों के कारण अपने प्रयासों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि सरकार परीक्षा रद्द किये जाने की तिथि से तीन माह के अन्दर परीक्षा आयोजित करने पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि रद्द परीक्षाओं के मामले में पुनः परीक्षा विंग हेतु विंग तैयार की जाए। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपराध से जुड़े दोषियों के साथ-साथ साजिश रचने वालों और मध्यस्थ अभिकरणों के लिए भी यथोचित सजा निर्धारित की जाए। हाल ही में केरल राज्य में प्रश्न-पत्र लीक और छलसाधन माफिया के मामले का हवाला देते हुए, उन्होंने इस भयानक अपराध को रोकने के लिए और अधिक कड़े कानून बनाने की मांग की, और सरकार से कदाचार विरोधी उपायों को बेहतर बनाने और नवीनतम तकनीक को लागू करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विधेयक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों की सुरक्षा के लिए भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि यह कानून भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने और हमारे देश के लाखों युवाओं के लिए सहायक होगा।

[8] *चर्चा में भाग लेते हुए*, डॉ सत्यपाल सिंह (भाजपा) ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य हमारी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के साथ-साथ न केवल देश में बल्कि विश्व भर में विश्वसनीयता पैदा करना है। उन्होंने यह

[8] **इस चर्चा में भाग लेने वाले अन्य संसद सदस्य:** सर्वश्री डी.एम. कथीर आनन्द, राहुल रमेश शेवाले, मलूक नागर, चन्देश्वर प्रसाद, प्रताप चंद्र षडङ्गी, कल्याण बनर्जी, ई.टी. मोहम्मद बशीर, हसनैन मसूदी, एन.के. प्रेमचन्द्रन, सुमेधानन्द सरस्वती, सय्यद ईमत्याज जलील, राजीव प्रताप रूडी, संजय सेठ, अधीर रंजन चौधरी, डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद, डॉ. के. जयकुमार, डॉ. एस.टी. हसन, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., डॉ. थोल तिरुमावलवन, कुंवर दानिश अली, प्रो. अच्युतानंद सामंत, श्रीमती चिंता अनुराधा, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्रीमती संगीता आज़ाद।

कहते हुए कि परीक्षाओं में नकल के कारण न केवल देश का नाम खराब हो रहा है, बल्कि शिक्षा का स्तर भी नीचे गिरता जा रहा है, इस बात को महसूस किया कि शिक्षा सार्थक, सुखद, प्रसिद्धि-उन्मुख और मनभावन होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा विधेयक लाने के लिए मंत्री जी को बधाई दी जिसके अंतर्गत तीन से पांच वर्ष, पांच से दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपये से दस लाख रुपये, एक करोड़ रुपये से दस करोड़ रुपये के दण्ड का प्रावधान है। उन्होंने पेपर लीक को संगठित अपराध बताते हुए सुझाव दिया कि विधेयक में संगठित अपराध संबंधी धारा का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने यह स्मरण करते हुए कहा कि कई वर्ष पहले युवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करके कस्टम इंस्पेक्टर बन जाते थे और इस बात का भी उल्लेख किया कि एक या दो जिलों से 50-60 बच्चों के चयन होना नकल के बिना यह संभव नहीं था। कुछ लोग संगठित रूप से काम करते हैं। इसलिए इस संबंध में बेहद सख्त कानून लाने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि पीएचडी की उपाधि धारण करने के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। लोगों को पैसे देकर पीएचडी की उपाधि धारण करते थे। बीस हजार रुपये में लोग पीएचडी का शोध लिखवाते थे। ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। देश में शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसलिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी नवाचार और अनुसंधान पर बल दे रहे हैं, हमारे देश में इस प्रकार के कानून की अनिवार्यतः आवश्यकता है, ताकि कोई भी नकल करने या करवाने का साहस न करे। ऐसे केंद्रों को बंद करने की आवश्यकता है और ऐसे स्कूलों और कॉलेजों की मान्यता रद्द की जानी चाहिए।

चर्चा का उत्तर देते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह कानून उन लोगों के विरूद्ध लाने का प्रयास किया जा रहा है जो परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करते है। उन्होंने किसी संसद सदस्य द्वारा दिए गए एक सकारात्मक सुझाव का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कोई परीक्षा रद्द की जाती है, तो इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी आयोजित करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए। परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों का भी यही प्रयास रहता है कि परीक्षा का आयोजन निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। उन्होंने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। सरकार ने एमटीएस, गैर-तकनीकी, अर्द्धसैनिक बलों में कांस्टेबल और संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर की विभिन्न परीक्षाएं 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित करवाने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आठवीं अनुसूची में शामिल 13 भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं और इन परीक्षाओं को 22 भाषाओं में आयोजित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सुविधा, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी सभी योजनाओं में सीमावर्ती गांवों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि इस अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने परीक्षाओं के संचालन में 'अनुचित साधनों' को चिन्हित करने और उन्हें परिभाषित करने की सरकार की मंशा के बारे में अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार जानकारी देते हुए कहा कि यदि इससे संबंधित अपराध सीमा से अधिक बड़ा होगा, तो यह निश्चित रूप से 'भारतीय न्याय संहिता' के अधिकार क्षेत्र में आएगा और यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि किसी अधिकारी ने मिलीभगत के माध्यम से किसी माफिया की मदद की है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

विधेयक पारित हुआ।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (राज्य सभा द्वारा यथापारित) और संविधान (अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (राज्य सभा द्वारा यथापारित): 8 फरवरी 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने विधेयक को चर्चा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, श्री सप्तगिरि शंकर उलाका (कांग्रेस) ने कहा कि पहले एक प्रक्रिया थी जिसके अन्तर्गत संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाती थी और दोनों सदनों के सांसद इसके सदस्य होते थे। वे कई स्थानों का दौरा करते थे। वे अन्य जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मानदंडों की जांच करते थे और उन्हें उनमें शामिल करने की सिफारिश करते थे। पिछले चार से पांच वर्षों में, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक से शुरू करके लगभग 150 से 200 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में शामिल किया गया है।

ओडिशा सरकार ने लगभग 180 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने से संबंधित मामले को विचार हेतु भेजा है। यह स्वाभाविक रूप से एक चिंता का विषय है कि क्या सभी मामले वास्तविक हैं। देश में जनजातीय लोगों की संख्या केवल 8.6 प्रतिशत हैं परन्तु विकास परियोजनाओं के कारण इसमें से 80 प्रतिशत जनजातीय लोग विस्थापित हो जाते हैं। वर्ष 2014 से सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम को कमजोर करने का प्रयास किया है और अब यह वन अधिकार अधिनियम को कमजोर कर रही है। वन अधिकार अधिनियम संप्रग सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसके अन्तर्गत जनजातियों को भूमि प्रदान करने का प्रावधान था। वर्तमान में, सरकार वन अधिकारों के दावों का निपटान नहीं कर रही है। 80 प्रतिशत दावे खारिज किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) का निजीकरण भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। नौकरियों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जनजातीय वर्ग हेतु आरक्षण नीति का प्रावधान किया गया है। परन्तु यदि आपके पास सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही नहीं रहेंगे, तो आरक्षण के लाभों का उपयोग किस प्रकार से किया जायेगा। स्कूलों को बंद करने का भी मुद्दा है। छोटे स्कूलों को क्लस्टर में बदला जा रहा है। उन्हें फैक्ट्री स्कूल नामक मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। फैक्ट्री स्कूलों की इस अवधारणा के अन्तर्गत वे आदिवासी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु गांवों और दूरवर्ती इलाकों से शहरों में लेकर जाते हैं। इन स्कूलों के प्रायोजक खनन माफिया और देश के बड़े-बड़े उद्योगपति हैं। वे इन बड़े फैक्ट्री स्कूलों को प्रायोजित करते हैं और धीरे-धीरे आदिवासियों की संस्कृति को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करने और संसद सदस्यों को इसका सदस्य बनाने का आग्रह किया ताकि देश भर में इनकी वास्तविक मांगों पर विचार किया जा सके। इससे नियंत्रण और संतुलन भी स्थापित होगा।

[9] *चर्चा में भाग लेते हुए,* प्रो. सौगत राय (एआईटीसी) ने दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए कहा कि पहला विधेयक आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय जनजातियों को शामिल करने से संबंधित है।

दूसरा विधेयक कुछ जनजातियों को अनुसूचित जातियों से बाहर करने और उन्हें अनुसूचित जनजाति समुदाय में शामिल करने से संबंधित है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों की देश भर में उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने आंध्र प्रदेश और ओडिशा में इन जातियों की सूची में किए गए संशोधनों पर प्रकाश डालते हुए इस बात का उल्लेख किया कि प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की पृथक सूची बनाई गई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादी विद्रोह की घटनाओं का हवाला देते हुए आगे कहा कि देश में जनजातियों की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों को हिंसा के रास्ते पर जाने से रोकने में असमर्थता पर चिंता व्यक्त की और जहां महसूस हुआ उन क्षेत्रों में विकास के प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहां कि वहां रोजगार के अवसरों और विकास की पहल के माध्यम से विशेष रूप से उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जो क्षेत्र पहले माओवादी उग्रवाद से प्रभावित थे। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार की पहल शुरू होने से पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आदिवासियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया। उन्होंने संविधान में अनुसूचित जनजाति आदेश, जिसके अन्तर्गत ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना आदिवासी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता, के उल्लंघन में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किये जाने वाले वन क्षेत्रों के अतिक्रमण के संबंध में चिंता व्यक्त की। उन्होंने किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की जटिल प्रक्रिया की आलोचना की और इस प्रक्रिया को सरल बनाने की सिफारिश की।

चर्चा का उत्तर देते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कहा कि पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) और इन समूहों को शामिल करने की प्रक्रिया को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन

---

[9] **इस चर्चा में भाग लेने वाले अन्य संसद सदस्य:** सर्वश्री एन रेड्डप्प, रमेश चन्द्र माझी, गिरीश चन्द्र, तापिर गाव, अब्दुल खालेक, श्रीरंग आप्पा बारणे, दुलाल चन्द्र गोस्वामी, के. नवासखनी, एस. मुनिस्वामी, सय्यद ईमत्याज जलील, विनसेंट एच. पाला, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले, और शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान।

संबंधी कतिपय मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं जिनके अनुसार राज्य में उन प्रस्तावों के अन्तर्गत संशोधन किए जाते हैं। इसके पश्चात् संबंधित राज्य सरकार द्वारा सिफारिश और भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा उनको अनुमोदित किया जाता है तथा इसके बाद एनसीएसटी (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। हमारी आदिम जनजातियों की संख्या कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल जनजातियों पर बल्कि सबसे पिछड़ी जनजातियों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि इन जनजातियों की संख्या घट रही है और इस दृष्टिकोण से उनके विकास के लिए कदम उठाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जन मन विकास योजना के अन्तर्गत 24 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण और घरों तक जल पहुंचाने के कार्य किए जा रहे हैं। जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी, बजट में भी में वृद्धि की जायेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार जनजातीय समुदाय के लिए चिकित्सा इकाइयां भी संचालित कर रही है। बहुउद्देश्यीय केन्द्रों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है। ट्राइफेड (ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन) के माध्यम से जनजातीय विकास मिशन चल रहा है। आदि महोत्सव जैसे बड़े मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। पहली बार 18 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र प्रदेश अंडमान निकोबार के लिए बजट आवंटित किया गया है। इन दोनों बजट के अतिरिक्त 'पीएम जनमन' के अन्तर्गत तीसरा बजट अलग से आवंटित किया गया है। यह 24,500 करोड़ रुपये का बजट है जो विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से जनजातीय कल्याण के लिए आवंटित किया जाता है। चाहे आकांक्षी प्रखंडों की बात हो या आकांक्षी जिले की बात हो, सरकार ने इस संबंध में काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री जन-मन कार्यक्रम के अंतर्गत यह सरकार सर्वाधिक पिछड़े लोगों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की पहचान करके, के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के तीन समुदाय - बोंडो पोर्जा, खोंड पोर्जा और कोंडा सावरा और ओडिशा के पौड़ी भुइयां, चुक्तिया भुइयां, बोंडा और मनकीडी समुदाय को भी पीवीटीजी (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों) में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से उन्हें आवास, जल व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि जैसे सभी दृष्टि से न्याय मिलेगा।

विधेयक पारित हुआ।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 (राज्य सभा द्वारा यथापारित): 8 फरवरी, 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोज़गार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि संशोधन विधेयक द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण बदलाव से न केवल उद्योगों को गति मिलेगी, बल्कि ये बदलाव पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कारोबार करने की सुगमता और जीवनयापन में सुगमता हेतु किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नए संशोधनों में धारा 25 व 26 के प्रावधानों के उल्लंघन और जुर्माना न भरने या अतिरिक्त जुर्माना देने में विफल रहने को छोड़कर सभी प्रावधानों के अन्तर्गत कारावास की सजा के प्रावधान को समाप्त किया जा रहा है। इस अधिनियम के अन्तर्गत उठाये गये तीन प्रमुख मुद्दों का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि पहले मुद्दे के अन्तर्गत राज्य के बोर्डों में प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति को सुव्यवस्थित करना है। दूसरा, कारोबार करने की सुगमता में सुधार करना और अनावश्यक दंड प्रावधानों को खत्म करना है, तथा तीसरा राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन संबंधी स्वीकृति तंत्र को कारगर बनाने का प्रयास करना है।

चर्चा की शुरुआत करते हुए, श्री बी. मणिक्कम टैगोर (कांग्रेस) ने कहा कि यह विधेयक इस देश के संघीय ढांचे के ही विरुद्ध है। इस विधेयक का उद्देश्य एसपीसीबी के गठन के संबंध में राज्य सरकारों की शक्तियों को केन्द्र सरकार को हस्तांतरित करना है। इस बदलाव का प्रमुख मुद्दा यह है कि विधेयक की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों पर निर्वाचित राज्य सरकारों का कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए। इस विधेयक के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा लिये गये निर्णयों को बदलने का स्पष्ट रूप से प्रयास किया गया है। यह प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को कुछ उद्योग श्रेणियों को जल निकायों में औद्योगिक अपशिष्ट निर्वहन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट देने का अधिकार देता है। इस विधेयक के प्रमुख मुद्दे में से एक मुद्दा धारा 24, 25 या 27 के अन्तर्गत बार-बार अपराध करने वाले के लिए कारावास की सजा खत्म करना है।

[10]*चर्चा में भाग लेते हुए,* श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (आरएसपी) ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि जहां तक पर्यावरण संरक्षण का संबंध है, यह एक कठोर विधान है। उन्होंने इस बात को महसूस किया कि कारोबार करने की सुगमता और जीवनयापन में सुगमता के नाम पर देश के पूरे संघीय सिद्धांतों को समाप्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा है, और प्रधानमंत्री ने यूएनएफसीसीसी में बहुत ही विशिष्ट वक्तव्य दिया था जिसके अनुसार हम वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उस दिशा में कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों, को कम करके कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। परन्तु, यह जानकर आश्चर्य होता है कि सरकार कारोबार करने की सुगमता के नाम पर उद्योग के हितों को संतुष्ट करने के लिए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित कानूनों को कमजोर करने हेतु एक कानून ला रही है। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कड़े प्रावधानों के कारण देश का वन क्षेत्र संरक्षित है। परन्तु, इस विधेयक में सरकार जल अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर रही है। इस संशोधन विधेयक के विभिन्न उपबंधों के आधार पर धारा 25 और 26 को छोड़कर सभी दांडिक उपबंधों को कारावास की सजा से मुक्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर दंड का प्रावधान किया जाएगा। यह विधेयक भी बहुत अस्पष्ट है। इसकी व्याख्या अनेक तरह से की जा सकती है। भारत में जल जनित रोग दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। चार करोड़ से अधिक भारतीय इन बीमारियों से पीड़ित हैं, जिससे प्रत्येक लगभग चार लाख मौतें होती हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और शुद्ध जल की रक्षा के लिए सख्त और अधिक कठोर पर्यावरण कानून बनाने की आवश्यकता है।

चर्चा का उत्तर देते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह सरकार पर्यावरण संरक्षण और संघीय ढांचे की बुनियाद को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और इस विधेयक में दोनों मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 1974 के कानून में साधारण कदाचार के उल्लंघन पर भी सजा का प्रावधान था। सरकार ने सजा के प्रावधान को कोर्ट से हटा दिया है और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी नियम इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, उनके संबंध में गहन जांच-पड़ताल की जाएगी। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो नियमों में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का पूरा मौका देने का प्रावधान किया जाएगा और साक्ष्यों से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही उस मामले में निर्णय लिया जाएगा। फिर भी, अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास जाने का अवसर मिलेगा। अपीलीय प्राधिकरण के पास निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए सरकार ने इसके अंतर्गत संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी का चयन किया है। एक माननीय सदस्य की शंका का समाधान करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं करेगी, जिससे लगे कि वह राज्य प्रदूषण बोर्डों की शक्तियों को अपने हाथ में ले रही है। सरकार कुछ उद्योगों को छूट देगी जो केवल हरित उद्योग (ग्रीन इंडस्ट्री) हैं, लेकिन वह छूट भी पूरी तरह से नियमों के अंतर्गत दी जाएगी। जुर्माने के वितरण के संबंध में सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इससे एकत्र की गई 75 प्रतिशत राशि राज्यों को वापस कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि देश के स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। जल प्रदूषण केवल उद्योगों के कारण नहीं है, बल्कि यह माइक्रो-प्लास्टिक और गांवों में तालाबों के प्रदूषण के कारण भी है। सदस्यों की जो चिंताएं हैं वास्तव में वे आम नागरिक की भी चिंताएं हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि मंत्रालय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को संशोधित और अद्यतन कर रहा है। *स्वच्छ भारत मिशन 2.0* के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पर्याप्त धनराशि का प्रावधान भी किया गया है।

---

[10] **चर्चा में भाग लेने वाले अन्य सदस्य:** सर्वश्री शंकर लालवानी, डी.एम. कथीर आनन्द, श्रीरंग आप्पा बारणे, सुनील कुमार, अनुभव मोहंती, रामशिरोमणि वर्मा, गौरव गोगोई, गणेश सिंह, विनायक भाऊराव राऊत, सय्यद ईमत्याज जलील, गुरजीत सिंह औजला, निहाल चन्द चौहान, एडवोकेट ए.एम. आरिफ़, डॉ. सत्यपाल सिंह, श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ, श्रीमती प्रतिमा मण्डल, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी।

सरकार ने *'नमामि गंगे'* परियोजना के अंतर्गत एक व्यापक योजना तैयार की है। जल संसाधन मंत्रालय उस विषय पर काम कर रहा है। इस पूरे विधेयक में उद्योगों को जल प्रदूषण के बंधन से मुक्त करने का एक आसान रास्ता दिया गया है।

विधेयक पारित हुआ।

ग. प्रश्नकाल

सत्रहवीं लोकसभा का पंद्रहवां सत्र 31 जनवरी 2024 को आरम्भ हुआ और 10 फरवरी 2024 को *अनिश्चित काल के लिए स्थगित* कर दिया गया।

सदस्यों द्वारा सभा पटल पर रखे गए तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं की वास्तविक संख्या 5907 (तारांकित 2486 + अतारांकित 3421) थी। यद्यपि, दो या अधिक मंत्रालयों से सम्बद्ध प्रश्नों को अलग-अलग करने पर तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की कुल सूचनाओं की संख्या बढ़कर 5934 हो गयी। सदस्यों से कोई भी अल्पकालीन प्रश्नों की सूचना (एसएनक्यू) प्राप्त नहीं हुई। किसी एक दिन बैलट के लिए सम्मिलित किए गए प्रश्नों की न्यूनतम सूचनाओं की संख्या 7 फरवरी, 2024 को हुई बैठक में 919 (तारांकित 381 + अतारांकित 538) थी और किसी एक दिन बैलट के लिए सम्मिलित किए गए प्रश्नों की अधिकतम सूचनाओं की संख्या 8 फरवरी, 2024 को हुई बैठक में 1042 (तारांकित 439 + अतारांकित 603) थी। बैलट के लिए शामिल किए गए अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 फरवरी, 2024 और 9 फरवरी, 2024 को क्रमशः 212 और 245 थी।

सूचनाओं की ग्राह्यता की जांच लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, अध्यक्ष के निदेशों, संसदीय परंपराओं और पूर्वोदाहरणों के आलोक में की गई। प्राप्त तारांकित और अतारांकित की 5934 सूचनाओं (अलग-अलग किये गये प्रश्नों सहित) में से 120 प्रश्न तारांकित प्रश्नों की सूचियों में और 1379* प्रश्न अतारांकित प्रश्नों की सूचियों में शामिल किए गए थे। सत्र के दौरान कोई अल्प सूचना प्रश्न की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

गृहीत प्रश्नों की सूचनाओं का मंत्रालय-वार अलग-अलग ब्यौरा दर्शाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिकतम प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) अर्थात् 185 प्रश्नों का उत्तर दिया गया, इसके पश्चात् महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 87 प्रश्नों (तारांकित और अतारांकित) का उत्तर दिया गया।

तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूची में 294 सदस्यों के नाम सम्मिलित किए गए। गृहीत/जोड़े गए प्रश्नों की अधिकतम संख्या 22 थी जो संसद सदस्य श्री भोला सिंह के थे।

प्रश्नों की सूचियों में सम्मिलित न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः 2 फरवरी 2024 को 211 और 8 फरवरी, 2024 को 244 थी। सत्र के दौरान आधे घंटे की चर्चा के लिए कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। लोक सभा में पूर्व में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में संशोधन के लिए मंत्रियों द्वारा दो (2) वक्तव्य प्राप्त हुए।

सत्र के दौरान कुल 39 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया/लिया गया। प्रति बैठक औसतन 7 तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए गए। एक मंत्री द्वारा एक दिन में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्नों की न्यूनतम संख्या 05 फरवरी 2024 को 05 (पांच) थी और एक मंत्री द्वारा एक दिन में मौखिक रूप से उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 7 फरवरी 2024 को 08 (आठ) थी। सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्नों की सूचियों में सम्मिलित प्रश्नों की औसत संख्या प्रतिदिन 230 थी।

सत्र के दौरान अतारांकित प्रश्नों की सूचियों में सम्मिलित प्रश्नों की औसत संख्या प्रतिदिन 230 थी। 1462 प्रश्नों (सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिए जाने के कारण हटाए गए एक प्रश्न के अतिरिक्त 83 तारांकित और 1379 अतारांकित प्रश्न) के लिखित उत्तर के विवरण सभा पटल पर रखे गए।

---

* सदस्य द्वारा प्रश्न वापस लिए जाने के कारण हटाए गए एक प्रश्न के अतिरिक्त।

घ. निधन संबंधी उल्लेख

सत्र के दौरान लोक सभा के 4 पूर्व सदस्यों, सर्वश्री भद्रेश्वर तांती, सोनावणे प्रताप नारायणराव, हरमोहन धवन, श्रीमती रुबाब सईदा और नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम डॉ. हेज जिंगोब के निधन के बारे में उल्लेख किया गया।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

ङ. सत्रहवीं लोक सभा के दौरान पहली बार घटित घटनाएं

15वें सत्र में, जो 17वीं लोक सभा का अंतिम सत्र था, नए संसद भवन के लोक सभा कक्ष में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त दस अन्य भारतीय भाषाओं नामत: असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में निरंतर भाषांतरण सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया गया। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 10 फरवरी 2024 को अपने समापन भाषण में इसका उल्लेख किया।

राज्य सभा

दो सौ तिरसठवां सत्र*

राज्य सभा के 263वें सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विवरण निम्नवत है:

राज्य सभा का दो सौ तिरसठवाँ सत्र 31 जनवरी 2024 को भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लोक सभा कक्ष में पहली बार संसद के नए भवन में एकत्रित होने के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समापन के आधे घंटे बाद दोपहर 12:55 बजे सदन की बैठक हुई और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई। सदन की कार्यवाही निर्धारित समय से एक दिन आगे यानी 10 फरवरी 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।

263वें सत्र के दौरान, राज्य सभा में कुल नौ बैठकें हुईं और सदन ने 56 घंटे और 49 मिनट तक बैठक की। सदन को निर्धारित समय से 20 घंटे और 24 मिनट अधिक समय मिला, क्योंकि सदन ने देर तक बैठकर और अपराह्न भोज छोड़कर, सदन के समक्ष प्रस्तुत विधायी और अन्य कार्य पूरे किए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 2 फरवरी 2024 को सुश्री कविता पाटीदार द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा श्री विवेक ठाकुर द्वारा इसका समर्थन किया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 2, 5, 6 और 7 फरवरी 2024 को चार दिनों तक चर्चा हुई, जिसमें लगभग 14 घंटे और 57 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 54 संसद सदस्यों ने भाग लिया। 7 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री के उत्तर के साथ चर्चा समाप्त हुई। स्वीकृत किए गए कुल 102 संशोधनों में से 80 संशोधन 14 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए। प्रस्तुत किए गए सभी संशोधनों को या तो अस्वीकार कर दिया गया या वापस ले लिया गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 7 फरवरी 2024 को अंगीकार किया गया।

नियम 17 का निलंबन

6 फरवरी 2024 को, श्री प्रह्लाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री द्वारा निम्नलिखित सरकारी विधेयकों पर विचार करने और उन्हें पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने वाले राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 17 के प्रावधानों को निलंबित करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को अंगीकार किया गया:

(i) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024;

(ii) संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024; और

(iii) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 सदन द्वारा पारित किया गया।

अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25

1 फरवरी 2024 को, लोक सभा में वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के समापन के आधे घंटे बाद अपराह्न 12:30 बजे सदन की बैठक समवेत हुई। मंत्री महोदया ने वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के तहत मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह रणनीति विवरण और वृहत-आर्थिक रुपरेखण संबंधी विवरण सदन के पटल पर रखा। अंतरिम बजट (2024-25) पर चर्चा 7 फरवरी 2024 को संपन्न हुई और 4 घंटे 1 मिनट तक चली। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी 2024 को विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024; विनियोग विधेयक, 2024; जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2024; जम्मू और कश्मीर विनियोग

---

* राज्य सभा सचिवालय के सभा पटल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये।

विधेयक, 2024 और वित्त विधेयक, 2024 पर संयुक्त चर्चा का उत्तर दिया। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 चर्चा में 31 सदस्यों ने भाग लिया।

नव मनोनीत/निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ

एक नव मनोनीत सदस्य, श्री सतनाम सिंह संधू, तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से दो निर्वाचित सदस्य, श्री नारायण दास गुप्ता और सुश्री स्वाति मालीवाल ने 31 जनवरी 2024 को शपथ ली तथा सदन में अपना स्थान ग्रहण किया।

अल्पावधि चर्चाएँ

10 फरवरी 2024 को श्री सुशील कुमार मोदी ने "भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र और देश के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव" पर चर्चा की, जिसे 8 फरवरी 2024 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया। चर्चा में कुल 21 सदस्यों ने भाग लिया और चर्चा 3 घंटे 44 मिनट तक चली। चर्चा का समापन वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण के उत्तर के साथ संपन्न हुआ।

इसके अतिरिक्त, उसी दिन अर्थात 10 फरवरी 2024 को डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने *"श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा"* पर एक और चर्चा की। 2 घंटे 46 मिनट तक चली चर्चा में 15 सदस्यों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण घटनाक्रम/निर्णय –अध्यक्ष-पीठ की टिप्पणियां

2 फरवरी 2024 को विपक्ष के नेता द्वारा उठाए गए एक मुद्दे पर, कि सदन के नेता द्वारा दूसरे सदन के सदस्य का उल्लेख करना नियमों के विरुद्ध है, राज्य सभा के सभापति ने निर्णय दिया कि कोई भी मुद्दा या व्यक्ति राज्य सभा में चर्चा के दायरे से बाहर नहीं हो सकता है और यह विशेष रूप से सदन और सभापति द्वारा विनियमन के अधीन है।

2 फरवरी 2024 को श्री दिग्विजय सिंह द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर, जिसमें प्रस्तावक और समर्थक को बोलने की अनुमति देने से पहले संशोधन प्रस्तुत करने के क्रम के बारे में बताया गया था, सभापति ने व्यवस्था दी कि प्रथा के अनुसार, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने और किसी अन्य सदस्य द्वारा समर्थन किए जाने के बाद, संशोधन प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों को अपने संशोधन को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद प्रस्तावक और समर्थक को बोलने की अनुमति दी जाती है। इस संबंध में, सभापति ने कहा कि यह प्रथा राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 242 द्वारा विनियमित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भाषणों के क्रम के बारे में भी बताया गया है। तदनुसार, प्रस्ताव के प्रस्तावक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के तुरंत बाद उस पर बोलने का अधिकार है और इसी तरह, प्रस्ताव का समर्थन करने वाले को भी प्रस्ताव का समर्थन करने के बाद बोलना होगा। उसके बाद, प्रस्ताव सदन की संपत्ति बन जाता है और अन्य सदस्यों द्वारा उसमें संशोधन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसलिए, यह वह चरण है जब संशोधन प्रस्ताव लाने वाले सदस्यों को अपने संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। सभापति ने कहा कि इसलिए सदन द्वारा अपनाए गए क्रम को उचित माना जाता है।

"श्री राम मंदिर के ऐतिहासिक निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा" पर अल्पावधि चर्चा के समापन पर, सभापति ने टिप्पणी कि "प्राचीन पवित्र शहर अयोध्या में उनके जन्मस्थान पर भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण राष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जनभावना का प्रतीक बन गया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को आशा, एकता और सामूहिकता के मूल्यों का संदेश देगी और हमारे देश की विविधता में एकता की भावना को मजबूत करेगी"।

सूचीबद्ध कार्यों को निपटने में भोजनवाकाश/शून्यकाल/प्रश्नकाल का उपयोग :

जैसा कि 1 फरवरी 2024 को आयोजित अपनी बैठक में कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सिफारिश की गई थी, सूचीबद्ध कार्यों को निपटाने के लिए 2 से 10 फरवरी 2024 तक की सभी बैठकों में भोजन का समय छोड़ दिया गया था।

68 सेवानिवृत्त सदस्यों को विदाई देने के लिए 8 फरवरी 2024 को शून्यकाल और प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया गया। तदनुसार, दिन की प्रश्न सूची में सूचीबद्ध तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर को सभा पटल पर रखा हुआ मान लिया गया।

सरकारी विधायी कार्य

सत्र के दौरान निम्नलिखित सरकारी विधेयक प्रस्तुत/पारित/वापस किये गये, नामतः

पुरःस्थापित : (एक) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024; (दो) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024; और (तीन) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

पारित: (एक) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024; (दो) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024; (तीन) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024; (चार) जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024; (पांच) संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024; (छह) संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024; और (सात) लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024।

वापस लिए गये : (एक) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024; (दो) विनियोग विधेयक, 2024; (तीन) जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024; (चार) जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024; और (पांच) वित्त विधेयक, 2024

गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य

सत्र के दौरान एक दिन, अर्थात 2 फरवरी 2024 को गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य आयोजित किया गया, उस दिन 22 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पेश किए गए। 9 फरवरी 2024 के लिए सूचीबद्ध गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को सरकारी विधायी कार्य को पूरा करने के लिए समाप्त कर दिया गया।

राज्य सभा के सदस्य डॉ. वी. शिवदासन द्वारा पुर:स्थापित संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 153 का संशोधन और अनुच्छेद 155 और 156 का प्रतिस्थापन), जिस पर 9 दिसंबर 2022 को विचार और चर्चा की गई थी, पर 2 फरवरी 2024 को आगे की चर्चा की गई। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय कुमार के हस्तक्षेप के बाद डॉ. वी. शिवदासन ने चर्चा का उत्तर दिया और सदन की अनुमति से विधेयक वापस ले लिया गया। इसके अलावा, साल के पत्तों के संग्राहकों और व्यापारियों का कल्याण विधेयक, 2021 पर विचार किया गया और चर्चा की गई। जनजातीय कार्य मंत्री तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा के हस्तक्षेप के बाद डॉ. सस्मित पात्रा ने चर्चा का उत्तर दिया और विधेयक सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया।

सांख्यिकीय सूचना

सत्र के दौरान 90 तारांकित प्रश्नों और 960 अतारांकित प्रश्नों को गृहीत किया गया और उनके उत्तर दिए गये/सदन के पटल पर रखे गए। इनमें से 29 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रो. एस.पी.एस. बघेल द्वारा 19 दिसंबर 2023 को राज्य सभा में 'कोविड-19 मरीजों पर भारत-इजरायल संयुक्त परीक्षण' के संबंध में दिए गए अतारांकित प्रश्न 1869 के उत्तर को सही करते हुए भी सत्र के दौरान सदन पटल पर रखा गया।

सत्र के दौरान सार्वजनिक महत्व के मामलों पर 56 विशेष उल्लेख किये गये/सभा पटल पर रखे गये। इसके अतिरिक्त, सभापति की अनुमति से 67 मामले (शून्य काल के निवेदन) भी उठाए गए थे।

पीठासीन अधिकारियों और महासचिव के बीच, तथा महासचिव और सदन के पटल पर बैठे अधिकारियों के बीच कागज रहित संचार के लिए संदेश भेजने/प्राप्त करने के लिए ई-स्लिप नामक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्रियान्वित किया गया, ताकि सदन में कागज की पर्चियों के आवागमन की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके।

सदस्य के निलंबन की समाप्ति

राज्य सभा के सभापति ने 31 जनवरी 2024 को सदन में घोषणा की कि विशेषाधिकार समिति के 76वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के आधार पर और 30 जनवरी, 2024 को सभापति को प्रस्तुत किए जाने के आधार पर, सभापति ने सदन के नेता और विपक्ष के नेता के परामर्श से और नियम 202 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 266 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सभा में 30 जनवरी 2024 से ग्यारह सदस्यों के निलंबन को रद्द कर दिया ताकि वे 31 जनवरी 2024 को संसद के दोनों सदनों में भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण में भाग ले सकें।

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को विदाई

सदन ने सिक्किम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, झारखंड और केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के 68 सदस्यों को चार मनोनीत सदस्यों सहित विदाई दी, जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई और जुलाई, 2024 माह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री और उपसभापति ने सभापति द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमति जताई। इस अवसर पर विभिन्न दलों के नेताओं और सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। कुछ सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों ने सभापति और अन्य लोगों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा कपड़ा मंत्री तथा सदन के नेता श्री पीयूष गोयल ने भी सभापति एवं अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमति जताई।

अभिनंदन

9 फरवरी 2024 को, अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चरण सिंह, प्रख्यात वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉ. एम.एस.स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी।

निधन संबंधी उल्लेख

सत्र के दौरान, सभापति ने तीन पूर्व संसद सदस्यों और नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. हेग जी गेंगोब के निधन का उल्लेख किया। प्रत्येक अवसर पर सदन ने दिवंगत सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी सदस्यों के साथ मौन रखा।

सत्र का समापन

31 जनवरी 2024 को शुरू हुआ 263वां (बजट) सत्र 10 फरवरी 2024 को *अनिश्चित काल के लिए स्थगित* कर दिया गया। 15 फरवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का सत्रावसान कर दिया गया।

सत्रीय समीक्षा

राज्य विधानमंडल

असम विधान सभा [1]

पंद्रहवीं असम विधान सभा का दसवां सत्र 5 फरवरी 2024 को शुरू हुआ और 26 मार्च 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल 12 बैठकें संपन्न हुईं।

विधायी कार्य: सत्र के दौरान, निम्नलिखित सत्रह विधेयक पुरःस्थापित किए गए, उन पर विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया: (i) द असम एप्रोप्रिएशन (नं. I) बिल, 2024; (ii) द असम एप्रोप्रिएशन (नं. II) बिल, 2024; (iii) द असम पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (मीजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट) बिल, 2024; (iv) असम टूरिज़्म (डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन) बिल, 2024; (v) द स्वाहिद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी बिल, 2024; (vi) द कोकराझार यूनिवर्सिटी बिल, 2024; (vii) असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड बिल, 2024; (viii) द सोनवाल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (ix) द तिवा ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (x) द देओरी ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (xi) द थेंगल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (xii) द राभा हसोंग ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (xiii) द मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (xiv) द असम हीलिंग (प्रिवेंशन ऑफ़ ईविल) प्रैक्टिसेस बिल, 2024; (xv) द असम विलेज डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (xvi) द असम म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2024; (xvii) राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विज़िशन, रीहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट (असम अमेंडमेंट) बिल, 2024।

दिल्ली विधान सभा [2]

सातवीं दिल्ली विधान सभा का पांचवां सत्र 15 फरवरी 2024 को शुरू हुआ और 8 अप्रैल 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल मिलाकर 21 बैठकें संपन्न हुईं।

उपराज्यपाल का अभिभाषण: वर्ष का पहला सत्र होने के कारण, उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना ने 15 फरवरी 2024 को सदन के सदस्यों को संबोधित किया। अभिभाषण के लिए राज्यपाल को धन्यवाद प्रस्ताव विधान सभा के सदस्य श्री गोपाल राय द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा में सत्रह सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने चर्चा का उत्तर दिया। प्रस्ताव पर मतदान हुआ और 26 फरवरी 2024 को ध्वनिमत से पारित हुआ।

विधायी कार्य: सत्र के दौरान, निम्नलिखित दो विधेयक पुरःस्थापित किए गए, उन पर विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया। (i) द दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नं.1) बिल, 2024; और (ii) द दिल्ली एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल 2024।

वित्तीय कार्य: सत्र के दौरान, वित्त मंत्री, श्रीमती आतिशी ने वर्ष 2023-24 (अंतिम बैच) और 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कीं। अनुपूरक मांगों पर विचार किया गया और उन्हें ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

वित्त मंत्री ने वर्ष 2024-25 का बजट भी प्रस्तुत किया। चर्चा में 18 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। बजट 9 मार्च 2024 को पारित किया गया।

निधन संबंधी उल्लेख: सत्र के दौरान, दिल्ली विधान सभा अध्यक्ष के सचिव श्री अजय रावल, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए तीन सीआरपीएफ जवानों, संत आचार्य विद्यासागर, प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ

---

[1] असम विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री।

[2] दिल्ली विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री।

और प्रख्यात विधिवेत्ता श्री फली एस. नरीमन, पंजाब-हरियाणा सीमा पर खनौरी में किसान आंदोलन के दौरान दिवंगत हुए किसान श्री शुभकरण सिंह, प्रतिष्ठित रेडियो उद्घोषक और कार्यक्रम प्रस्तोता श्री अमीन सयानी और प्रख्यात गजल गायक श्री पंकज उधास के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मणिपुर विधान सभा[3]

बारहवीं मणिपुर विधान सभा का पांचवां सत्र 28 फरवरी 2024 को शुरू हुआ और 5 मार्च 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल पांच बैठकें संपन्न हुईं।

विधायी कार्य : सत्र के दौरान निम्नलिखित आठ विधेयक पुरःस्थापित किए गए, उन पर विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया: (i) द मणिपुर एप्रोप्रिएशन (नं. 1) बिल, 2024; (ii) द मणिपुर एप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 2024; (iii) द मणिपुर लेबर लॉज (एग्जम्प्शन फ्रॉम रिन्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस बाय एस्टैब्लिशमेंट्स) बिल, 2024; (iv) द मणिपुर नेम्स ऑफ प्लेसेस बिल, 2024; (v) द मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024; (vi) द मणिपुर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024; (vii) द मणिपुर प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसेस इन हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन्स बिल, 2024; (viii) द मणिपुर म्यूनिसिपलिटीज़ (इलेवेंथ अमेंडमेंट) बिल, 2024।

निधन संबंधी उल्लेख: सत्र के दौरान मणिपुर के पूर्व राज्यपाल श्री पी.बी. आचार्य; सर्वश्री चुंगखोकाई डोंगेल, मीनम नीलचंद्र सिंह, आर.के. थेखो, आर.वी. मिंगथिंग, कोनसम तोम्बा सिंह, कोंथौजम शरत सिंह, तोंगब्रम मंगीबाबू सिंह, निंगथौजम बिहारी सिंह, सलाम गोपाल, दाईसिन पामेई, जो सभी मणिपुर विधान सभा के पूर्व सदस्य थे; तथा निंगथौजम हेरा सिंह, मणिपुर विधान सभा के पूर्व सचिव के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

नागालैंड विधान सभा[4]

चौदहवीं नागालैंड विधान सभा का चौथा सत्र 26 फरवरी 2024 को शुरू हुआ और 1 मार्च 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कुल 4 बैठकें हुईं।

राज्यपाल का अभिभाषण: वर्ष का पहला सत्र होने के कारण, राज्यपाल श्री ला गणेशन ने 26 फरवरी 2024 को सदन के सदस्यों को संबोधित किया। अभिभाषण के लिए राज्यपाल को धन्यवाद प्रस्ताव श्री मोतोशी लोंगकुमेर द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा श्री सेथ्रोंगक्यू द्वारा समर्थन किया गया, दोनों विधान सभा के सदस्य हैं। चर्चा में ग्यारह सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो ने चर्चा का उत्तर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव सदन द्वारा अंगीकार किया गया।

उपाध्यक्ष का चुनाव: 26 फरवरी 2024 को श्री एस. तोइहो येप्थो को नागालैंड विधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।

विधायी कार्य : सत्र के दौरान निम्नलिखित चार विधेयक पुरःस्थापित किए गए, उन पर विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया। (i) द नागालैंड सैलरीज़, अलाउंसेज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ ऑफ़ द चीफ़ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी चीफ़ मिनिस्टर/मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन, डिप्टी स्पीकर एंड अदर मेंबर्स ऑफ़ द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पेंशन फॉर एक्स-मेंबर्स (सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024; (ii) द नागालैंड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (एट्थ अमेंडमेंट) बिल, 2023; (iii) द नागालैंड एप्रोप्रिएशन (नं 1) बिल, 2024; और (iv) द नागालैंड एप्रोप्रिएशन (नं 2) बिल, 2024। वित्तीय कार्य :सत्र के दौरान, मुख्यमंत्री, श्री नेफ्यू रियो, जिनके पास वित्त विभाग भी है, ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत कीं। अनुपूरक मांगों पर विचार किया गया और उन्हें ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

---

[3] मणिपुर विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री।

[4] नागालैंड विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री।.

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया। सात सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब दिया।

निधन संबंधी उल्लेख: सत्र के दौरान, नागालैंड के पूर्व राज्यपाल श्री पी.बी. आचार्य, लोक सभाके पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर गजानन जोशी, तथा नागालैंड विधान सभा के पूर्व सदस्यों सर्वश्री होखेतो सेमा, एस.के. संगतम और एल. खुमो के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

पुडुचेरी विधान सभा[5]

पंद्रहवीं पुडुचेरी विधान सभा के चौथे सत्र का तीसरा भाग 22 फरवरी 2024 को प्रारम्भ हुआ और उसी दिन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

विधायी कार्य: सत्र के दौरान निम्नलिखित चार विधेयक प्रस्तुत किए गए, उन पर विचार किया गया और उन्हें पारित किया गया: (i) द एप्रोप्रिएशन बिल, 2024; (ii) द एप्रोप्रिएशन (वोट ऑन अकाउंट) बिल, 2024; (iii) द पुदुचेरी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एग्जेम्प्शन फ्रॉम अप्रूवल्स टू कमेंस बिज़नेस) बिल, 2024; और (iv) द पुदुचेरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2024।

निधन संबंधी उल्लेख: सत्र के दौरान, पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के पूर्व मंत्री थिरु पी. कन्नन; श्री एम.एस. स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक; श्री बंगारू आदिगलर, आध्यात्मिक नेता और परोपकारी; श्री एन. शंकरैया, राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता; श्रीमती फातिमा बीवी, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल; और देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम (डीएमडीके) के संस्थापक श्री विजयकांत के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

[5] पुडुचेरी विधान सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री।

संसदीय रुचि का नवीनतम साहित्य

एक. पुस्तकें

इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, *मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया* (नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट), 2023।

अकबर, एम.जे., *गांधी: ए लाइफ इन थ्री कैंपेन्स* (नई दिल्ली: ब्लूम्सबरी), 2023।

एलेन डैनिएल, *जस्टिस बाय मीन्स ऑफ डेमोक्रेसी* (शिकागो: यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस), 2023।

अनंत, वी. कृष्णा, *द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल रिवॉल्यूशन: राइट टू प्रॉपर्टी सिंस इंडिपेंडेंस* (नई दिल्ली: अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स), 2024।

अराफात होसेन खान, *द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश: पीपुल, पॉलिटिक्स एंड जुडिशियल इंटरवेंशन* (लंदन: रूटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप), 2024।

अश्वनी कुमार, *ए डेमोक्रेसी इन रिट्रीट: रिविजिटिंग द एंड्स ऑफ पावर* (नई दिल्ली: हर-आनंद पब्लिकेशन्स), 2023।

बागची, तिलक, संपादक, *गांधी, ट्राइब्स एंड रूरल डेवलपमेंट* (जयपुर: रावत पब्लिकेशन्स), 2023।

बेंजामिन, जोसेफ, *ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड चैलेंजेस* (दिल्ली: ज्ञान पब्लिकेशन हाउस), 2023।

भारद्वाज, आर.सी., *कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन इंडिया* (नई दिल्ली: लोक सभा सचिवालय), 1995।

चक्रवर्ती, बिद्युत, *इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम: इंस्टिट्यूशंस एंड प्रोसेसेस* (लंदन: रूटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप), 2024।

चक्रवर्ती, बिद्युत, *मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट: टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट* (लंदन: रूटलेज टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप), 2024।

दाश, सरिता, *कल्चरल डायमेंशन्स ऑफ इंडिया'स लुक-ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी: ए स्टडी ऑफ साउथईस्ट एशिया* (सिंगापुर: पालग्रेव मैकमिलन), 2023।

देवेंद्र सिंह, *द इंडियन पार्लियामेंट: बियोंड द सील एंड सिग्नेचर ऑफ डेमोक्रेसी* (गुड़गांव: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग), 2016।

गुरुमूर्ति, एस., *इंडिया एंड द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर: इमर्जिंग पैराडाइम शिफ्ट इन द ग्लोबल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर* (उत्तर प्रदेश: ब्लूवन इंक एलएलपी), 2023।

झा, गौतम कुमार, संपादक, *इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया: ए लेगेसी ऑफ कल्चरल इन्फ्लूएंसेस* (नई दिल्ली: पाठक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स), 2023।

काटजू, मंजरी, *इलेक्ट्रोरल प्रैक्टिसेस एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया: पॉलिटिक्स, इंस्टिट्यूशन्स एंड डेमोक्रेसी* (कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस), 2023।

केड, हिल, *फ्रेंड्स ऑफ इज़राइल: द बैकलैश अगेंस्ट पैलेस्टाइन सॉलिडैरिटी* (लंदन: वर्सो), 2023।

मल्होत्रा, जी.सी., *एंटी-डेफेक्शन लॉ इन इंडिया एंड द कॉमनवेल्थ* (नई दिल्ली: लोक सभा सचिवालय), 2005।

मैथ्यू, सी.के., *रिव्यूइंग द रिपब्लिक: रिफ्लेक्शन्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया* (बेंगलुरु: अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी), 2023।

क़मर, मुद्धसिर, टर्किये'स फॉरेन पॉलिसी अंडर द एकेपी: इम्प्लीकेशन्स एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया (नई दिल्ली: पेंटागन प्रेस एलएलपी), 2024।

रैवन्डल, एलेन जे., *इन द बिगिनिंग: सेक्रेटरी-जनरल ट्रिग्वे ली एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन* (ब्रिस्टल: ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी प्रेस), 2023।

रज़ेक, सफूरा, *मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सर्च ऑफ गॉड एंड द नेशन* (कोलकाता: प्रोग्रेसिव पब्लिशर्स), 2018।

रॉय, इंद्रजीत, संपादक, *पैशनेट पॉलिटिक्स: डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड इंडिया'स 2019 जनरल इलेक्शन* (मैनचेस्टर: मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस), 2023।

सेठी, राजेंद्र, द *अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ़ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया* (चंडीगढ़: सप्तऋषि पब्लिकेशन), 2023।

शिवशंकर, राहुल, *मोदी एंड इंडिया: 2024 एंड द बैटल फॉर भारत* (गुरुग्राम: विंटेज), 2023।

सूर्यवंशी, आदित्य, द *सीड्स ऑफ रेवोल्यूशन: आद्यक्रांति* (नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट), 2023।

तान, नेटिना, संपादक, *इलेक्ट्रोरल मल्प्रैक्टिस इन एशिया: बाइंडिंग द रूल्स* (कोलोराडो: लिन रीनर पब्लिशर), 2023।

थपलियाल, संगीता, संपादक, *इंडिया, चाइना एंड द स्ट्रेटेजिक हिमालयाज* (नई दिल्ली: केडब्ल्यू पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड), 2023।

विजय कुमार, द *थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर: सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी* (नई दिल्ली: आकार), 2023।

दो. लेख

भट्टाचार्य, स्निग्धेंदु, "इलेक्टोरल बॉन्ड्स, शेकन एंड स्टिर्रड", *आउटलुक*, वॉल्यूम 64, नं. 7, 1 मार्च 2024, पृ. 54-55।

चौधरी, चंद्रहास, "यंग एंड रेस्टलेस..विद द पावर टू वोट", द *वीक*, वॉल्यूम 42, नं. 13, 28-31 मार्च 2024, पृ. 34-50।

डेका, कौशिक, "हाउ टू क्लीन इट अप", *इंडिया टुडे*, वॉल्यूम 49, नं. 10, 4 मार्च 2024, पृ. 24-35।

गनाई, नसीर, "लद्दाख बैटल्स फॉर आइडेंटिटी", *आउटलुक*, वॉल्यूम 64, नं. 7, 1 मार्च 2024, पृ. 20-22।

करिंदलम, अनिरुद्ध, "'यू एंड आई' ऑन ए हाई", द *वीक*, वॉल्यूम 42, नं. 8, 19-25 फरवरी 2024, पृ. 32-33।

मंडल, आनंद, "केस फॉर एन इन-हाउस चेयरपर्सन ऑफ द राज्य सभा", *इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, वॉल्यूम 49, नं. 10, 9 मार्च 2024, पृ. 10-13।

मिश्रा, सोनी, "बॉन्ड्स गॉन, बाइंड स्टेज़", द *वीक*, वॉल्यूम 42, नं. 9, 3 मार्च 2024, पृ. 24-25।

मित्रा, सुभासिस, "नो एंट्री", *फोर्स (नोएडा)*, वॉल्यूम 21, नं. 7, मार्च 2024, पृ. 60-61।

नरीमन, फाली एस., "कोर्ट इन द एक्ट", द *वीक*, वॉल्यूम 42, नं. 9, 3 मार्च 2024, पृ. 20-22।

शर्मा, प्रतुल, "फाइव ईयर प्लान", द *वीक*, वॉल्यूम 42, नं. 13, 28-31 मार्च 2024, पृ. 52-54।

सुधीर, संजय, "टाइज़ दैट बाइंड", द *वीक*, वॉल्यूम 42, नं. 8, 19-25 फरवरी 2024, पृ. 36-37।

परिशिष्ट एक

सत्रहवीं लोक सभा के पंद्रहवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों का विवरण

1.	सत्र की अवधि	31.01.2024 से 10.02.2024
2.	सत्र के दौरान हुई बैठकों की संख्या	9
3.	बैठकों में लगा कुल समय	63 घंटे 30 मिनट
4.	व्यवधान/स्थगन के कारण समय की हानि	शून्य
5.	सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करने के लिए सभा की देर तक हुई बैठकों की अवधि	20 घंटे व 27 मिनट
6.	सरकारी विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	05
(ii)	पुरःस्थापित	07
(iii)	राज्य सभा द्वारा यथापारित सभा-पटल पर रखे गए	03
(iv)	राज्य सभा द्वारा किसी संशोधन/सिफारिश के साथ लौटाए गए तथा सभा पटल पर रखे गए	शून्य
(v)	जिन पर चर्चा हुई	12
(vi)	पारित	12
(vii)	वापस लिए गए	शून्य
(viii)	अस्वीकृत हुए	शून्य
(ix)	जिन पर आंशिक चर्चा हुई	शून्य
(x)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी सिफारिश के लौटाए गए	05
(xi)	सत्र के अंत में लंबित	03
7.	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित	673
(ii)	पुरःस्थापित	शून्य

(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
(iv)	पारित	शून्य
(v)	वापस लिए गए	शून्य
(vi)	अस्वीकृत	शून्य
(vii)	लंबित विधेयकों की पंजिका से हटाए गए	-
(viii)	जिन पर आंशिक चर्चा हुई	01*
(ix)	सत्र के अंत में लंबित	673
8.	नियम 184 के अंतर्गत की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	शून्य
9.	नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों की संख्या	126
10.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की संख्या	133
11.	नियम 193 के अंतर्गत की गई चर्चाओं की संख्या	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	02
(ii)	गृहीत	01
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	01
(iv)	जिन पर आंशिक चर्चा हुई	01
12.	नियम 197 के अंतर्गत दिए गए वक्तव्यों की संख्या	शून्य
13.	मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्य	15
14.	स्थगन प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य

* 10वें सत्र के अंत में

(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	शून्य
(iii)	गृहीत	शून्य
15.	ध्यानाकर्षण के माध्यम से उठाए गए मामलों की संख्या	शून्य
16.	सरकारी संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तुत	शून्य
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	जिन पर आंशिक चर्चा हुई	शून्य
17.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	03
(ii)	गृहीत	03
(iii)	जिन पर चर्चा हुई	-
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	जिन पर आंशिक चर्चा हुई	01*
18.	सरकार के प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	01
(ii)	गृहीत	01
(iii)	प्रस्तुत और जिन पर चर्चा हुई	01
(iv)	स्वीकृत	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य

* 11वें सत्र के अंत में

(vi)	वापस लिए गए	शून्य
(vii)	जिन पर आंशिक चर्चा हुई	शून्य
19.	विशेषाधिकार प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	सभा के समक्ष लाए गए	शून्य
(iii)	माननीय अध्यक्ष की सहमति प्राप्त नहीं	शून्य
(iv)	माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी	शून्य
20.	सत्र के दौरान आगंतुकों को जारी किए गए पास की कुल संख्या	396
21.	सत्र के दौरान संसदीय संग्रहालय में आगंतुकों की कुल संख्या	--
22.	गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या	
(i)	तारांकित	120
(ii)	अतारांकित	1379*
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न	शून्य
(iv)	आधे घंटे की चर्चा	शून्य

23. **संसदीय समितियों का कार्यकरण**

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	1	1
(ii)	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	-	1
(iii)	महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	-	-
(iv)	प्राक्कलन समिति	5	6
(v)	आचार समिति	शून्य	शून्य
(vi)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	3	4

* कुल 1380 प्रश्नों में से एक प्रश्न सदस्य द्वारा प्रश्न वापस ले लेने के कारण हटा दिया गया।

(vii)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीलैडस)	-	-
(viii)	सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	1	8
(ix)	याचिका समिति	1	5
(x)	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	-	-
(xi)	विशेषाधिकार समिति	2	1
(xii)	लोक लेखा समिति	10	56
(xiii)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	9	1
(xiv)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	-	-
(xv)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	2	2
(xvi)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	-	-
(xvii)	आवास समिति	-	-
(xviii)	ग्रंथालय समिति	1	-
(xix)	रेल अभिसमय समिति	-	-
(xx)	नियम समिति	-	-
(xxi)	अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति	1	4

संयुक्त/प्रवर समिति

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	शून्य	शून्य
(ii)	संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति	-	-

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रस्तुत प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति	1	4
(ii)	रसायन और उर्वरक संबंधी समिति	1	3
(iii)	कोयला, खनन और इस्पात संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(iv)	रक्षा संबंधी समिति	1	1
(v)	ऊर्जा संबंधी समिति	4	शून्य
(vi)	विदेशी मामलों संबंधी समिति	3	3
(vii)	वित्त संबंधी समिति	2	3
(viii)	खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति	1	2
(ix)	संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति	2	4
(x)	श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी समिति	3	6
(xi)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति	2	1
(xii)	रेल संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(xiii)	ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति	1	1
(xiv)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति	1	शून्य
(xv)	आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति	1	1
(xvi)	जल संसाधन संबंधी समिति	1	1

परिशिष्ट दो

राज्य सभा के दो सौ तिरसठवें सत्र के दौरान किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

1.	सत्र की अवधि	31.01.2024 से 10.02.2024
2.	सत्र के दौरान हुई बैठकों की संख्या	09
3.	बैठक के घंटों की कुल संख्या	56 घंटे 49 मिनट
4.	सत्र के दौरान हुए मत विभाजनों की संख्या	शून्य
5.	सरकारी विधेयक	
(i)	सत्र के आरंभ में लंबित विधेयकों की संख्या	21[1]
(ii)	पुरःस्थापित	03
(iii)	लोक सभा द्वारा यथा पारित सभा पटल पर रखे गये विधेयक	09
(iv)	लोक सभा द्वारा संशोधन के साथ लौटाये गये विधेयक	शून्य
(v)	राज्य सभा द्वारा प्रवर समिति को भेजे गये विधेयक	शून्य
(vi)	राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति को भेजे गये विधेयक	शून्य
(vii)	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को भेजे गये विधेयक	शून्य
(viii)	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(ix)	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(x)	विभागों से संबद्ध समितियों द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(xi)	विधेयक जिन पर चर्चा हुई	12
(xii)	पारित/लौटाये गये	12[2]
(xiii)	वापस लिए गए	शून्य
(xiv)	अस्वीकृत हुए	शून्य

[1] 263वां सत्र (31/01/2024 से 10/02/2024 तक)

[2] 7 विधेयक पारित किये गये और 5 लौटाये गये

(xv)	विधेयक जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई	शून्य
(xvi)	राज्य सभा द्वारा बिना किसी अनुशंसा के लौटाये गये विधेयक	05
(xvii)	विधेयक जिन पर चर्चा स्थगित की गई	शून्य
(xviii)	सत्र के अंत में लंबित विधेयक	21
6.	गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तावित विधेयक	
(i)	सत्र के प्रारंभ में लंबित विधेयक	149
(ii)	पुरःस्थापित	22
(iii)	लोक सभा द्वारा यथा पारित सभा पटल पर रखे गये विधेयक	शून्य
(iv)	लोक सभा द्वारा संशोधन के साथ लौटाये गये और सभा पटल पर रखे गये विधेयक	शून्य
(v)	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	शून्य
(vi)	विधेयक जिन पर चर्चा हुई	02
(vii)	वापस लिए गए	02
(viii)	पारित हुए	शून्य
(ix)	अस्वीकृत हुए	शून्य
(x)	मत जानने हेतु प्रसारित किये गये विधेयक	शून्य
(xi)	विधेयक जिन पर आंशिक चर्चा हुई	शून्य
(xii)	विधेयक जिन पर चर्चा स्थगित/स्थगन/विलम्बित/समाप्त हुई	शून्य
(xiii)	विधेयक को प्रचालित करने संबंधी प्रस्ताव अस्वीकृत हुए	शून्य
(xiv)	प्रवर समिति को भेजे गये विधेयक	शून्य
(xv)	विधेयक के प्रभारी सदस्य की सेवानिवृत्ति/इस्तीफा/मृत्यु के कारण व्यपगत हुए विधेयक	शून्य
(xvi)	सत्र के अंत में लंबित विधेयक	169
7.	नियम 176 के अन्तर्गत आयोजित चर्चाओं की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दें)	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	02

(ii)	गृहीत	02
(iii)	जिन पर चर्चा की गयी	02
8.	नियम 180 के अन्तर्गत दिए गए वक्तव्यों की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दों पर ध्यानाकर्षण)	
(i)	मंत्रियों द्वारा दिये गये/ पटल पर रखे गये वक्तव्य	शून्य
(ii)	आधे-घंटे की चर्चा	शून्य
9.	सांविधिक संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	01
(ii)	गृहीत	01
(iii)	प्रस्तावित	01
(iv)	पारित	01
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य
10.	सरकारी संकल्प	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तावित	शून्य
(iv)	पारित	शून्य
11.	गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प	
(i)	प्राप्त	05
(ii)	गृहीत	05
(iii)	जिन पर चर्चा की गई	शून्य
(iv)	वापस लिए गए	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	पारित	शून्य

(vii)	संकल्प जिन पर आंशिक चर्चा हुई	शून्य
(viii)	संकल्प जिन पर चर्चा स्थगित की गई	शून्य
12.	सरकारी प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त सूचनाएं	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तावित और चर्चा किये गये	शून्य
(iv)	पारित	शून्य
(v)	प्रस्ताव जिन पर आंशिक चर्चा हुई	शून्य
13.	गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तावित	शून्य
(iv)	पारित	शून्य
(v)	प्रस्ताव जिन पर आंशिक चर्चा की गई	शून्य
(vi)	अस्वीकृत	शून्य
(vii)	वापस लिए गए	शून्य
14.	सांविधिक नियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव	
(i)	प्राप्त	शून्य
(ii)	गृहीत	शून्य
(iii)	प्रस्तावित	शून्य
(iv)	पारित	शून्य
(v)	अस्वीकृत	शून्य
(vi)	वापस लिए गए	शून्य
(vii)	प्रस्ताव जिन पर आंशिक चर्चा हुई	शून्य

(viii)	व्यपगत	शून्य
15.	संसदीय समिति, यदि कोई गठित की गई, की संख्या, नाम और तिथि	शून्य
16.	आगंतुकों के लिये जारी किए गए पास की कुल संख्या	158
17.	किसी भी एक दिन में आगंतुकों के लिये जारी किए जाने वाले पास की अधिकतम संख्या और जारी किये जाने की तिथि	43 दिनांक 15.02.2024 को
18.	गृहीत प्रश्नों की कुल संख्या	
(i)	तारांकित	90
(ii)	अतारांकित	960
(iii)	अल्प सूचना प्रश्न	शून्य
19.	मंत्रालयों के कार्यकरण संबंधी चर्चा	शून्य

20.	संसदीय समितियों का कार्यकरण		
क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	कार्य मंत्रणा समिति	02	शून्य
(ii)	आचार समिति	शून्य	शून्य
(iii)	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	03	शून्य
(iv)	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (एमपीएलएडीएस)	01	शून्य
(v)	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	03	01
(vi)	याचिका समिति	01	शून्य
(vii)	विशेषाधिकार समिति	03	01
(viii)	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	02	शून्य
(ix)	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	शून्य	शून्य
(x)	आवास समिति	01	शून्य

(xi)	राज्य सभा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी समिति	01	शून्य
(xii)	नियम समिति	शून्य	शून्य

21.	विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां		
क्रम सं.	समिति का नाम	बैठकों की संख्या	प्रतिवेदनों की संख्या
(i)	वाणिज्य	01	02
(ii)	गृह कार्य	01	शून्य
(iii)	शिक्षा, महिला, बाल, युवा कार्यक्रम और खेल	01	शून्य
(iv)	उद्योग	01	शून्य
(v)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	शून्य	शून्य
(vi)	परिवहन, पर्यटन और संस्कृति	01	06
(vii)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	02	06
(viii)	कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय	02	04

22.	सदस्यों की संख्या जिन्हें सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई	शून्य
23.	प्रस्तुत याचिकाएं	शून्य

24.	शपथ लेने वाले नए सदस्यों के नाम तिथि सहित		
क्रम सं.	शपथ लेने वाले सदस्यों के नाम	राज्य	शपथ लेने की तिथि
(i)	श्री सतनाम सिंह संधू	नाम निर्देशित	31.01.02024
(ii)	श्री नारायण दास गुप्ता	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	31.01.02024
(iii)	सुश्री स्वाति मालिवाल	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	31.01.02024
(iv)	श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा	सिक्किम	12.03.2024

(v)	श्रीमती सुधा मूर्ती	नाम निर्देशित	14.03.2024
(vi)	श्री संजय सिंह	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	19.03.2024

25.	निबंध संबंधी उल्लेख	
क्रम सं.	नाम	वर्तमान सदस्य/ पूर्व सदस्य
(i)	श्री हरिशंकर भाभड़ा	पूर्व सदस्य
(ii)	श्रीमति सुश्री देवी	पूर्व सदस्य
(iii)	डॉ. हेज जी. जिंगोब	नामीबिया गणतंत्र के राष्ट्रपति
(iv)	श्रीमती वीना वर्मा	पूर्व सदस्य

263वें सत्र के दौरान राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों की सूची

क्रम सं.	विधेयक का नाम
1.	संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
2.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
3.	जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
4.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024
5.	विनियोग विधेयक, 2024
6.	जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक2) विधेयक, 2024
7.	जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024
8.	वित्त विधेयक, 2024
9.	जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
10.	लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024
11.	संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
12.	संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024

परिशिष्ट तीन

01जनवरी से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण

विधानमंडल	अवधि	बैठकें	सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	गैर-सरकारी विधेयक [पुरःस्थापित (पारित)]	तारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अतारांकित प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]	अल्प सूचना प्रश्न [प्राप्त (स्वीकृत)]
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	05.02.2024 to 26.02.2024	12	17(17)	1(1)	616(605)	313(309)	21(7)
बिहार वि.स.	12.02.2024 to 01.03.2024	12	12(12)	-	2261(1506)	(379)	206(41)
बिहार वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़ वि.स.	05.02.2024 to 28.02.2024	17	5(5)	-	1337(1232)	1357(1248)	-
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात वि.स.	01.02.2024 to 29.02.2024	25	7(7)	1	2551(1523)	-	-
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	24.01.2024 to 28.02.2024	12	4(2)	-	626(420)	291(199)	-
झारखंड वि.स.	05.02.2024 to 06.02.2024 & 23.02.2024 to 02.03.2024	2 &7	7(7)	-	85(177)	(40)	379(146)

** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक वि.स.	12.02.2024 to 29.02.2024	13	26(26)	(1)	120(120)	1653(1653)	-
कर्नाटक वि.प.	12.02.2024 to 29.02.2024	14	27(27)	-	882(120)	262(1024)	-
केरल वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश वि.स.	07.02.2024 to 14.02.2024	6	8(8)	-	1163(1136)	1140(1076)	-
महाराष्ट्र वि.स.	20.02.2024 & 26.02.2024 to 01.03.2024	1 & 5	10(11)	-	-	-	-
महाराष्ट्र वि.प.	20.02.2024 & 26.02.2024 to 01.03.2024	1 & 5	1(10)	-	-	7(1)	-
मणिपुर वि.स.	28.02.2024 to 05.03.2024	5	8(8)	1(1)	39(39)	8(8)	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	19.02.2024 to 13.03.2024	16	10(10)	-	482(475)	37(37)	-
नागालैंड वि.स.	26.02.2024 to 01.03.2024	4	5(4)	-	22(18)	-	4(3)
ओडिशा वि.स.	05.02.2024 to 09.02.2024	5	1(1)	-	291(267)	414(536)	-
पंजाब वि.स.	01.03.2024 to 12.03.2024	7	4(4)	-	375(248)	205(112)	16
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई

1	2	3	4	5	6	7	8
सिक्किम वि.स.	12.02.2024	1	16(16)	-	-	-	-
तमिलनाडु वि.स.	12.02.2024 to 22.02.2024	7	20(20)	-	(277)	(4326)	2
तेलंगाना वि.स.	08.02.2024 to 17.02.2024	9	3(3)	-	-	-	-
तेलंगाना वि.प.	08.02.2024 to 15.02.2024	5	(3)	-	-	-	-
त्रिपुरा वि.स.	05.01.2024 to 11.01.2024 & 01.03.2024 to 05.03.2024	5 & 3	3(3) & 4(4)	-	495(275) & 325(111)	430(365) & 165(216)	6 -
उत्तर प्रदेश वि.स.	02.02.2024 to 10.02.2024	8	5(5)	-	803(442)	1565(1474)	36(2)
उत्तर प्रदेश वि.प.	02.02.2024 to 10.02.2024	8	5(5)	-	195(178)	154(151)	6(5)
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	05.02.2024 to 17.02.2024	10	9(9)	-	957(554)	16(10)	-
संघ राज्य क्षेत्र							
दिल्ली वि.स.	15.02.2024 to 08.04.2024	19	2(2)	-	-	-	-
पुडुचेरी वि.स.	22.02.2024	1	4(4)	-	-	-	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई

परिशिष्ट तीन (जारी)

01 जनवरी से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान समितियों के कार्य/बैठकों की संख्या और प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों की संख्या

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैरसरकारी- सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
राज्यसंघ/ राज्यक्षेत्र	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
आंध्र प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	4(4)	1(1)	1(1)	-	-	(2)	1(1)	-	-	-	-	-	2(3)	-	-	-
बिहार वि.स.	1(1)	9(7)	9	10	-	18	12(1)	9	9	-	9	10	13(4)	-	-	140(10)[क]
बिहार वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़ वि.स	1(1)	-	-	1(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई

गुजरात वि.स.	3(3)	-	-	3(3)	-	2(3)	-	(1)	2(2)	-	-	-	3(1)	-	-	2(4)[ख]
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	2(2)	-	-	-	2	5(1)	4	9(3)	5(3)	5(5)	-	-	8(5)	-	-	11(7)[ग]
झारखंड वि.स.	-	-	3	-	-	-	11	9	11	9	8	-	11	-	-	81(2)[घ]
कर्नाटक वि.स.	3	9(1)	8	-	6	7	8	7(1)	8	-	7	1	7	-	-	28[ङ]
कर्नाटक वि.प.	1	9	8(1)	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	1[घ]
केरल वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश वि.स.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	कार्य मंत्रणा समिति	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	याचिका समिति	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	विशेषाधिकार समिति	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	प्राक्कलन समिति	सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति	आवास समिति	ग्रंथालय समिति	लोक लेखा समिति	नियम समिति	संयुक्त/ प्रवर समिति	अन्य समितियां
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**
महाराष्ट्र वि.स.	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महाराष्ट्र वि.प.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मणिपुर वि.स.	1(1)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1(2)	-	-	-
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	2(2)	1(1)	-	-	-	-	-	-	-	2	3(1)	-	-	-	-	2[छ]
नागालैंड वि.स.	1	1(3)	-	-	-	(5)	(3)	-	2	-	-	-	-	-	-	1[ज]
ओडिशा वि.स.	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	9	-	-	9[झ]
पंजाब वि.स.	1(1)	4(1)	9	-	12	9(2)	2(1)	17(1)	9(1)	-	5	8	11(1)	-	-	38[ञ]
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सिक्किम वि.स.*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तमिलनाडु वि.स.	1	10(8)	1(3)	-	-	3(22)	-	-	12(2)	-	1	2	6(35)	-	-	1(1)[ट]
तेलंगाना वि.स.	1(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
तेलंगाना वि.प.	1(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
त्रिपुरा वि.स.	3(3)	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश वि.स.	3(3)	(1)	1(4)	-	-	(5)	-	4	4(3)	-	-	-	8	-	-	5(9)[ठ]
उत्तर प्रदेश वि.प.	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31(3)[ड]
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	5(3)	13	6	-	7	9	7	-	12(1)	-	10	5	6(2)	-	-	274(9)[ढ]
संघ राज्यक्षेत्र																
दिल्ली वि.स.	2(1)	-	4	-	2(1)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1[ण]
पुदुचेरी वि.स.	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3(1)	-	-	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

* राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडलों से प्राप्त सूचना में शून्य रिपोर्ट शामिल है।

(क)	प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति-10, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति-11, निवेदन समिति-11(4), आंतरिक संसाधनों संबंधी समिति-9, महिला एवं बाल कल्याण समिति-9, कृषि विकास उद्योग समिति-25, पर्यटन विकास समिति-9, शून्यकाल समिति-9(6), आचार समिति-9, बिहार विरासत विकास समिति-20, अल्पसंख्यक कल्याण समिति-9 और पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति-6
(ख)	पंचायती राज समिति - 2(4)
(ग)	मानव विकास समिति - 6(4) और ग्रामीण नियोजन -5(3)
(घ)	आंतरिक संसाधन राजस्व और केंद्रीय सहायता समिति -2, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति - 12(1), पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति-10, महिला एवं बाल कल्याण समिति-6, निवेदन समिति -9, विधायक निधि निगरानी समिति -11, युवा संस्कृति, खेल एवं पर्यटन समिति -10, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति -4, अनागत प्रश्न क्रियायन समिति - 6(1), गैर-सरकारी संकल्प समिति -6 और सदाचार समिति -5
(ङ)	महिला एवं बाल कल्याण समिति -5 सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति -8, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण समिति -8 और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संबंधी समिति -7
(च)	गंगा कल्याण आवास समिति -1
(छ)	विषय समिति -I-1 और विषय समिति -III-1
(ज)	अन्य समिति -1
(झ)	स्थायी समिति -IV-5 स्थायी समिति -VIII-2 स्थायी समिति -IX-1 और स्थायी समिति -X-1
(ञ)	प्रश्न एवं संदर्भ संबंधी समिति -9(1), स्थानीय निकाय समिति -8(1), पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति -10(1), सहयोग एवं अनुषंगी कार्यकलापों संबंधी समिति -6(1), कृषि एवं अनुषंगी कार्यकलापों संबंधी समिति 2023-24-3(1), बुद्ध दरिया और घग्गर दरिया संबंधी समिति 2023-24-1 और स्थानीय निकायों संबंधी उप समिति समिति-1
(ट)	सभा पटल पर रखे गए पत्र संबंधी समिति -1(1)
(ठ)	राज्य के स्थानीय निकायों की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की जांच से संबंधित समिति -(4) और पंचायती राज समिति -5(5)
(ड)	प्रश्न और संदर्भ समिति -2, वित्तीय एवं प्रशासनिक विलंब संबंधित समिति -2, नियम संशोधन समिति -2, संसदीय अध्ययन संबंधी समिति - 1, उत्तर प्रदेश विधानमंडल की आवास संबंधी शिकायतों की जांच संबंधी समिति -1, संसदीय एवं समाज कल्याण समिति -9(1), विकास प्राधिकरणों आवास मंडल, जिला पंचायतों एवं नगर निगम में अनियमितताओं के नियंत्रण संबंधी समिति -3(1), प्रांतीय विद्युत व्यवस्था की जांच संबंधी समिति-1, विनियमन समीक्षा समिति -2, दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति-3, शिक्षा के व्यावसायीकरण संबंधी समिति -2(1), विधायी अधिकारिता समिति -2 और खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के चलन के कारण जीवन के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की रोकथाम संबंधी समिति -1

(ढ)	बिधायक इलाका उन्नयन प्रकल्प संबंधी समिति -6, स्थानीय निधि लेखा संबंधी समिति -11, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति -5, समिति प्रणाली के सुधार और कार्यकरण संबंधी समिति -6, कृषि, कृषि विपणन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और बागवानी संबंधी स्थायी समिति -8(1), उद्योग, वाणिज्य और उद्यम संबंधी स्थायी समिति -12(1), मात्स्यिकी और पशु संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति -14(1), उच्चतर शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -9, स्कूल शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -8(1), पर्यावरण, वन एवं पर्यटन संबंधी स्थायी समिति-7, वित्त एवं योजना संबंधी स्थायी समिति -8, खाद्य एवं आपूर्ति संबंधी स्थायी समिति -6, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति-11, गृह, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, सुधारात्मक प्रशासन, विधि एवं न्यायिक संबंधी स्थायी समिति-10, आवास, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं एवं आपदा प्रबंधन संबंधी स्थायी समिति -7, सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों एवं युवा सेवा और खेल संबंधी स्थायी समिति--11, सिंचाई और जलमार्ग तथा जल संसाधन जांच और विकास सम्बन्धी स्थायी समिति -7(1), श्रम संबंधी स्थायी समिति -9, शहरी विकास और नगरपालिका मामलों सम्बन्धी स्थायी समिति -7(1), पंचायत और ग्रामीण विकास तथा सुंदरबन मामलों सम्बन्धी स्थायी समिति -11(1), विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों सम्बन्धी स्थायी समिति -6, लोक निर्माण और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संबंधी स्थायी समिति -13, सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा संबंधी स्थायी समिति -11, स्वयं सहायता समूह और स्व-रोजगार संबंधी स्थायी समिति -11, महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण संबंधी स्थायी समिति -8, परिवहन संबंधी स्थायी समिति -11(1), पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी स्थायी समिति -13, अल्पसंख्यक मामलों सम्बन्धी स्थायी समिति -6(1), भूमि एवं भूमि सुधार संबंधी स्थायी समिति -11 और सहकारिता एवं उपभोक्ता मामलों संबंधी स्थायी समिति -11
(ण)	विभागों से संबद्ध विकास संबंधी स्थायी समिति -1

परिशिष्ट चार

1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयकों की सूची

क्रम सं.	विधेयक का नाम	राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन की तिथि
1.	द पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल	12.02.2024
2.	द जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज लॉज (अमेंडमेंट) बिल	12.02.2024
3.	द कॉन्स्टिट्यूशन (जम्मू एंड कश्मीर) शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल	12.02.2024
4.	द कॉन्स्टिट्यूशन (जम्मू एंड कश्मीर) शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल	12.02.2024
5.	द वाटर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) अमेंडमेंट बिल	15.02.2024
6.	द कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स) ऑर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल	15.02.2024
7.	द कॉन्स्टिट्यूशन (शेड्यूल्ड ट्राइब्स) ऑर्डर (अमेंडमेंट) बिल	15.02.2024
8.	द फाइनेंस बिल	15.02.2024
9.	द एप्रोप्रियेशन (वोट ऑन अकाउंट) बिल	15.02.2024
10.	द एप्रोप्रियेशन बिल	15.02.2024
11.	द जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रियेशन बिल	15.02.2024
12.	द जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रियेशन (नंबर 2) बिल	15.02.2024

परिशिष्ट पांच

1 जनवरी से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के दौरान राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों की सूची

असम

1. दि असम एप्रोप्रियेशन (संख्यांक 1)बिल, 2024
2. दि असम एप्रोप्रियेशन (संख्यांक 2) बिल, 2024
3. दि असम पब्लिक एग्जामिनेशन (मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट) बिल, 2024
4. असम टूरिज्म (डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन) बिल, 2024
5. दि स्वाहिद कनकलता बरुआ स्टेट यूनिवर्सिटी बिल, 2024
6. दि कोकराझार यूनिवर्सिटी बिल, 2024
7. असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड बिल, 2024
8. दि सोनोवाल कचरी ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
9. दि तिवा ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
10. दि देओरी ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
11. दि थेंगल कचरी ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
12. दि रभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
13. दि मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
14. दि असम हीलिंग (प्रिवेंशन ऑफ़ ईविल) प्रैक्टिसेज बिल, 2024
15. दि असम विलेज डिफेन्स आर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
16. दि असम म्युनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2024
17. राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वीजीशन एंड रेसेटलमेंट (असम अमेंडमेंट) बिल, 2024

बिहार

1. बिहार विनियोग विधेयक*, 2024*
2. बिहार विनियोग (संख्या-*2)* विधेयक*, 2024*
3. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन)*,* विधेयक *2024*
4. बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक*, 2024*
5. बिहार राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक*, 2024*
6. बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक*, 2024*
7. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक*, 2024*

8. बिहार मूल्यवर्धित कर (संशोधन) विधेयक*, 2024*
9. बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग (संशोधन) विधेयक*, 2024*
10. बिहार लोक सुरक्षा (उपाय) प्रवर्तन विधेयक*, 2024*
11. बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक*, 2024*
12. बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक*, 2024*

छत्तीसगढ़

1. छत्तीसगढ़ विनियोग (संख्यांक-*1)* विधेयक*, 2024*
2. छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक*, 2024*
3. छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक*, 2024*
4. छत्तीसगढ़ विनियोग (संख्यांक-*2)* विधेयक*, 2024*
5. छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला (संशोधन) विधेयक*, 2024*

दिल्ली

1. दि दिल्ली एप्रोप्रिएशन (संख्यांक 1) बिल, 2024
2. दि दिल्ली एप्रोप्रिएशन (संख्यांक 2) बिल, 2024

गुजरात

1. दि गुजरात टेनेंसी एंड एग्रीकल्चर लैंड्स लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2. दि गुजरात (सप्लीमेंट्री) एप्रोप्रिएशन बिल, 2024
3. दि गुजरात रेन्ट्स, होटल एंड लॉजिंग हाउस रेट्स कंट्रोल (रिवाइवल ऑफ़ ऑपरेशन एंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
4. दि गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंसेज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5. दि गुजरात को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
6. दि धीरूभाई अंबानी इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (अमेंडमेंट) बिल, 2024
7. दि गुजरात एप्रोप्रिएशन बिल, 2024

हिमाचल प्रदेश

1. दि हिमाचल प्रदेश एप्रोप्रिएशन बिल, 2024
2. दि हिमाचल प्रदेश एप्रोप्रिएशन (संख्यांक 2) बिल, 2024

झारखंड

1. झारखंड विनियोग (संख्या -01) विधेयक, 2024
2. झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापना में) (निरसन) विधेयक, 2024
3. अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2024
4. माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024
5. झारखंड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2024
6. झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकार विधेयक, 2024
7. झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2024

कर्नाटक

1. दि कर्नाटक लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2. दि कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
3. दि कर्नाटक को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4. दि कर्नाटक सौहार्द सहकारी (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5. दि कर्नाटक मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर अलाइड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल, 2024
6. दि बृहत बेंगलुरु महानगर पालिक (अमेंडमेंट) बिल, 2024
7. दि कर्नाटक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2024
8. दि कर्नाटक प्रोफेशनल सिविल इंजिनीयर्स बिल, 2024
9. दि कर्नाटक रिपिलिंग ऑफ़ सर्टेन एनक्टमेंट्स एंड रीजनल लॉ बिल, 2024
10. श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2024
11. दि कर्नाटक हिन्दू रिलीजियस इंस्टीटूशन्स एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
12. श्री घातिसुब्रमण्य क्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2024
13. श्री हुलीगेम्मा देवी क्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2024
14. दि कर्नाटक मोटर व्हीकल्स टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
15. दि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांस-डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, (अमेंडमेंट) बिल, 2024
16. दि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स (प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन), (कर्नाटक अमेंडमेंट) बिल, 2024
17. दि कर्नाटक एग्रीकल्चर प्रोडूस मार्केटिंग (रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट) (अमेंडमेंट) बिल, 2024

18. दि कर्नाटक पुलिस (अमेंडमेंट) बिल, 2024
19. दि गदग-बेतागिरी बिज़नेस एंड एक्सहिबिशन अथॉरिटी बिल, 2024
20. दि रजिस्ट्रेशन (कर्नाटक अमेंडमेंट) बिल, 2024
21. दि कर्नाटक स्टाम्प (अमेंडमेंट) बिल, 2024
22. दि कर्नाटक एप्रोप्रिएशन बिल, 2024
23. दि कर्नाटक एप्रोप्रिएशन (संख्यांक 2) बिल, 2024
24. दि कर्नाटक लैंड रिवेन्यु (अमेंडमेंट) बिल, 2024
25. दि कर्नाटक एप्रोप्रिएशन (संख्यांक 3) बिल, 2024
26. दि कर्नाटक लेजिस्लेचर (प्रिवेंशन ऑफ़ डिसक्वॉलिफिकेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2024

मध्य प्रदेश

1. मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024
2. प्राणतिया लघुवाद न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2024
3. मध्य प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024
4. मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक, 2024
5. मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक 2) विधेयक, 2024
6. मध्य प्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2024
7. मध्य प्रदेश (लेखानुदान) विधेयक, 2024
8. मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

महाराष्ट्र

1. दि महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज बिल, 2024
2. दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) बिल, 2024
3. दि महाराष्ट्र पुलिस (अमेंडमेंट) बिल, 2024
4. दि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5. दि महाराष्ट्र (सप्लीमेंट्री) एप्रोप्रिएशन बिल, 2024
6. दि डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2024
7. दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
8. दि महाराष्ट्र एप्रोप्रिएशन (वोट ऑन अकाउंट) बिल, 2024

9. दि महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024
10. दि महाराष्ट्र लेबर वेलफेयर फंड (अमेंडमेंट) बिल, 2024
11. दि महाराष्ट्र प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (एस्टाब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2024

मणिपुर

1. दि मणिपुर एप्रोप्रिएशन (संख्यांक 1) बिल, 2024
2. दि मणिपुर एप्रोप्रिएशन (संख्यांक 2) बिल, 2024
3. दि मणिपुर लेबर लॉ (एक्जेम्पशन फ्रॉम रिन्यूअल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस बाई एस्टाब्लिशमेंट्स) बिल, 2024
4. दि मणिपुर नेम्स ऑफ़ प्लेसेस बिल, 2024
5. दि मणिपुर गुड्स एडं सर्विसेज टैक्स (सिक्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024
6. दि मणिपुर फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024
7. दि मणिपुर प्रिवेंशन ऑफ़ माल प्रेक्टिसेस इन हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट एंड हायर सेकेंडरी एक्जामिनेशंस बिल, 2024
8. दि मणिपुर म्युनिसिपलीटीज (इलेवंथ अमेंडमेंट) बिल, 2024

मिजोरम

1. दि मिजोरम वाटर रिसोर्सेज (मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन) बिल, 2024
2. दि मिजोरम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024
3. दि मिजोरम एप्रोप्रिएशन (सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स 2023-2024) बिल, 2024
4. दि मिजोरम लोकायुक्त (अमेंडमेंट) बिल, 2024
5. दि इंडियन स्टाम्प (मिजोरम अमेंडमेंट) बिल, 2024
6. दि मिजोरम सैलरीज एंड एलाउन्सेज ऑफ़ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर (अमेंडमेंट) बिल, 2024
7. दि मिजोरम सैलरीज एंड एलाउन्सेज ऑफ़ मिनिस्टर (अमेंडमेंट) बिल, 2024
8. दि मिजोरम सैलरीज एंड एलाउन्सेज ऑफ़ गवर्नमेंट चीफ व्हिप एंड डिप्टी गवर्नमेंट चीफ व्हिप (अमेंडमेंट) बिल, 2024
9. दि मिजोरम सैलरीज एंड एलाउन्सेज एंड पेंशन ऑफ मेम्बर्स ऑफ दि लेजिस्लेटिव असेंबली (अमेंडमेंट) बिल, 2024

10. दि मिजोरम अप्प्रोप्रिएशन (डिमांड फॉर ग्रांट्स 2024-2025) बिल, 2024

नागालैंड

1. दि नागालैंड सैलरीज एलाउन्सेज एंड अदर फैसिलिटीज़ ऑफ दि चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर/मिनिस्टर्स, लीडर ऑफ़ अपोजिशन, डिप्टी स्पीकर एंड अदर मेंबर्स ऑफ़ दि नागालैंड असेंबली एंड पेंशन फॉर एक्स-मेंबर्स (सिक्थ अमेंडमेंट) बिल, 2023
2. दि नागालैंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (एट्थ अमेंडमेंट) बिल, 2023
3. दि नागालैंड एप्रोप्रियेशन (संख्यांक 1) बिल, 2024
4. दि नागालैंड एप्रोप्रियेशन (संख्यांक 2) बिल, 2024

ओडिशा

1. दि ओडिशा एप्रोप्रियेशन (वोट ऑन अकाउंट) बिल, 2024

पुदुचेरी

1. दि एप्रोप्रिएशन बिल, 2024
2. दि एप्रोप्रियेशन (वोट ऑन अकाउंट) बिल, 2024
3. दि पुदुचेरी माइक्रो, स्माल एंड मिडियम इंटरप्राइजेज (एक्जेम्पशन फ्रॉम अप्प्रोवल्स टू कमेंस बिज़नेस) बिल, 2024
4. दि पुदुचेरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2024

पंजाब

1. दि पंजाब एप्रोप्रियेशन (संख्यांक 1) बिल, 2024
2. दि पंजाब एप्रोप्रियेशन (संख्यांक 2) बिल, 2024
3. दि पंजाब एप्रोप्रियेशन (संख्यांक 3) बिल, 2024
4. दि पंजाब स्टेट इलेक्शन कमीशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024

सिक्किम

1. दि सिक्किम एप्रोप्रियेशन बिल, 2024

2. दि सिक्किम मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी बिल, 2024
3. दि गुरुकुल विद्यापीठ विश्वविद्यालय बिल, 2024
4. दि सिक्किम एंलिस्टमेन्ट ऑफ़ कन्स्ट्रक्शनल मशीनरीज एंड इक्विप्मेंट्स बिल, 2024
5. दि ड्यूक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बिल, 2024
6. आर्चिड यूनिवर्सिटी बिल, 2024
7. मैट्रिक्स स्किलटेक यूनिवर्सिटी बिल, 2024
8. दि सिक्किम लेजिस्लेटिव मेंबर्स (पेमेंट ऑफ़ पेंशन एंड मेडिकल अल्लोवान्सेस) अमेंडमेंट बिल, 2024
9. दि सिक्किम सिविल कोर्ट (अमेंडमेंट) बिल, 2024
10. दि सिक्किम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बिल, 2024
11. दि मैनेजमेंट एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, सिक्किम बिल, 2024
12. श्री रुक्मणी द्वारकाधीश यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल, 2024
13. दि सिक्किम एप्रोप्रियेशन बिल, 2024 (सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2023-24)
14. दि सिक्किम एप्रोप्रियेशन बिल, 2024 (वोट ऑन अकाउंट 2024-25)
15. दि सिक्किम पन्नाधाय यूनिवर्सिटी बिल, 2024
16. दि निर्मला देवी यूनिवर्सिटी बिल, 2024

तमिलनाडु

1. दि तमिलनाडु पंचायत (अमेंडमेंट) बिल, 2024
2. दि तमिलनाडु पुरातची थलेवि डॉ. ज. जयललिता मेमोरियल फाउंडेशन (रिपील) बिल, 2024
3. दि तमिलनाडु पंचायत (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2024
4. दि तमिलनाडु पंचायत (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2024
5. दि तमिलनाडु एप्रोप्रियेशन (वोट ऑन अकाउंट) बिल, 2024
6. दि तमिलनाडु पंचायत (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024
7. दि तमिलनाडु पंचायत (फिफ्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024
8. दि तमिलनाडु हाइवेज (अमेंडमेंट) बिल, 2024

9. दि तमिलनाडु स्टेट हाइवेज अथॉरिटी बिल, 2024

10. दि तमिलनाडु ट्रांसपेरेंसी इन टेंडर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024

11. दि तमिलनाडु कंटिंजेंसी फण्ड (अमेंडमेंट) बिल, 2024

12. दि तमिलनाडु फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2024

13. दि चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2024

14. तमिलनाडु यूनिवर्सिटी लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2024

15. दि तमिलनाडु स्टेट मेडिकल काउंसिल बिल, 2024

16. दि तमिलनाडु हिन्दू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024

17. दि तमिलनाडु डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर दि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड दि शेड्यूल्ड ट्राइब्स बिल, 2024

18. दि तमिलनाडु एप्रोप्रियेशन बिल, 2024

19. दि तमिलनाडु पंचायत (सिक्स्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024

20. दि तमिलनाडु एग्रीकल्चरल प्रोडूस मार्केटिंग (रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2024

तेलंगाना

1. दि सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स (प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेन्ट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) (तेलंगाना अमेंडमेंट) बिल, 2024

2. दि तेलंगाना अप्रोप्रिएशन (वोट ऑन अकाउंट) बिल, 2024

3. दि तेलंगाना अप्प्रोप्रिएशन बिल, 2024

त्रिपुरा

1. दि त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (फोर्थ अमेंडमेंट) बिल, 2023

2. दि त्रिपुरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (सेवंथ अमेंडमेंट) बिल, 2023

3. दि माता त्रिपुरा सुंदरी ओपन यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा बिल, 2024

4. दि त्रिपुरा अप्प्रोप्रिएशन बिल, 2024

5. दि त्रिपुरा पब्लिक डिमांड रिकवरी (अमेंडमेंट) बिल, 2024

6. दि सलारिएस, अल्लोवान्सेस, पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ दि मिनिस्टर्स, स्पीकर, डेप्युटी स्पीकर, लीडर ऑफ ओप्पोसिशन, गवर्नमेंट चीफ व्हिप एंड दि मेंबर्स ऑफ़ दि लेजिस्लेटिव असेंबली (त्रिपुरा) (एट्थ अमेंडमेंट) बिल, 2024

7. दि त्रिपुरा अप्प्रोप्रिएशन बिल, 2024

उत्तर प्रदेश

1. इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट) बिल, 2024

2. दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2024

3. दि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और यूपी-लोकायुक्तस (अमेंडमेंट) बिल, 2024

4. दि उत्तर प्रदेश लिफ्ट और एस्केलेटर बिल, 2024

5. दि उत्तर प्रदेश अप्प्रोप्रिएशन बिल, 2024

पश्चिम बंगाल

1. दि हावड़ा म्युनिसिपल कार्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024

2. दि वेस्ट बंगाल नॉन-ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2024

3. वेस्ट बंगाल अप्रोप्रिएशन (संख्यांक 1) विधेयक, 2024

4. वेस्ट बंगाल अप्रोप्रिएशन (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

5. दि वेस्ट बंगाल फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2024

6. दि वेस्ट बंगाल फाइनेंस बिल, 2024

7. दि वेस्ट बंगाल ठिका टेनेंसी (एक्वीजीशन एंड रेगुलेशन) (अमेंडमेंट) बिल, 2024

8. दि वेस्ट बंगाल एडिशनल टैक्स एंड वन-टाइम टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024

9. दि वेस्ट बंगाल मोटर व्हीकल्स टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2024

परिशिष्ट छह

1 जनवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश

क्र. सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
	महाराष्ट्र				
1.	दि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	15.01.2024	20.02.2024	02.04.2023	--
2.	दि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	15.02.2024	20.02.2024	02.04.2023	--
	मणिपुर				
1.	दि मणिपुर लेबर लॉज़ (एक्ज़म्पशन फ्रॉम रिन्यूवल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस बाई एस्टैब्लिशमेंट्स) आर्डिनेंस, 2023	22.12.2023	29.02.2024	--	--
	त्रिपुरा				
1.	दि त्रिपुरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सेवंथ अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	30.09.2023	08.01.2024	10.01.2024	विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित
	उत्तर प्रदेश				
1.	इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	28.12.2023	02.02.2024	--	--
2.	उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सेवंथ अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2023	31.12.2023	02.02.2024	--	--
3.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	06.03.2024	--	--	--

क्र. सं.	अध्यादेश का शीर्षक	प्रख्यापन की तिथि	सभा पटल पर रखने की तिथि	समाप्ति की तिथि	टिप्पणियां
4.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (सेकंड अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	06.03.2024	--	--	--
5.	दि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज (थर्ड अमेंडमेंट) आर्डिनेंस, 2024	06.03.2024	--	--	--
6.	दि उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एंड अदर रीजन्स डेवलपमेंट अथॉरिटी आर्डिनेंस, 2024	07.03.2024	--	--	--
7.	दि उत्तर प्रदेश नज़ूल प्रॉपर्टीज (मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन फॉर पब्लिक पर्पजेस) आर्डिनेंस, 2024	07.03.2024	--	--	--

परिशिष्ट सात-क

17वीं लोक सभा में दल-वार स्थिति (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार) (31 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.ज. पा.	भा.रा.कां.	द्रमुक	एआईटीसी	वाईएसआरसीपी	एसएस	जद(यू)	बीजद	बसपा	बीआरएस	एलजेएसपी	राकांपा	सपा	सीपीआई (एम)	आईयूएमएल	जेकेएनसी	तेदेपा	एडी(एस)	एआईएमआईएम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.	आंध्र प्रदेश	25	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	14	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	बिहार	40	17	1	-	-	-	-	16	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	11	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	गोवा	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	गुजरात	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	हरियाणा	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	जम्मू एवं कश्मीर[1]	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
11.	झारखंड	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	कर्नाटक	28	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	केरल	20	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
14.	मध्य प्रदेश	29	23	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	महाराष्ट्र	48	22	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1
16.	मणिपुर	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

[1] संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में विभाजित

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17.	मेघालय	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	नागालैंड	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	ओडिशा	21	8	1	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	पंजाब	13	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	राजस्थान	25	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	सिक्किम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	तमिलनाडु	39	-	8	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
25.	तेलंगाना	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
26.	त्रिपुरा	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	उत्तर प्रदेश	80	64	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-
28.	उत्तराखंड	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	पश्चिम बंगाल	42	17	2	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	चंडीगढ़	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	दादर एवं नागर हवेली[2]	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	दमन एवं दीव[2]	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	लक्षद्वीप	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

[2] दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय कर दिया गया

36.	पुदुचेरी	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	543	288*	46	23	22	22	19	16	12	10	8	6	5	2	3	3	3	3	2	2	

* माननीय लोक सभा अध्यक्ष सहित

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	भा.क. पा.	शिअद	आप	अन्नाद्रमुक	एसएडी(ए) (एसएसएम)	एआईयूडीएफ	आजसू	एनपीएफ	एमएनएफ	जद(एस)	झामुमो	वीसीके	एसकेएम	केसी(एम)	एनडीपीपी	एनपीपी	आरएसपी	आरएलपी	निर्दलीय	नामित	कुल	रिक्त पद
(1)	(2)	(23)	(24)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
3.	असम	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	-
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
5.	छत्तीसगढ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3
6.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
7.	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-
8.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
10.	जम्मू एवं कश्मीर[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
11.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1
12.	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	-
13.	केरल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	20	-
14.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	5
15.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1	-	46	2

[1] संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में विभाजित

16.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
17.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
18.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
20.	ओडिशा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
21.	पंजाब	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-
22.	राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5
23.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
24.	तमिलनाडु	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	38	1
25.	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4
26.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
27.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	78	2
28.	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
29.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	1
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
31.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32.	दादर एवं नागर हवेली[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
33.	दमन एवं दीव[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

[2] दादर और नागर हवेली और दमन और दीव को एक संघ राज्यक्षेत्र में विलय कर दिया गया

(1)	(2)	(23)	(24)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
35.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
36.	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	कुल	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	3	-	517	26

दलों के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर:

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा); भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी); द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके); अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी); युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी); शिव सेना (एसएस); जनता दल (यूनाइटेड)[जद (यू)]; बीजू जनता दल (बीजद); बहुजन समाज पार्टी (बसपा); भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस); लोक जन शक्ति पार्टी (एलजेएसपी); राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी); समाजवादी पार्टी (सपा); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई (एम)]; इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल); जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन (जेकेएनसी); तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी); अपना दल (सोनेलाल) [एडी(एस)]; ऑल इंडिया मजलिस–ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम); भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई); शिरोमणि अकाली दल (शिअद); आम आदमी पार्टी (आप); अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके); शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान) – [एसएडी (ए) (एसएसएम)]; ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ); आजसू पार्टी (आजसू); नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ); मिज़ो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ); जनता दल (सेकुलर) [जद(एस)]; झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (झामुमो); विदुथलाई चैरुथाइगल काची (वीसीके); सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम); केरल कांग्रेस (एम) [केसी(एम)]; नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी); नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी); रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) और निर्दलीय (आईएनडी)।

ख. राज्य सभा में दलीय स्थिति (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.ज.पा.	भा.रा.कां.	एआईटीसी	द्र.मु.क.	आप	बी.जे.डी.	वाईएसआरसीपी	बी.आर.एस.	आरजेडी	सीपीआई (एम)	ज.द.(यू.)	अन्य	निर्द.	कुल	रिक्त स्थान
1.	आंध्र प्रदेश	11	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	1[क]	-	11	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3.	असम	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2[ख]	1	7	-
4.	बिहार	16	4	1	-	-	-	-	-	-	6	-	5	-	-	16	-
5.	छत्तीसगढ़	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
6.	गोवा	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7.	गुजरात	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
8.	हरियाणा	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
9.	हिमाचल प्रदेश	3	2	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2	1
10.	झारखंड	6	3	1	-	-	-	-		-	-	-	-	2[ग]	-	6	-
11.	कर्नाटक	12	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[घ]	-	12	-
12.	केरल	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4[ङ]	-	9	-
13.	मध्य प्रदेश	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
14.	महाराष्ट्र	19	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7[च(	-	18	1
15.	मणिपुर	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16.	मेघालय	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[छ]	-	1	-
17.	मिजोरम	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1[ज]	-	1	-
18.	नागालैंड	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
19.	ओडिशा	10	1	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	10	-
20.	पंजाब	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
21.	राजस्थान	10	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1
22.	सिक्किम	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.ज.पा.	भा.रा.कां.	एआईटीसी	द्र.मु.क.	आप	बी.जे.डी.	वाईएसआरसीपी	बी.आर.एस.	आरजेडी	सीपीआई (एम)	ज.द.(यू.)	अन्य	निर्द.	कुल	रिक्त स्थान
23.	**तमिलनाडु**	18	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	-	7[आ]	-	18	-
24.	**तेलंगाना**	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
25.	**त्रिपुरा**	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
26.	**उत्तर प्रदेश**	31	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5[ज]	1	31	-
27.	**उत्तराखंड**	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
28.	**पश्चिम बंगाल**	16	1	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1[ट]	-	16	-
									संघ राज्यक्षेत्र								
29.	**जम्मू और कश्मीर**	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	शून्य	4
30.	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
31.	**पुदुचेरी**	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
32.	**नामनिर्दिष्ट**	12	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	कुल	245	93	30	13	10	10	9	9	7	6	4	5	32	3	238	7

अन्य:

(दलों/समूहों का पृथक् ब्यौरा)

(1) ते.दे.पा.-1
(2) अ.ज.प.-1, यू.पी.पी. (एल.)-1
(3) झा.मु.मो.-2
(4) ज.द.(एस.)-1
(5) भा.क.पा.-2, आई.यू.एम.एल.-1, के.कां.(एम.)-1
(6) रा.क.पा.-3, शि.से.-3, आर.पी.आई. (अठावले)-1
(7) एन.पी.पी.-1
(8) एम.एन.एफ.-1
(9) एआईडीएमके-4, म.द्र.मु.क.-1, पी.एम.के.-1, टी.एम.सी.(एस.)-1
(10) ब.स.पा.-1, स.पा.-3, रा.लो.द.-1
(11) भा.क.पा.(मा.)-1

ग. राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडलों में दलीय स्थिति

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा.	रा.कां.पा.	ब.स.पा.	ज.द. (यू)	ज.द. (एस.)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
आंध्र प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आंध्र प्रदेश वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
असम वि.स.	126	27	63	1	-	-	-	-	-	34(क)	1	126	-
बिहार वि.स.	243	19	78	2	2	-	-	44	-	95(ख)	1	241	2
बिहार वि.प.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छत्तीसगढ़ वि.स.	90	35	54	-	-	-	-	-	-	1(ग)	-	90	-
गोवा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात वि.स.	182	13	156	-	-	-	-	-	-	5(घ)	2	176	6

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडल से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
हरियाणा वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश वि.स.	68	34	25	-	-	-	-	-	-	3(ङ)	-	62	6
झारखंड वि.स.	82	16	25	-	1	1	-	-	-	36(घ)	2	81	1

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	**सीटों की संख्या**	**भा.रा.कां.**	**भा.ज.पा.**	**भा.क.पा. (मा.)**	**भा.क.पा.**	**रा.कां.पा.**	**ब.स.पा.**	**ज.द. (यू)**	**ज.द. (एस.)**	**अन्य दल**	**निर्दलीय**	**कुल**	**रिक्त**
कर्नाटक वि.स.	224	133	66	-	-	-	-	-	19	3(छ)	2	223	1
कर्नाटक वि.प.	75	29	33	-	-	-	-	-	7	1(ज)	1	71	4
केरल वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य प्रदेश वि.स.	230	65	163	-	-	-	-	-	-	1(झ)	-	229	1
महाराष्ट्र वि.स.	288	42	103	1	-	53	-	-	-	70(ञ)	13	282	6
महाराष्ट्र वि.प.	78	8	22	-	-	9	-	1	-	13(ट)	4	57	21
मणिपुर वि.स.	60	5	37	-	-	-	-	1	-	14(ठ)	3	60	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडल से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा.	रा.कां.पा.	ब.स.पा.	ज.द. (यू)	ज.द. (एस.)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
मेघालय वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मिजोरम वि.स.	40	1	2	-	-	-	-	-	-	37[ङ]	-	40	-
नागालैंड वि.स.	60	-	12	-	-	7	-	1	-	36[ढ]	4	60	-
ओडिशा वि.स.	147	9	22	1	-	-	-	-	-	113[ण]	1	146	1
पंजाब वि.स.	117	18	2	-	-	-	1	-	-	95[त]	1	117	-
राजस्थान वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	सीटों की संख्या	भा.रा.कां.	भा.ज.पा.	भा.क.पा. (मा.)	भा.क.पा.	रा.कां.पा.	ब.स.पा.	ज.द. (यू)	ज.द. (एस.)	अन्य दल	निर्दलीय	कुल	रिक्त
सिक्किम वि.स.	32	-	12	-	-	-	-	-	-	20[थ]	-	32	-
तमिलनाडु वि.स.	234	17	4	2	2	-	-	-	-	208[द]	-	233	1
तेलंगाना वि.स.	119	64	8	-	1	-	-	-	-	45[ध]	-	118	1
तेलंगाना वि.प.	40	3	1	-	-	-	-	-	-	31[न]	1	36	4
त्रिपुरा वि.स.	59	3	32	10	-	-	-	-	-	14[प]	-	58	1
उत्तर प्रदेश वि.स.	403	2	252	-	-	-	1	-	-	144[फ]	-	399	4
उत्तर प्रदेश वि.प.	100	-	82	-	-	-	1	-	-	14[ब]	2	99	1
उत्तराखंड वि.स.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल वि.स.	294	1	73	-	-	-	-	-	-	215[भ]	1	290	4
संघ राज्यक्षेत्र													
दिल्ली वि.स.	70	-	8	-	-	-	-	-	-	62[म]	-	70	-
पुदुचेरी वि.स.	33	2	9	-	-	-	-	-	-	16[य]	6	33	-

** राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडल से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(क.) असम गण परिषद (ए.जी.पी.)-9, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यू.पी.पी.एल.)-7, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (ए.आई.यू.डी.एफ.)-15 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बी.पी.एफ.)-3

(ख.) राष्ट्रीय जनता दल (आर.जे.डी.)-79, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन)-11, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)-4 और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन-1

(ग.) गोंडवाना गंतर पार्टी -1

(घ.) आम आदमी पार्टी-4 और समाजवादी पार्टी-1

(ङ.) नामनिर्दिष्ट- 3

(च.) अध्यक्ष-1, झारखंड मुक्ति मोर्चा-28, झारखंड विकास मोर्चा-2, आजसू पार्टी-3, राष्ट्रीय जनता दल-1 और नामनिर्दिष्ट-1

(छ.) कल्याण राज्य प्रगति पक्ष-1, सर्वोदय कर्नाटक पक्ष-1 और अध्यक्ष -1

(ज.) सभापति-1

(झ.) भारत आदिवासी पार्टी-1

(ञ.) शिवसेना पार्टी-55, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी -1, बहुजन विकास अघाड़ी -3, ऑल इंडिया मजालिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन -2, प्रहार जनशक्ति पार्टी -2, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना -1, समाजवादी पार्टी -2, राष्ट्रीय समाज पार्टी -1, स्वाभिमान पार्टी -1, जनसुराज्य शक्ति पार्टी -1

(ट.) शिवसेना -11, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया -1 और राष्ट्रीय समाज पक्ष -1

(ठ.) नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी)- 7, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)-5 और कुकी पीपुल्स एलायंस (केपीए)-2

(ड.) जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम)-27 और और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) -10

(ढ.) नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी)-25, नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ)-2, लोक जनशक्ति पार्टी (आरवी)-2, नेशनल पीपुल्स पार्टी-5 और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)-2

(ण.) बीजू जनता दल (बी.जे.डी.)- 113

(त.) आम आदमी पार्टी-92 और शिरोमणि अकाली दल-3

(थ.) सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा -19 और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट-1

(द.) द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम-132, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम-66, पट्टाली मक्कल काची-5, विदुथलाई चिरुथैगल काची-4 और माननीय अध्यक्ष-1

(ध.) भारत राष्ट्र समिति -38 और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद-उई-मुस्लिमीन-7

(न.) भारत राष्ट्र समिति -24, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद-यूआई-मुस्लिमीन -2, निर्दलीय (पीआरटीयू)-1 और नामनिर्दिष्ट-4

(प.) आई.पी.एफ.टी. -1 और टी.एम.पी. -13

(फ.) समाजवादी पार्टी-108, अपना दल (सोनेलाल)-13, राष्ट्रीय लोक दल-9, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल-6, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी-6 और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक-2

(ब.) समाजवादी पार्टी-8, अपना दल (सोनेलाल)-1, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल -1, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक-1, शिक्षक दल (गैर राजनीतिक))-1 और इंडिपेंडेंट ग्रुप-2

(भ.) ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस-214 और राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी -1

(म.) आम आदमी पार्टी-62

(य.) ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस-10 और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम -6

संसदीय पत्रिका (त्रैमासिक)

संसदीय पत्रिका लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक पत्रिका दी जर्नल ऑफ पार्लियामेंटरी इन्फार्मेशन का हिन्दी रूपांतरण है। यह पत्रिका संसद के साथ-साथ राज्यों और विदेशी विधायी निकायों के कार्यकलापों के बारे में जानकारी का प्रामाणिक अभिलेख है। यह भारत में लोकतंत्र के क्रमिक विकास को प्रतिबिम्बित करते हुए संसदीय व्यवस्था के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी साझा करती है।